संसदीय पत्रिका

खंड 70 अंक 3 सितंबर 2024

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

संसदीय पत्रिका

खंड 70 अंक 3 सितंबर 2024

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

संसदीय पत्रिका

खंड 70 | अंक 3 | सितंबर 2024

इस अंक में

पृष्ठ

भाषण

भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा 27 जून 2024 को नई दिल्ली में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित अभिभाषण..... 1

संसदीय घटनाक्रम और कार्यकलाप

सम्मेलन और संगोष्ठियां..... 9

राष्ट्रीय नेताओं की जयंती..... 11

संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान (प्राइड)..... 11

सदस्य संदर्भ सेवा..... 13

प्रक्रिया संबंधी मामले..... 14

संसदीय और संवैधानिक घटनाक्रम..... 16

सत्र समीक्षा

लोक सभा..... 34

राज्य सभा..... 39

संसदीय रुचि का नवीनतम साहित्य..... 43

परिशिष्ट

एक. अठारहवीं लोक सभा के प्रथम सत्र के दौरान किए गए कार्यों को दर्शाने वाला विवरण 46

दो. राज्य सभा के 264वें सत्र के दौरान किए गए कार्य को दर्शाने वाला विवरण..... 51

तीन. 1 अप्रैल से 30 जून 2024 की अवधि के दौरान राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के विधान मंडलों के कार्यकलापों को दर्शाने वाला विवरण..... 57

चार. 1 अप्रैल से 30 जून 2024 की अवधि के दौरान संसद के सदनों द्वारा पारित और राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित विधेयकों की सूची..... 65

पांच. 1 अप्रैल से 30 जून 2024 की अवधि के दौरान राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के विधान मंडलों द्वारा पारित विधेयकों की सूची..... 66

छह. 1 अप्रैल से 30 जून 2024 की अवधि के दौरान संघ और राज्य सरकारों द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश..... 68

सात. लोक सभा, राज्य सभा तथा राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के विधानमंडलों में दलों की स्थिति..... 69

भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा 27 जून 2024 को नई दिल्ली में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित अभिभाषण

भारत के राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हैं। चुनावी वर्ष में, राष्ट्रपति प्रत्येक आम चुनाव (नई लोक सभा के गठन के पश्चात्) के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में संसद को संबोधित करते हैं।

संसद में राष्ट्राध्यक्ष के अभिभाषण का प्रावधान वर्ष 1921 में तब किया गया जब भारत सरकार अधिनियम, 1919 के अन्तर्गत पहली बार केन्द्रीय विधान मंडल का गठन किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 86(1) के अन्तर्गत, राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन या दोनों सदनों को समवेत संबोधित कर सकते हैं और इस प्रयोजन के लिए सदस्यों की उपस्थिति अपेक्षित होती है। अनुच्छेद 87(1) में यह उपबंध किया गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेगें और संसद को सत्र आहूत करने के कारण भी बताएगें।

राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार की नीतियों का विवरण होता है। इसमें विगत वर्ष के दौरान सरकार के कार्यकलापों और उपलब्धियों की समीक्षा के साथ-साथ उन नीतियों का निर्धारण भी शामिल होता है जिन्हें सरकार महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों के संबंध में आगे बढ़ाना चाहती है। इसमें विधायी कार्यों की उन मुख्य मदों को भी दर्शाया जाता है जिन्हें उस वर्ष होने वाले सत्रों के दौरान संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का प्रस्ताव हो।

भारत की राष्ट्रपति, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 27 जून 2024 को अठारहवीं लोक सभा के पहले सत्र के आरंभ में संसद भवन के लोक सभा कक्ष में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित किया।

हम राष्ट्रपति के अभिभाषण का पाठ नीचे पुनः उद्धृत कर रहे हैं।

भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का 27 जून 2024 को एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित करने के लिए संसद भवन के लोक सभा कक्ष में आगमन।

माननीय सदस्यगण, मैं 18वीं लोक सभा के सभी नव निर्वाचित सदस्यों को बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। आप सभी यहां देश के मतदाताओं का विश्वास जीतकर आए हैं। देशसेवा और जनसेवा का ये सौभाग्य बहुत कम लोगों को

मिलता है। मुझे पूरा विश्वास है, आप राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ अपना दायित्व निभाएंगे, 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम बनेंगे। मैं श्री ओम बिरला जी को लोक सभा के अध्यक्ष की गौरवपूर्ण भूमिका के निर्वहन के लिए शुभकामनाएं देती हूं। उनके पास सार्वजनिक जीवन का बहुत व्यापक अनुभव है। मुझे विश्वास है कि वे लोकतांत्रिक परंपराओं को अपने कौशल से नई ऊंचाई देने में सफल होंगे।

माननीय सदस्यगण, मैं आज कोटि-कोटि देशवासियों की तरफ से भारत के चुनाव आयोग का भी आभार व्यक्त करती हूं। ये दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था। करीब 64 करोड़ मतदाताओं ने उत्साह और उमंग के साथ अपना कर्तव्य निभाया है। इस बार भी महिलाओं ने बढ़-चढ़ कर मतदान में हिस्सा लिया है। इस चुनाव की बहुत सुखद तस्वीर जम्मू-कश्मीर से भी सामने आई है। कश्मीर घाटी में वोटिंग के अनेक दशकों के रिकॉर्ड टूटे हैं। बीते 4 दशकों में कश्मीर में हमने बंद और हड़ताल के बीच कम मतदान का दौर ही देखा था। भारत के दुश्मन, इसको वैश्विक मंचों पर जम्मू-कश्मीर की राय के रूप में दुष्प्रचारित करते रहे। लेकिन इस बार कश्मीर घाटी ने, देश और दुनिया में ऐसी हर ताकत को करारा जवाब दिया है। पहली बार, इस लोक सभा चुनाव में घर पर जाकर भी मतदान कराया गया है। मैं लोक सभा चुनाव से जुड़े हर कर्मी की सराहना करती हूं, उनका अभिनंदन करती हूं।

माननीय सदस्यगण, 2024 के लोक सभा चुनाव की चर्चा आज पूरी दुनिया में है। दुनिया देख रही है कि भारत के लोगों ने लगातार तीसरी बार स्थिर और स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई है। छ: दशक बाद ऐसा हुआ है। ऐसे समय में जब भारत के लोगों की आकांक्षाएं सर्वोच्च स्तर पर हैं, लोगों ने मेरी सरकार पर लगातार तीसरी बार भरोसा जताया है। भारत के लोगों को ये पूर्ण विश्वास है कि उनकी आकांक्षाएं सिर्फ मेरी सरकार ही पूरा कर सकती है। इसलिए 2024 का ये चुनाव नीति, नीयत, निष्ठा और निर्णयों पर विश्वास का चुनाव रहा है। मजबूत और निर्णायक सरकार में विश्वास, सुशासन, स्थिरता और निरंतरता में विश्वास, ईमानदारी और कड़ी मेहनत में विश्वास, सुरक्षा और समृद्धि में विश्वास, सरकार की गारंटी और डिलीवरी पर विश्वास, विकसित भारत के संकल्प में विश्वास। मेरी सरकार ने 10 वर्षों से सेवा और सुशासन का जो मिशन चलाया है, ये उस पर मुहर है। ये जनादेश है कि भारत को विकसित बनाने का काम बिना रुके चलता रहे और भारत अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करे।

माननीय सदस्यगण, 18वीं लोक सभा कई मायनों में एक ऐतिहासिक लोक सभा है। ये लोक सभा अमृतकाल के शुरुआती वर्षों में गठित हुई है। ये लोक सभा, देश के संविधान को अपनाने के 75वें वर्ष की भी साक्षी बनेगी। मुझे विश्वास है कि इस लोक सभा में जन कल्याण के फैसलों का नवीन अध्याय लिखा जाएगा। आगामी सत्र में मेरी सरकार अपने इस कार्यकाल का पहला बजट पेश करने जा रही है। ये बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और **फ्यूचरिस्टिक विजन** का एक प्रभावी दस्तावेज़ होगा। इस बजट में बड़े आर्थिक और सामाजिक निर्णयों के साथ ही अनेक ऐतिहासिक कदम भी देखने को मिलेंगे। भारत के तेज विकास की जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए रिफॉर्म की गति अब और तेज की जाएगी। मेरी सरकार का मत है कि दुनियाभर से निवेशकों को आकर्षित करने के लिए राज्यों में स्वस्थ स्पर्धा हो। यही कंपटीटिव को-ऑपरेटिव फेडरलिज्म की सच्ची स्पिरिट है। राज्य के विकास से देश का विकास, इसी भावना के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे।

माननीय सदस्यगण, **रिफॉर्म, परफॉर्म** और **ट्रांसफॉर्म** के संकल्प ने आज भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना दिया है। 10 साल में भारत 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से ऊपर उठकर पांचवें नंबर पर पहुंचा है। साल 2021 से लेकर साल 2024 के बीच भारत ने औसतन 8 प्रतिशत की रफ्तार से विकास किया है और ये ग्रोथ सामान्य समय में नहीं हुई है। बीते वर्षों में हमने 100 साल की सबसे बड़ी आपदा देखी है। वैश्विक महामारी के कालखंड और विश्व के अलग-अलग कोनों में चल रहे संघर्षों के बावजूद भारत ने ये विकास दर हासिल की है। ये बीते 10 साल के रिफॉर्म्स और राष्ट्रहित में लिए गए बड़े फैसलों के कारण संभव हुआ है। आज भारत अकेले ही दुनिया की ग्रोथ में 15 प्रतिशत का योगदान दे रहा है। अब मेरी सरकार भारत को विश्व की तीसरे नंबर की इकॉनॉमी बनाने में जुटी हुई है। इस लक्ष्य की प्राप्ति विकसित भारत की नींव को भी मजबूत करने का काम करेगी।

माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार अर्थव्यवस्था के तीनों स्तंभों - **मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज** और **एग्रीकल्चर** को बराबर महत्व दे रही है। **पीएलआई** स्कीम्स और **ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस** से बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। पारंपरिक सेक्टर्स के साथ-साथ सनराईज सेक्टर्स को भी मिशन मोड पर बढ़ावा दिया जा रहा है। चाहे सेमीकंडक्टर हो या सोलर हो, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल हों या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हों, चाहे ग्रीन हाईड्रोजन हो या बैटरीज हों, चाहे एयरक्राफ्ट

कैरीयर हो या फाइटर जेट्स हों, भारत इन सब सेक्टर्स में अपना विस्तार कर रहा है। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करने के लिए भी मेरी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सरकार सर्विस सेक्टर को भी मजबूत करने में जुटी है। आज आईटी से लेकर टूरिज्म तक, हेल्थ से लेकर वेलनेस तक हर सेक्टर में भारत लीडर बन रहा है और इससे बड़ी संख्या में रोजगार और स्वरोजगार के नए मौके बन रहे हैं।

माननीय सदस्यगण, पिछले 10 वर्षों में मेरी सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के हर पहलू पर बहुत जोर दिया गया है। गांवों में कृषि आधारित उद्योगों, डेयरी और फिशरीज़ आधारित उद्योगों का विस्तार किया जा रहा है। इसमें भी सहकारिता को प्राथमिकता दी गई है। सरकार, किसान उत्पाद संघ— एफपीओ और पीएसीएस (पैक्स) जैसे सहकारी संगठनों का एक बड़ा नेटवर्क बना रही है। छोटे किसानों की बड़ी समस्या भंडारण से जुड़ी होती है। इसलिए मेरी सरकार ने सहकारिता क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण योजना पर काम शुरु किया है। किसान अपने छोटे खर्चे पूरे कर सकें, इसके लिए पीएम किसान सम्मान निधि के तहत उन्हें 3 लाख 20 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा राशि दी जा चुकी है। मेरी सरकार के नए कार्यकाल के शुरुआती दिनों में ही किसानों को 20 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। सरकार ने खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में भी रिकॉर्ड वृद्धि की है।

माननीय सदस्यगण, आज का भारत, अपनी वर्तमान जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपनी कृषि व्यवस्था में बदलाव कर रहा है। हम ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर हों और ज्यादा से ज्यादा निर्यात से किसानों की आमदनी बढ़े, इस सोच के साथ नीतियां बनाई गई हैं, निर्णय लिए गए हैं। जैसे सरकार दलहन और तिलहन में दूसरे देशों पर निर्भरता कम करने के लिए देश के किसानों को हर संभव मदद दे रही है। ग्लोबल मार्केट में किस तरह के फूड प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है, उसके आधार पर नई रणनीति बनाई जा रही है। आजकल ऑर्गेनिक उत्पादों को लेकर दुनिया में डिमांड तेज़ी से बढ़ रही है। भारत के किसानों के पास इस डिमांड को पूरा करने की भरपूर क्षमता है। इसलिए सरकार प्राकृतिक खेती और इससे जुड़े उत्पादों की सप्लाई चेन को सशक्त कर रही है। ऐसे प्रयासों से किसानों का खेती पर होने वाला खर्च भी कम होगा और उनकी आय भी और बढ़ेगी।

माननीय सदस्यगण, आज का भारत, दुनिया की चुनौतियां बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि दुनिया को समाधान देने के लिए जाना जाता है। विश्व-बंधु के तौर पर भारत ने अनेक वैश्विक समस्याओं के समाधान को लेकर पहल की है। जलवायु परिवर्तन से लेकर खाद्य सुरक्षा तक, पोषण से लेकर सस्टेनबल एग्रीकल्चर तक हम अनेक समाधान दे रहे हैं। हमारे मोटे अनाज - श्री अन्न - की पहुंच सुपरफूड के तौर पर दुनिया के कोने-कोने में हो, इसके लिए भी अभियान चल रहा है। भारत की पहल पर, पूरी दुनिया ने वर्ष 2023 में इंटरनेशनल मिलेट्स इयर मनाया है। आपने देखा है, हाल ही में पूरी दुनिया ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया है। भारत की इस महान परंपरा की प्रतिष्ठा विश्व में लगातार बढ़ रही है। योग और आयुष को बढ़ावा देकर भारत एक स्वस्थ विश्व के निर्माण में मदद कर रहा है। मेरी सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता भी कई गुना बढ़ाई है। हम जलवायु से जुड़े लक्ष्यों को निर्धारित समय से पहले प्राप्त करके दिखा रहे हैं। नेट जीरो के लिए आज भारत के प्रयास कई दूसरे देशों को प्रेरित कर रहे हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसी पहल पर आज रिकॉर्ड संख्या में दुनिया के देश हमारे साथ जुड़े हैं।

माननीय सदस्यगण, आने वाला समय ग्रीन एरा यानि हरित युग का है। मेरी सरकार इसके लिए भी हर ज़रूरी कदम उठा रही है। हम हरित उद्योगों पर निवेश बढ़ा रहे हैं, जिससे ग्रीन जॉब्स भी बढ़े हैं। ग्रीन एनर्जी हो या फिर ग्रीन मोबिलिटी, हर मोर्चे पर हम बड़े लक्ष्यों के साथ काम कर रहे हैं। मेरी सरकार अपने शहरों को दुनिया के बेहतरीन लिविंग स्पेस बनाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। प्रदूषण से मुक्त, साफ-सुथरे और सुविधा युक्त शहरों में रहना भारत के नागरिकों का हक है। विशेष रूप से छोटे शहरों और कस्बों में बीते 10 वर्षों में अभूतपूर्व निवेश किया गया है। भारत में आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है। अप्रैल 2014 में भारत में सिर्फ 209 एयरलाइन रूट्स थे। अप्रैल 2024 में इनकी संख्या बढ़कर 605 हो गई है। हवाई यात्रा में हो रहे इस विस्तार का सीधा लाभ टीयर-2, टीयर-3 शहरों को हो रहा है। 10 वर्षों में देश के 21 शहरों तक मेट्रो सुविधाएं पहुंची हैं। वंदे मेट्रो जैसी कई योजनाओं पर काम चल रहा है। भारत का पब्लिक ट्रांसपोर्ट, दुनिया में बेहतरीन हो, इस लक्ष्य के साथ मेरी सरकार काम कर रही है।

माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार उन आधुनिक मानदंडों पर काम कर रही है, जिससे भारत विकसित देशों के सामने बराबरी से खड़ा हो सके। इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास इस दिशा में बदलते भारत की नई तस्वीर के रूप में उभरा है। मेरी

सरकार ने 10 वर्षों में पीएम ग्रामीण सड़क योजना के तहत गांवों में 3 लाख 80 हज़ार किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनाई हैं। आज भारत में नेशनल हाईवेज और एक्सप्रेसवेज का जाल बिछ रहा है। नेशनल हाईवे बनाने की गति में भी दोगुने से अधिक की वृद्धि हुई है। अहमदाबाद-मुंबई के बीच हाई-स्पीड रेल इकोसिस्टम का निर्माण कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। मेरी सरकार ने उत्तर, दक्षिण और पूर्वी भारत में बुलेट ट्रेन कॉरिडोर्स के लिए फीज़िबिलिटी स्टडीज़ शुरू करने का फैसला किया है। पहली बार देश में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास पर इतने व्यापक रूप से काम शुरू हुआ है। इसका बड़ा लाभ नॉर्थ ईस्ट को होगा। मेरी सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए 10 वर्षों में आबंटन में 4 गुना से अधिक की वृद्धि की है। सरकार इस क्षेत्र को ऐक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत स्ट्रैटेजिक गेटवे बनाने के लिए काम कर रही है। नॉर्थ ईस्ट में हर तरह की कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, रोजगार, हर क्षेत्र में विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। असम में 27 हज़ार करोड़ रुपए की लागत से सेमीकंडक्टर प्लांट बनाया जा रहा है। यानि नॉर्थ ईस्ट, मेड इन इंडिया चिप्स का भी सेंटर होने वाला है। मेरी सरकार नॉर्थ ईस्ट में स्थाई शांति के लिए निरंतर काम कर रही है। पिछले दस वर्षों में अनेक पुराने विवादों को हल किया गया है, अनेक अहम समझौते हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट में अशांत क्षेत्रों में तेज विकास करके चरणबद्ध तरीके से अफस्पा (एएफएसपीए) हटाने का काम भी जारी है। देश के हर क्षेत्र में विकास के ये नए आयाम भारत के भविष्य का उद्घोष कर रहे हैं।

माननीय सदस्यगण, विमेन-लेड डेवलपमेंट के लिए समर्पित मेरी सरकार ने महिला सशक्तिकरण के एक नए युग की शुरूआत की है। देश की नारीशक्ति लंबे समय तक लोक सभा और विधान सभा में अधिक भागीदारी की मांग कर रही थी। आज उनके पास नारी शक्ति वंदन अधिनियम की ताकत है। सरकार की योजनाओं की वजह से पिछले एक दशक में महिलाओं का आर्थिक सामर्थ्य बढ़ा है। आप जानते हैं कि बीते 10 वर्ष में बने 4 करोड़ पीएम आवास में से ज्यादातर महिलाओं के नाम ही आबंटित हुए हैं। अब तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही सरकार ने 3 करोड़ नए घर बनाने को स्वीकृति दे दी है। इनमें से भी अधिकतर घर महिलाओं के नाम पर ही आबंटित होंगे। बीते 10 वर्षों में 10 करोड़ महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स से जुड़ी हैं। मेरी सरकार ने 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का एक व्यापक अभियान चलाया है। इसके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को आर्थिक मदद भी बढ़ाई जा रही है। सरकार का प्रयास है कि महिलाओं का कौशल बढ़े, कमाई के साधन बढ़ें और उनका सम्मान बढ़े। नमो ड्रोन दीदी योजना इस लक्ष्य की पूर्ति में सहायक बन रही है। इस योजना के तहत हज़ारों सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं को ड्रोन दिए जा रहे हैं, ड्रोन पायलट बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है। मेरी सरकार ने हाल में ही कृषि सखी कार्यक्रम भी शुरु किया है। इसके तहत अभी तक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की 30 हज़ार महिलाओं को कृषि सखी के रूप में प्रमाण पत्र दिए गए हैं। कृषि सखियों को आधुनिक खेती की तकनीक में प्रशिक्षित किया जा रहा है, ताकि वे कृषि को और आधुनिक बनाने में किसानों की मदद कर सकें।

माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार का ये भी प्रयास है कि महिलाएं अधिक से अधिक बचत कर सकें। बैंक खातों में जमा राशि पर बेटियों को ज्यादा ब्याज देने वाली सुकन्या समृद्धि योजना की लोकप्रियता से हम परिचित हैं। मुफ्त राशन और सस्ते गैस सिलेंडर की योजना से महिलाओं को बहुत लाभ हो रहा है। अब मेरी सरकार बिजली का बिल ज़ीरो करने और बिजली बेचकर कमाई करने की योजना भी लाई है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत घर की छत पर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। इसके लिए मेरी सरकार प्रति परिवार 78 हजार रुपए तक की मदद कर रही है। इतने कम समय में एक करोड़ से ज्यादा परिवार इस योजना में रजिस्टर करा चुके हैं। जिन घरों में सोलर पैनल लग चुके हैं अब वहां बिजली का बिल ज़ीरो हो गया है।

माननीय सदस्यगण, विकसित भारत का निर्माण तभी संभव है जब देश के गरीब, युवा, नारीशक्ति और किसान सशक्त होंगे। इसलिए मेरी सरकार की योजनाओं में सर्वोच्च प्राथमिकता इन्हीं चार स्तंभों को दी जा रही है। हमारी कोशिश, इन तक हर सरकारी योजना का लाभ पहुंचाने की है, और यही सैचुरेशन की अप्रोच है। जब सरकार इस इच्छाशक्ति के साथ काम करे कि सरकारी योजना से एक भी व्यक्ति छूटे नहीं, तो इसका लाभ सभी को होता है। सरकार की योजनाओं एवं सैचुरेशन अप्रोच के कारण ही 10 वर्षों में 25 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकले हैं। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, हर समाज, हर क्षेत्र के परिवार हैं। 10 वर्षों में लास्ट माइल डिलिवरी पर फोकस ने इन वर्गों का जीवन बदल दिया है। विशेषकर आदिवासी समाज में ये बदलाव और भी स्पष्ट नज़र आ रहा है। 24 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक की पीएम-जनमन जैसी योजना आज अति पिछड़े जनजातीय समूहों के उत्थान का माध्यम बन रही है। सरकार, पीएम सूरज पोर्टल के माध्यम से वंचित वर्गों तक आजीविका के अवसरों को पहुंचाने के लिए सुलभ ऋण भी उपलब्ध करा रही है। मेरी सरकार,

दिव्यांग भाइयों और बहनों के लिए, किफायती और स्वदेशी सहायक उपकरण विकसित कर रही है। देश भर में प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्रों का भी विस्तार किया जा रहा है। वंचितों की सेवा का ये संकल्प ही सच्चा सामाजिक न्याय है।

माननीय सदस्यगण, देश की श्रमशक्ति के सम्मान के लिए श्रमिक बंधुओं का कल्याण और सशक्तिकरण मेरी सरकार की प्राथमिकता है। मेरी सरकार श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को एकीकृत कर रही है। डिजिटल इंडिया तथा डाकघरों के नेटवर्क का उपयोग करके दुर्घटना और जीवन बीमा के कवरेज को बढ़ाने का काम हो रहा है। पीएम स्वनिधि का विस्तार किया जाएगा और ग्रामीण और सेमी अर्बन क्षेत्रों के रेहड़ी-पटरी वाले भाई-बहनों को भी इसके दायरे में लाया जाएगा।

माननीय सदस्यगण, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि किसी भी समाज की प्रगति समाज के निचले तबकों की प्रगति पर निर्भर करती है। पिछले 10 वर्षों में राष्ट्र की उपलब्धियों और विकास का आधार गरीब का सशक्तिकरण रहा है। मेरी सरकार ने पहली बार गरीब को ये अहसास करवाया कि सरकार उसकी सेवा में है। कोरोना के कठिन समय में सरकार ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की। इस योजना का लाभ उन परिवारों को भी मिल रहा है जो गरीबी से बाहर निकले हैं, ताकि उनके कदम वापस पीछे न जाएं। स्वच्छ भारत अभियान ने भी गरीब के जीवन की गरिमा से लेकर उसके स्वास्थ्य तक को राष्ट्रीय महत्व का विषय बनाया है। पहली बार देश में करोड़ों गरीबों के लिए शौचालय बनाए गए। ये प्रयास हमें आश्वस्त करते हैं कि देश आज महात्मा गांधी के आदर्शों का सच्चे अर्थों में अनुसरण कर रहा है। मेरी सरकार 55 करोड़ लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध करवा रही है। देश में 25 हजार जन औषधि केंद्रों को खोलने का काम भी तेजी से चल रहा है। अब इस क्षेत्र में सरकार एक और निर्णय लेने जा रही है। अब आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज का लाभ 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी मिलेगा।

माननीय सदस्यगण, अक्सर विरोधपरक मानसिकता और संकीर्ण स्वार्थ के कारण लोकतंत्र की मूल भावना का बहुत अहित हुआ है। इसका प्रभाव संसदीय प्रणाली पर भी पड़ता है और देश की विकास यात्रा पर भी पड़ता है। देश में कई दशकों तक अस्थिर सरकारों के दौर में कई सरकारें चाहते हुए भी न रिफॉर्म कर पाईं और न ही आवश्यक निर्णय ले पाईं। भारत की जनता ने निर्णायक बनकर इस स्थिति को बदला है। बीते 10 वर्ष में ऐसे अनेक रिफॉर्म हुए हैं जिनका बहुत लाभ देश को आज मिल रहा है। जब ये रिफॉर्म किए जा रहे थे, तब भी इनका विरोध किया गया था, नकारात्मकता फैलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये सारे रिफॉर्म समय की कसौटी पर खरे साबित हुए हैं। 10 साल पहले भारत के बैंकिंग सेक्टर को डूबने से बचाने के लिए सरकार ने बैंकिंग रिफॉर्म किए, आईबीसी जैसे कानून बनाए। आज इन्हीं रिफॉर्म ने भारत के बैंकिंग सेक्टर को दुनिया के सबसे मजबूत बैंकिंग सेक्टर्स में से एक बना दिया है। हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक आज मजबूत और लाभदायक हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का लाभ 2023-24 में 1.4 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 35 प्रतिशत अधिक है। हमारे बैंकों की मजबूती उन्हें ऋण आधार का विस्तार करने और राष्ट्र के आर्थिक विकास में योगदान करने के लिए सक्षम बनाती है। सरकारी बैंकों का एनपीए भी लगातार कम हो रहा है। आज एसबीआई रिकॉर्ड मुनाफे में है। आज एलआईसी पहले से कहीं अधिक मज़बूत है। आज एचएएल भी देश की डिफेंस इंडस्ट्री को ताकत दे रहा है। आज जीएसटी, भारत की इकॉनॉमी को फॉर्मलाइज़ करने का, व्यापार-कारोबार को आसान बनाने का माध्यम बना है। अप्रैल महीने में पहली बार जीएसटी कलेक्शन ने 2 लाख करोड़ रुपए का स्तर पार किया है। इससे राज्यों की आर्थिक ताकत भी बढ़ी है। डिजिटल इंडिया और डिजिटल पेमेंट्स के प्रति भी आज पूरा विश्व आकर्षित हो रहा है।

माननीय सदस्यगण, एक सशक्त भारत के लिए हमारे सैन्यबलों में आधुनिकता जरूरी है। युद्ध की स्थिति में हम सर्वश्रेष्ठ रहें, इसके लिए सेनाओं में रिफॉर्म की प्रक्रिया निरंतर जारी रहनी चाहिए। इसी सोच के साथ मेरी सरकार ने बीते 10 वर्षों में डिफेंस सेक्टर में अनेक रिफॉर्म किए हैं। सीडीएस जैसे रिफॉर्म ने हमारी सेनाओं को नई मजबूती दी है। मेरी सरकार ने डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज के रिफॉर्म से डिफेंस सेक्टर को बहुत लाभ हुआ है। 40 से अधिक ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज को 7 निगमों में संगठित करने से इनकी क्षमता और दक्षता दोनों बढ़ी हैं। ऐसे ही रिफॉर्म के कारण भारत आज 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की डिफेंस मैन्यूफैक्चरिंग कर रहा है। पिछले एक दशक में, हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 18 गुना अधिक होकर 21 हज़ार करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। फिलीपीन्स के साथ ब्रह्मोस मिसाइल का रक्षा सौदा, डिफेंस एक्सपोर्ट के क्षेत्र में भारत की पहचान मज़बूत कर रहा है। सरकार ने युवाओं और उनके स्टार्टअप्स को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भर डिफेंस सेक्टर की मजबूत नींव तैयार की है। मेरी सरकार उत्तर प्रदेश और

तमिलनाडु में दो डिफेंस कॉरिडोर्स भी विकसित कर रही है। हम सभी के लिए ये खुशी की बात है कि पिछले वर्ष हमारी सैन्य जरूरतों की लगभग 70 प्रतिशत खरीद भारतीय उद्योगों से ही की गई है। हमारी सेनाओं ने 500 से अधिक सैन्य साजो-सामान को विदेशों से नहीं मंगाना तय किया है। ये सभी हथियार और उपकरण अब सिर्फ भारतीय कंपनियों से ही खरीदे जा रहे हैं। मेरी सरकार ने सैनिकों के हितों को भी हमेशा प्राथमिकता दी है। तभी 4 दशक के बाद वन रैंक वन पेंशन को लागू किया गया। इसके तहत अब तक 1 लाख 20 हजार करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। शहीद सैनिकों के सम्मान के लिए सरकार ने कर्तव्यपथ के एक छोर पर नेशनल वॉर मेमोरियल की स्थापना भी की है। ये प्रयास केवल वीर जवानों के प्रति कृतज्ञ राष्ट्र का नमन ही नहीं हैं, बल्कि राष्ट्र प्रथम की अनवरत प्रेरणा का स्रोत भी हैं।

माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार देश के हर युवा को बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने के लिए ज़रूरी माहौल बनाने में जुटी है। बीते 10 वर्ष में ऐसे हर अवरोध को हटाया गया है जिसके कारण युवाओं को परेशानी थी। पहले अपने ही प्रमाण पत्र को अटेस्ट कराने के लिए युवाओं को भटकना पड़ता था। अब युवा सेल्फ अटेस्ट करके काम करते हैं। केंद्र सरकार की ग्रुप-सी, ग्रुप-डी भर्तियों से इंटरव्यू को खत्म किया गया है। पहले जो विद्यार्थी सिर्फ भारतीय भाषाओं में पढ़ाई करते थे, उनके साथ अन्याय की स्थिति थी। मेरी सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर, इस अन्याय को दूर करने के लिए कदम उठाए हैं। युवाओं को अब भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग की पढ़ाई का विकल्प भी मिला है। विगत 10 वर्षों में देश में 7 नए आईआईटी, 16 आईआईआईटी, 7 आईआईएम, 15 नए एम्स, 315 मेडिकल कॉलेज और 390 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। मेरी सरकार इन संस्थानों को और मजबूत बनाकर आवश्यकता के अनुसार इनकी संख्या को भी बढ़ाएगी। सरकार एक डिजिटल विश्वविद्यालय बनाने की दिशा में भी काम कर रही है। **अटल टिंकरिंग लैब्स, स्टार्ट-अप इंडिया** और **स्टैंड-अप इंडिया** जैसे अभियान हमारे युवाओं का सामर्थ्य बढ़ा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों से आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा **स्टार्ट-अप ईकोसिस्टम** बन चुका है।

माननीय सदस्यगण, सरकार का ये निरंतर प्रयास है कि देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का उचित अवसर मिले। सरकारी भर्ती हो या फिर परीक्षाएं, किसी भी कारण से इनमें रुकावट आए, ये उचित नहीं है। इनमें शुचिता और पारदर्शिता बहुत ज़रूरी है। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। इससे पहले भी हमने देखा है कि कई राज्यों में पेपर-लीक की घटनाएं होती रही हैं। इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की ज़रूरत है। संसद ने भी परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों के विरुद्ध एक सख्त कानून बनाया है। मेरी सरकार परीक्षाओं से जुड़ी संस्थाओं, उनके कामकाज के तरीके, परीक्षा प्रक्रिया, सभी में बड़े सुधार करने की दिशा में काम कर रही है।

माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार ने युवाओं की राष्ट्र निर्माण में भागीदारी और बढ़ाने के लिए 'मेरा युवा भारत - **माई भारत** अभियान' की शुरुआत भी की है। इसमें अब तक डेढ़ करोड़ से अधिक युवाओं का पंजीकरण हो चुका है। इस पहल से युवाओं में नेतृत्व कौशल और सेवा भावना का बीजारोपण होगा। आज हमारे युवाओं को खेलों में भी आगे बढ़ने के नए अवसर मिल रहे हैं। मेरी सरकार के प्रभावी प्रयासों का परिणाम है कि भारत के युवा खिलाड़ी वैश्विक मंचों पर रिकॉर्ड संख्या में मेडल्स जीत रहे हैं। कुछ ही दिनों बाद पेरिस ओलंपिक भी शुरू होने जा रहा है। ओलंपिक्स में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले हर खिलाड़ी पर हमें गर्व है। मैं उन्हें अपनी शुभकामनाएं देती हूं। इन उपलब्धियों को और आगे ले जाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी की तैयारी भी कर रहा है।

माननीय सदस्यगण, जुलाई की पहली तारीख से देश में भारतीय न्याय संहिता भी लागू हो जाएगी। अंग्रेज़ी राज में गुलामों को दंड देने की मानसिकता थी। दुर्भाग्य से आज़ादी के अनेक दशकों तक गुलामी के दौर की यही दंड व्यवस्था चलती रही। इसे बदलने की चर्चा अनेक दशकों से की जा रही थी, लेकिन ये साहस भी मेरी सरकार ने ही करके दिखाया है। अब दंड की जगह न्याय को प्राथमिकता होगी, जो हमारे संविधान की भी भावना है। इन नए कानूनों से न्याय प्रक्रिया में तेज़ी आएगी। आज जब देश, अलग-अलग क्षेत्रों में गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पा रहा है तब ये उस दिशा में बहुत बड़ा कदम है और ये हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को सच्ची श्रद्धांजलि भी है। मेरी सरकार ने सीएए कानून के तहत शरणार्थियों को नागरिकता देना शुरू कर दिया है। इससे बंटवारे से पीड़ित अनेक परिवारों के लिए सम्मान का जीवन जीना तय हुआ है। जिन परिवारों को सीएए के तहत नागरिकता मिली है मैं उनके बेहतर भविष्य की कामना करती हूं।

माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार भविष्य निर्माण के प्रयासों के साथ ही भारतीय संस्कृति के वैभव और विरासत को फिर से स्थापित कर रही है। हाल में नालंदा यूनिवर्सिटी के भव्य कैंपस के रूप में इसमें एक नया अध्याय जुड़ा है। नालंदा सिर्फ एक यूनिवर्सिटी मात्र नहीं थी, बल्कि वो वैश्विक ज्ञान केंद्र के रूप में भारत के गौरवशाली अतीत का प्रमाण थी। मुझे विश्वास है कि नई नालंदा यूनिवर्सिटी, भारत को ग्लोबल नॉलेज हब बनाने में सहायक सिद्ध होगी। मेरी सरकार का ये प्रयास है कि भावी पीढ़ियों को हज़ारों वर्षों की हमारी विरासत प्रेरणा देती रहे। इसलिए पूरे देश में तीर्थस्थलों को, आस्था और अध्यात्म के केंद्रों को सजाया-संवारा जा रहा है।

माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार, विकास के साथ ही विरासत पर भी उतना ही गर्व करते हुए काम कर रही है। विरासत पर गर्व का ये संकल्प आज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वंचित वर्ग और सर्वसमाज के गौरव का प्रतीक बन रहा है। मेरी सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की। अब अगले वर्ष भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को पूरे देश में धूम धाम से मनाया जाएगा। देश, रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती को भी व्यापक स्तर पर मना रहा है। पिछले महीने ही देश ने रानी अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जयंती का साल भर चलने वाला महोत्सव भी शुरू किया है। इससे पहले सरकार गुरु नानक देव जी का 550वां और गुरु गोबिन्द सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व भी धूमधाम से मना चुकी है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव से काशी तमिल संगमम्, सौराष्ट्र तमिल संगमम् जैसे उत्सवों की परिपाटी भी मेरी ही सरकार ने शुरू की है। इन आयोजनों से हमारी नई पीढ़ियों को राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा मिलती है, और राष्ट्र पर गर्व का भाव और मजबूत होता है।

माननीय सदस्यगण, हमारी सफलताएं हमारी साझी धरोहर हैं। इसलिए, उन्हें अपनाने में संकोच नहीं स्वाभिमान होना चाहिए। आज अनेक सेक्टर्स में भारत बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। ये उपलब्धियां हमें हमारी प्रगति और सफलताओं पर गर्व करने के अपार अवसर देती हैं। जब भारत डिजिटल पेमेंट्स के मामले में दुनिया में अच्छा प्रदर्शन करता है, तो हमें गर्व होना चाहिए। जब भारत के वैज्ञानिक, चंद्रयान को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलता से उतारते हैं, तो हमें गर्व होना चाहिए। जब भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती इकॉनॉमी बनता है, तो हमें गर्व होना चाहिए। जब भारत, इतना बड़ा चुनाव अभियान, बिना बड़ी हिंसा और अराजकता के पूरा कराए, तो भी हमें गर्व होना चाहिए। आज पूरा विश्व हमें **मदर ऑफ डेमोक्रेसी** के रूप में सम्मान देता है। भारत के लोगों ने हमेशा लोकतंत्र के प्रति अपना पूर्ण विश्वास प्रकट किया है, चुनाव से जुड़ी संस्थाओं पर पूरा भरोसा जताया है। स्वस्थ लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए हमें इस विश्वास को सहेज कर रखना है, इसकी रक्षा करनी है। हमें याद रखना होगा, लोकतांत्रिक संस्थाओं और चुनावी प्रक्रिया पर लोगों के विश्वास को चोट पहुंचाना उसी डाल को काटने जैसा है जिस पर हम सब बैठे हैं। हमारे लोकतंत्र की विश्वसनीयता को ठेस पहुंचाने की हर कोशिश की सामूहिक आलोचना होनी चाहिए। हम सभी को वो दौर याद है जब बैलट पेपर छीन लिया जाता था, लूट लिया जाता था। मतदान प्रक्रिया को सुरक्षित बनाने के लिए ईवीएम को अपनाने का फैसला किया गया था। पिछले कई दशकों में ईवीएम ने सुप्रीम कोर्ट से लेकर जनता की अदालत तक हर कसौटी को पार किया है।

माननीय सदस्यगण, मैं आप सभी सदस्यों से अपनी कुछ और चिंताएं भी साझा करना चाहती हूं। मैं चाहूंगी कि आप सभी इन विषयों पर चिंतन-मनन करके इन विषयों पर ठोस और सकारात्मक परिणाम देश को दें। आज की संचार क्रांति के युग में विघटनकारी ताकतें, लोकतंत्र को कमजोर करने और समाज में दरारें डालने की साजिशें रच रही हैं। ये ताकतें देश के भीतर भी हैं और देश के बाहर से भी संचालित हो रही हैं। इनके द्वारा अफवाह फैलाने का, जनता को भ्रम में डालने का, **मिसइन्फ़ॉर्मेशन** का सहारा लिया जा रहा है। इस स्थिति को ऐसे ही बेरोक-टोक नहीं चलने दिया जा सकता। आज के समय में टेक्नॉलॉजी हर दिन और उन्नत हो रही है। ऐसे में मानवता के विरुद्ध इनका गलत उपयोग बहुत घातक है। भारत ने विश्व मंच पर भी इन चिंताओं को प्रकट किया है और एक ग्लोबल फ्रेमवर्क की वकालत की है। हम सभी का दायित्व है कि इस प्रवृत्ति को रोकें, इस चुनौती से निपटने के लिए नए रास्ते खोजें।

माननीय सदस्यगण, 21वीं सदी के इस तीसरे दशक में आज ग्लोबल ऑर्डर एक नई शक्ल ले रहा है। मेरी सरकार के प्रयासों से आज भारत, विश्व बंधु के रूप में दुनिया को नया भरोसा दे रहा है। मानव-केंद्रित अप्रोच रखने की वजह से भारत आज किसी भी संकट के समय **फर्स्ट रेस्पॉन्डर** और **ग्लोबल साउथ** की बुलंद आवाज बना है। कोरोना का महासंकट हो, भूकंप जैसी कोई त्रासदी हो या फिर युद्ध की स्थितियां, भारत मानवता को बचाने में आगे रहा है। भारत को देखने का विश्व का नज़रिया कैसे बदला है, ये इटली में हुई जी-7 समिट में भी हम सभी ने अनुभव किया है। भारत ने अपनी जी-20

अध्यक्षता के दौरान भी विश्व को अनेक मुद्दों पर एकजुट किया। भारत की अध्यक्षता के दौरान ही अफ्रीकन यूनियन को जी-20 का स्थाई सदस्य बनाया गया है। इससे अफ्रीका महाद्वीप के साथ-साथ पूरे ग्लोबल साउथ का भरोसा मज़बूत हुआ है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पर चलते हुए, भारत ने पड़ोसी देशों के साथ अपने रिश्तों को मज़बूत किया है। सात पड़ोसी देशों के नेताओं का 9 जून को केन्द्रीय मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेना मेरी सरकार की इस प्राथमिकता को दर्शाता है। भारत, सबका साथ-सबका विकास की भावना के साथ, इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के देशों के साथ भी सहयोग बढ़ा रहा है। पूर्वी एशिया हो या फिर मिडिल-ईस्ट और यूरोप, मेरी सरकार कनेक्टिविटी पर बहुत बल दे रही है। भारत के विजन ने ही इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को आकार देना शुरू किया है। ये कॉरिडोर, 21वीं सदी के सबसे बड़े गेमचेंजर्स में से एक सिद्ध होगा।

माननीय सदस्यगण, आने वाले कुछ महीनों में भारत एक गणतंत्र के रूप में 75 वर्ष पूरे करने जा रहा है। भारत का संविधान, बीते दशकों में हर चुनौती, हर कसौटी पर खरा उतरा है। जब संविधान बन रहा था, तब भी दुनिया में ऐसी ताकतें थीं, जो भारत के असफल होने की कामना कर रही थीं। देश में संविधान लागू होने के बाद भी संविधान पर अनेक बार हमले हुए। आज 27 जून है। 25 जून, 1975 को लागू हुआ आपातकाल, संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। तब पूरे देश में हाहाकार मच गया था। लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त करके दिखाया क्योंकि भारत के मूल में गणतंत्र की परंपराएं रही हैं। मेरी सरकार भी भारत के संविधान को सिर्फ राजकाज का माध्यम भर नहीं मानती, बल्कि हमारा संविधान जन-चेतना का हिस्सा हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इसी ध्येय के साथ मेरी सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाना शुरू किया है। अब भारत के उस भूभाग, हमारे जम्मू-कश्मीर में भी संविधान पूरी तरह लागू हो गया है, जहां आर्टिकल 370 की वजह से स्थितियां कुछ और थीं।

माननीय सदस्यगण, राष्ट्र की उपलब्धियों का निर्धारण इस बात से होता है कि हम अपने दायित्वों का निर्वहन कितनी निष्ठा से कर रहे हैं। 18वीं लोक सभा में कई नए सदस्य पहली बार संसदीय प्रणाली का हिस्सा बने हैं। पुराने सदस्य भी नए उत्साह के साथ आए हैं। आप सभी जानते हैं कि आज का समय हर प्रकार से भारत के लिए बहुत अनुकूल है। आने वाले वर्षों में भारत की सरकार और संसद क्या निर्णय लेती हैं, क्या नीतियां बनाती हैं, इस पर पूरे विश्व की नज़र है। इस अनुकूल समय का अधिक से अधिक लाभ देश को मिले, ये दायित्व सरकार के साथ-साथ संसद के हर सदस्य का भी है। पिछले 10 वर्षों में जो रिफॉर्म हुए हैं, जो नया आत्मविश्वास देश में आया है, उससे हम विकसित भारत बनाने के लिए नई गति प्राप्त कर चुके हैं। हम सभी को ये हमेशा ध्यान रखना है कि विकसित भारत का निर्माण देश के हर नागरिक की आकांक्षा है, संकल्प है। इस संकल्प की सिद्धि में अवरोध पैदा न हो, ये हम सभी का दायित्व है। नीतियों का विरोध और संसदीय कामकाज का विरोध, दो भिन्न बातें हैं। जब संसद सुचारू रूप से चलती है, जब यहां स्वस्थ चर्चा-परिचर्चा होती है, जब दूरगामी निर्णय होते हैं, तब लोगों का विश्वास सिर्फ सरकार ही नहीं पूरी व्यवस्था पर बनता है। इसलिए मुझे भरोसा है कि संसद के पल-पल का सदुपयोग होगा, जनहित को प्राथमिकता मिलेगी।

माननीय सदस्यगण, हमारे वेदों में हमारे ऋषियों ने हमें "समानो मंत्र: समिति: समानी" की प्रेरणा दी है। अर्थात्, हम एक समान विचार और लक्ष्य लेकर एक साथ काम करें। यही इस संसद की मूल भावना है। इसलिए जब भारत तीसरे नंबर की इकॉनॉमी बनेगा तो देश की इस सफलता में आपकी भी सहभागिता होगी। हम जब 2047 में आज़ादी की शताब्दी का उत्सव विकसित भारत के रूप में मनाएंगे, तो इस पीढ़ी को भी श्रेय मिलेगा। आज हमारे युवाओं में जो सामर्थ्य है, आज हमारे संकल्पों में जो निष्ठा है, हमारी जो असंभव सी लगने वाली उपलब्धियां हैं, ये इस बात का प्रमाण हैं कि आने वाला दौर भारत का दौर है। ये सदी भारत की सदी है, और इसका प्रभाव आने वाले एक हजार वर्षों तक रहेगा। आइए, हम सब मिलकर पूर्ण कर्तव्यनिष्ठा के साथ, राष्ट्रीय संकल्पों की सिद्धि में जुट जाएं, विकसित भारत बनाएं।

आप सभी को बहुत शुभकामनाएं!

धन्यवाद,
जय हिन्द!
जय भारत!

संसदीय घटनाक्रम और कार्यकलाप

सम्मेलन और संगोष्ठियां

ब्रिक्स संसदों के अंतर्राष्ट्रीय मामलों संबंधी समितियों के सभापतियों की बैठक: 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच 2024 की तैयारी के संदर्भ में, ब्रिक्स संसदों की अंतर्राष्ट्रीय मामलों संबंधी समितियों के सभापतियों की प्रारंभिक बैठक 11 से 12 अप्रैल 2024 तक मास्को, रूसी संघ में आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता रूसी संघ की संसद ने की थी। एक भारतीय संसदीय शिष्टमंडल जिसमें राज्य सभा के दो सदस्य श्रीमती ममता मोहंता और डॉ. सिकंदर कुमार, शामिल थे, ने उपर्युक्त प्रारंभिक बैठक में भाग लिया।

10वें विश्व जल मंच के अवसर पर संसदीय बैठक: भारतीय संसदीय शिष्टमंडल जिसमें राज्य सभा के दो सदस्य, डॉ. कनिमोझी एनवीएन सोमू और डॉ. अशोक कुमार मित्तल शामिल थे, ने 19 से 21 मई 2024 तक इंडोनेशिया के बाली के नुसा दुआ में 10वें विश्व जल फोरम के अवसर पर आयोजित संसदीय बैठक में भाग लिया। यह कार्यक्रम इंडोनेशियाई हॉउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्स और अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था।

शासन संबंधी सीपीए कार्यकारी समूह की वर्चुअल बैठक: शासन संबंधी सीपीए कार्यकारी समूह की वर्चुअल बैठक 18 अप्रैल 2024 को आयोजित की गई। लोक सभा सदस्य और सीपीए भारत क्षेत्र के कार्यकारी समूह के सदस्य श्री अनुराग शर्मा ने बैठक में भाग लिया। चर्चा का एजेंडा गैर-धर्मार्थ सीपीए के गठन, सीपीए की स्थिति संबंधी विधान और लंदन से सीपीए मुख्यालय के स्थानांतरण पर केंद्रित था।

सीपीए क्षेत्रीय सचिवों की वर्चुअल बैठक: सीपीए क्षेत्रीय सचिवों की संबंधी वर्चुअल बैठक 2 मई 2024 को आयोजित की गई। लोक सभा के महासचिव श्री उत्पल कुमार सिंह सीपीए भारत क्षेत्र के क्षेत्रीय सचिव हैं। तथापि, लोक सभा सचिवालय के निदेशक डॉ युमनाम अरुण कुमार ने वैकल्पिक क्षेत्रीय सचिव के रूप में बैठक में भाग लिया। बैठक में सीपीए के विभिन्न मामलों जैसे सीपीए की कानूनी स्थिति, सीपीए मुख्यालय लंदन का स्थानांतरण, वर्चुअल सीपीए कार्यकारी समिति की बैठक की तैयारी और सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में 3 से 8 नवंबर 2024 तक होने वाले आगामी 67वें सीपीसी की तैयारी पर चर्चा की गई।

सीपीए की वित्त संबंधी उप-समिति की वर्चुअल बैठक: सीपीए की वित्त संबंधी उप-समिति की वर्चुअल बैठक 7 मई 2024 को संपन्न हुई। उत्तराखंड विधान सभा की अध्यक्ष श्रीमती ऋतु खंडूरी भूषण, जो सीपीए इंडिया क्षेत्र की कार्यकारी समिति की सदस्य भी हैं, ने बैठक में भाग लिया। बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ सीपीए की वार्षिक रिपोर्ट, सदस्यता शुल्क, बजट, आर्थिक सहायता आदि जैसे वित्तीय मामलों के बारे में चर्चा की गई।

सीपीए की योजना और समीक्षा संबंधी उप-समिति की वर्चुअल बैठक: सीपीए की योजना और समीक्षा संबंधी उप-समिति की एक वर्चुअल बैठक 7 मई 2024 को आयोजित की गई। असम विधान सभा के अध्यक्ष श्री बिश्वजीत दैमारी और सीपीए भारत क्षेत्र से कार्यकारी समिति के सदस्य ने बैठक में भाग लिया। बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ कार्यान्वयन योजना वर्षांत समीक्षा 2023-2024, सीपीए द्वारा आयोजित किए जाने वाले भविष्य के कार्यक्रम पर प्रगति और आगे की योजना के बारे में चर्चा की गई। बैठक में सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में नवंबर 2024 में होने वाले आगामी 67वें सीपीसी की तैयारी के बारे में भी चर्चा की गई, जिसमें विषय आधारित सत्र भी शामिल हैं, और जिन पर उक्त सम्मेलन के दौरान विचार-विमर्श किया जाएगा।

सीपीए की कार्यकारी समिति की वर्चुअल बैठक: सीपीए की कार्यकारी समिति की वर्चुअल बैठक 8 मई 2024 को संपन्न हुई। सीपीए भारत क्षेत्र से सीपीए कार्यकारी समिति के सदस्य श्री बिस्वजीत दैमारी, अध्यक्ष, असम विधान सभा और

श्रीमती ऋतु खंडूरी भूषण, अध्यक्ष, उत्तराखंड विधान सभा ने बैठक में भाग लिया। लोक सभा के सदस्य श्री अनुराग शर्मा ने सीपीए के कोषाध्यक्ष के रूप में बैठक में भाग लिया। बैठक में सीपीए से संबंधित विभिन्न मामलों पर चर्चा की गई जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ योजना और समीक्षा उप-समिति और वित्त उप-समिति की रिपोर्टें, सीपीए की स्थिति संबंधी मामलें, सीपीए मुख्यालय लंदन का स्थानांतरण और एक नए गैर-धर्मार्थ सीपीए का गठन शामिल था।

संसद का शो राउंड

संसद के शो राउंड का आयोजन निम्नलिखित गण्यमान्य व्यक्तियों/शिष्टमंडलों के लिए आयोजित किया गया: (एक) 9 अप्रैल 2024 को इज़राइल के प्रशिक्षु अधिकारी; (दो) 30 अप्रैल 2024 को क्रोएशियाई अधिकारियों का शिष्टमंडल; (तीन) 8 मई 2024 को पापुआ न्यू गिनी के प्रशासनिक सेवा मंत्री माननीय श्री रेचर्ड मासारे के नेतृत्व में पापुआ न्यू गिनी से बारह सदस्यीय मंत्रिस्तरीय शिष्टमंडल; (चार) 9 मई 2024 को भूटान के 15 पत्रकारों का एक शिष्टमंडल; (पांच) 22 मई 2024 को कंबोडिया के मिनिस्ट्री ऑफ इंस्पेक्शन के अधिकारियों का द्विपक्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम; और (छह) 7 जून 2024 को नीदरलैंड सरकार के 12 एडीशनल सेक्रेटरी, नीदरलैंड किंगडम के दूतावास के ऐम्बेसडर, डिप्टी ऐम्बेस्डर और नीदरलैंड किंगडम के दूतावास के अधिकारी।

राष्ट्रीय नेताओं की जयंती

संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में जिन राष्ट्रीय नेताओं के चित्र सुशोभित हैं उनकी जयंती के अवसर पर और लोक सभा के पूर्व अध्यक्षों की जयंती के अवसर पर भारतीय संसदीय समूह (आईपीजी) के तत्वावधान में उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस अवसर पर लोक सभा सचिवालय के ग्रन्थालय, संदर्भ, शोध, प्रलेखन और सूचना सेवा (लार्डिस) द्वारा इन नेताओं के जीवन-वृत्त पर तैयार की गई पुस्तिकाएं वितरित की जाती हैं।

1 अप्रैल से 30 जून 2024 की अवधि के दौरान निम्नलिखित नेताओं की जयंती मनाई गई:

डॉ. बी. आर. अंबेडकर: डॉ. बी. आर. अंबेडकर की जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल 2024 को संसद भवन परिषर में एक समारोह आयोजित किया गया। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू; भारत के उपराष्ट्रपति और राज्य सभा के सभापति श्री जगदीप धनखड़; प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने संसद भवन परिसर में डॉ. बी.आर. अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की।

तत्पश्चात, लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला, राज्य सभा के उपसभापति श्री हरिवंश, संसद सदस्यों और पूर्व संसद सदस्यों ने संविधान सदन के केन्द्रीय कक्ष में डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की।

पंडित मोतीलाल नेहरू: पंडित मोतीलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर 6 मई 2024 को *संविधान सदन* के केंद्रीय कक्ष में एक समारोह आयोजित किया गया। गणमान्य व्यक्तियों ने पंडित मोतीलाल नेहरू के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की।

गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर: गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती के अवसर पर 8 मई 2024 को *संविधान सदन* के केंद्रीय कक्ष में एक समारोह आयोजित किया गया। लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला; राज्य सभा के उपसभापति, श्री हरिवंश; संसद सदस्यों, पूर्व संसद सदस्यों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने गुरूदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की।

डॉ. नीलम संजीव रेड्डी: डॉ. नीलम संजीव रेड्डी की जयंती के अवसर पर 19 मई 2024 को *संविधान सदन* के केंद्रीय कक्ष में एक समारोह आयोजित किया गया। गणमान्य व्यक्तियों ने लोक सभा के पूर्व अध्यक्ष डॉ नीलम संजीव रेड्डी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की।

स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर: स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती के अवसर पर 28 मई 2024 को *संविधान सदन* के केंद्रीय कक्ष में एक समारोह आयोजित किया गया। लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला; राज्य सभा के उपसभापति, श्री हरिवंश; संसद सदस्यों, पूर्व संसद सदस्यों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की।

के. एस. हेगड़े: श्री के.एस. हेगड़े की जयंती के अवसर पर 11 जून 2024 को *संविधान सदन* के केंद्रीय कक्ष में एक समारोह आयोजित किया गया। उपसभापति, राज्य सभा, श्री हरिवंश; संसद सदस्यों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने लोक सभा के पूर्व अध्यक्ष श्री के.एस. हेगड़े के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की।

संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान (प्राइड)

1 अप्रैल से 30 जून 2024 की अवधि के दौरान, संसदीय लोकतंत्र शोध और प्रशिक्षण संस्थान(प्राइड) ने सदस्यों/शिष्टमंडलों/परिवीक्षार्थियों/गणमान्य व्यक्तियों/अधिकारियों के लिए निम्नलिखित पाठ्यक्रम/कार्यक्रम/समारोह आयोजित किए:

एक. परिबोधन पाठ्यक्रम:: संसदीय प्रक्रिया और पद्धति में दो परिबोधन कार्यक्रम आयोजित किए गए: (एक) 13 से 14 मई 2024 तक सैन्य इंजीनियरिंग सेवा (एमईएस) के बत्तीस अधिकारी/परिवीक्षाधीन अधिकारियों ने भाग लिया।

दो. लोक सभा/राज्य सभा और राज्य विधानमंडल सचिवालयों के अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण कार्यक्रम: (एक) लोक सभा सचिवालय के तेईस अधिकारियों ने 1 से 5 अप्रैल, 2024 तक राष्ट्रीय लेखापरीक्षा और लेखा अकादमी (एनएएए), शिमला (हिमाचल प्रदेश) में "लेखा परीक्षा और लेखा" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया; (दो) लोक सभा सचिवालय के एक सौ सत्तासी अधिकारियों और कर्मचारियों ने 3, 19 अप्रैल और 3 मई 2024 को "कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के संबंध में जेंडर संवेदीकरण और जागरूकता" विषय पर आयोजित कार्यशाला में भाग लिया; (तीन) लोक सभा सचिवालय के एक सौ पचपन मल्टी-टास्किंग स्टाफ/वर्क अटेंडेंट ने 8, 9 अप्रैल और 3 जून 2024 को सॉफ्ट स्किल्स में मूल्य संवर्धन कार्यक्रम सह कार्यशाला में भाग लिया; (चार) लोक सभा सचिवालय के 85 अधिकारियों ने 15 से 30 अप्रैल 2024 तक सचिवालय की संसदीय समितियों में क्षमता निर्माण कार्यक्रम में भाग लिया; (पांच) लोक सभा सचिवालय की मुद्रण और प्रकाशन सेवा में कार्यरत बत्तीस अधिकारियों/कर्मचारियों ने 19 से 23 अप्रैल और 24 से 26 अप्रैल 2024 तक प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर: इनडिजाइन और एडोब एक्रोबेट रीडर संबंधी क्षमता निर्माण कार्यक्रम में भाग लिया; (छः) लोक सभा, राज्य सभा और राज्य विधानमंडल सचिवालयों के इक्यावन अधिकारियों ने 23 से 26 अप्रैल 2024 तक प्रश्नों, विधायी और बजटीय प्रक्रिया से संबंधित क्षमता निर्माण कार्यक्रम में भाग लिया; (सात) लोक सभा सचिवालय की मुद्रण और प्रकाशन सेवा में कार्यरत पंद्रह अधिकारियों/कर्मचारियों ने 29 अप्रैल से 3 मई 2024 तक प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर, कोरलड्रा 23 पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम में भाग लिया; (आठ) बिहार विधानसभा के चार अधिकारियों ने 8 से 9 मई 2024 तक लोक सभा सचिवालय में डिजिटलीकरण पर अध्ययन दौरे में भाग लिया; (नौ) लोक सभा, राज्य सभा और राज्य विधानमंडल सचिवालयों के पचास अधिकारियों ने 14 से 17 मई 2024 तक समिति रिपोर्टों और समिति प्रबंधन के प्रारूपण में क्षमता निर्माण कार्यक्रम में भाग लिया; (दस) लोक सभा सचिवालय के एक सौ पर्यवेक्षी स्तर के अधिकारियों ने 22 मई 2024 को "संगठनात्मक नेतृत्व और टीम निर्माण" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया; (ग्यारह) पीएंडएओ, आईएफयू और बीएंडपी, लोक सभा सचिवालय के पचहत्तर अधिकारियों ने 27 से 31 मई 2024 तक बिल, भुगतान और वित्त संबंधी मामलों में कार्य करने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम में भाग लिया; और (बारह) लोक सभा, राज्य सभा और राज्य विधानमंडल सचिवालयों के पैंतीस अधिकारियों ने 5 से 7 जून 2024 तक नयाचार, समन्वय और संपर्क सेवा प्रदान करने वाले क्षमता निर्माण कार्यक्रम में भाग लिया।

तीन. मंत्रालयों के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम: (एक) केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस), केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस) और भारत सरकार की अन्य सेवाओं के एक सौ तिरपन नवचयनित सहायक अनुभाग अधिकारियों (एएसओ) ने 1 मई 2024 को आईएसटीएम, नई दिल्ली में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे "संसदीय कार्य प्रबंधन" पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।

चार. अध्ययन दौरे/प्रशिक्षण कार्यक्रम (अंतर्राष्ट्रीय): (एक) जाम्बिया की नेशनल असेंबली के पांच क्लर्क और अन्य सदस्यों ने 8 से 10 अप्रैल 2024 तक प्रबोधन कार्यक्रम में भाग लिया; (दो) सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली में व्यावसायिक पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले बत्तीस विदेशी राजनयिकों ने 23 अप्रैल 2024 को अध्ययन दौरे में भाग लिया; (तीन) बांग्लादेश की संसद के बीस अधिकारियों ने 30 अप्रैल 2024 को ढाका में 'वित्तीय निरीक्षण समिति से संबंधित गतिविधियों के लिए लेखांकन और लेखा परीक्षा का मूल सिद्धांत' पर आयोजित ऑनलाइन प्रशिक्षण सत्र में भाग लिया; (चार) मालदीव गणराज्य की संसद की पीपुल्स मजलिस के नौ अधिकारियों ने 6 से 10 मई 2024 तक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया; (पांच) नेशनल असेंबली सर्विस कमिशन (एनएएससी), नाइजीरिया के बारह अधिकारियों ने 7 से 9 मई 2024 तक क्षमता निर्माण कार्यक्रम में भाग लिया; (छः) संगठन, आईआईएमयूएन (इंडियाज इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस) के माध्यम से विभिन्न स्कूलों/संस्थानों के एक सौ तिरासी विदेशी छात्रों/शिक्षकों और समन्वयकों/अतिथियों ने 9 मई 2024 को अध्ययन दौरे में भाग लिया; और (सात) युवा, जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गनाईजेशन (जेआईटीओ), अहमदाबाद के सड़सढ़ सदस्यीय शिष्टमंडल ने 1 जून 2024 को अध्ययन दौरे में भाग लिया।

अध्ययन दौरे (राष्ट्रीय) (ख): इस अवधि के दौरान तैंतालीस अध्ययन दौरे (राष्ट्रीय) संपन्न हुए।

सदस्य संदर्भ सेवा

सदस्य संदर्भ सेवा मुख्य रूप से संसद सदस्यों के दैनिक संसदीय कार्य से संबंधित सूचनाओं की आवश्यकता की पूर्ति करती है। यह सेवा सभा के समक्ष प्रस्तुत महत्वपूर्ण मुद्दों और विधेयकों/अध्यादेशों पर संदर्भ टिप्पण और विधायी टिप्पण प्रकाशित करती है।

1 अप्रैल से 30 जून 2024 की अवधि के दौरान, संसद सदस्यों से कुल 69 संदर्भ अनुरोध प्राप्त हुए जिनमें से 63 संदर्भ ऑफ़लाइन और 6 संदर्भ ऑनलाइन थे और उनका निपटान किया गया।

प्रक्रिया संबंधी मामले

लोक सभा

प्रथम सत्र

ऐसे दृष्टांत जब कार्यसूची में शामिल प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किए गए: 26 जून 2024 की कार्यसूची में शामिल सभी 16 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। पहला प्रस्ताव प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रस्तुत किया और रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने इसका समर्थन किया। इसमें लोक सभा अध्यक्ष पद के लिए श्री ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा गया। इस प्रस्ताव पर मतदान हुआ और इसे अंगीकार कर लिया गया। अन्य प्रस्तावों पर मतदान नहीं हुआ। तदनुसार, श्री ओम बिरला को 18वीं लोक सभा का अध्यक्ष चुना गया।

ऐसे दृष्टांत जब अध्यक्ष द्वारा सभापतियों का पैनल गठित/पुनर्गठित किया गया: 24 जून 2024 को, अठारहवीं लोक सभा की पहली बैठक में, प्रोटेम स्पीकर, श्री भर्तृहरि महताब ने घोषणा की कि भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने सर्वश्री कोडिकुन्नील सुरेश, टी.आर. बालू. राधा मोहन सिंह, फग्गन सिंह कुलस्ते और सुदीप बंदोपाध्याय को ऐसे व्यक्तियों के रूप में नियुक्त किया जिनके समक्ष लोक सभा के सदस्य शपथ ले सकते हैं या प्रतिज्ञान कर सकते हैं और उस पर हस्ताक्षर कर सकते हैं।

अध्यक्ष का चुनाव 26 जून 2024 को हुआ। 1 जुलाई 2024 को अध्यक्ष ने घोषणा की कि उन्होंने सभापतियों के पैनल में निम्नलिखित सदस्यों को नामित किया है:

(1) श्री जगदम्बिका पाल

(2) श्री पी.सी.मोहन

(3) श्रीमती संध्या राय

(4) श्री दिलीप शइकीया

(5) कुमारी शैलजा

(6) श्री ए. राजा

(7) डॉ. काकोली घोष दस्तीदार

(8) श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी

(9) श्री अवधेश प्रसाद

ऐसे दृष्टांत जब अध्यक्ष द्वारा 15 मिनट के भीतर पर्ची के माध्यम से धन्यवाद प्रस्ताव पर संशोधन प्रस्तुत करने की घोषणा की गई: अठारहवीं लोक सभा के प्रथम सत्र के दौरान, भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 27 जून 2024 को संसद भवन के लोक सभा कक्ष में संसद के 'दोनों सदनों को एक साथ संबोधित किया। बड़ी संख्या में संशोधन प्राप्त हुए। 1 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के बाद, अध्यक्ष ने 15 मिनट के भीतर पर्ची के माध्यम से संशोधन प्रस्तुत करने की घोषणा की। कुल 116 संशोधन प्रस्तुत किए गए।

एक

राष्ट्रपति के अभिभाषण के स्थल के रूप में लोक सभा कक्ष के उपयोग के संबंध में अध्यक्षपीठ की टिप्पणी: 27 जून 2024 को माननीय अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

“माननीय सदस्यगण, जैसा कि आप जानते हैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 87 के अनुसार, लोक सभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम संत्र की शुरुआत में, माननीय राष्ट्रपति दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करते हैं दोनों सदनों के सभी सदस्य बिना किसी असुविधा के राष्ट्रपति के अभिभाषण में भाग ले सकें इसके लिए सदन की ओर से मैं लोक सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के नियम 384 में छूट देते हुए राष्ट्रपति के अभिभाषण स्थल के रूप में इस सदन का उपयोग करने के प्रस्ताव से सहमत हूं। मुझे उम्मीद है कि सदन इससे सहमत होगा।”

दो

लोक सभा कक्ष में सदस्यगणों द्वारा शपथ/प्रतिज्ञान के संबंध में अध्यक्षपीठ की टिप्पणी: 1 जुलाई 2024 को माननीय अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

"माननीय सदस्यगण, इस गरिमामय सदन के सदस्य के रूप में शपथ लेने और प्रतिज्ञान करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 99 और संविधान की तीसरी अनुसूची में एक प्रारूप निर्दिष्ट है, जिसके अनुसार शपथ लेना या प्रतिज्ञान करना संसद सदस्यों का संवैधानिक दायित्व है। हमारे संविधान में शपथ या प्रतिज्ञान की पवित्रता, गरिमा और मर्यादा निहित है। अगर संसद सदस्य अपनी शपथ या प्रतिज्ञान के आरंभ या अंत में बहुत ज्यादा शब्द या वाक्य बोलते हैं, तो इससे हमारे संविधान की गरिमा और मर्यादा कम होती है। संसद सदस्य होने के नाते यह हमारी जिम्मेदारी है। यह हम सबकी ज़िम्मेदारी है। यह हमारी ज़िम्मेदारी है कि हमारे किसी भी आचरण से यह गरिमा कम न हो। इसलिए, मैं सभी सद्स्यों से आग्रह करना चाहूँगा कि वे संविधान की भावना के अनुरूप, संविधान की तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट प्रपत्र के अनुसार शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने का संकल्प लें। यह सदन संकल्प करता है कि प्रत्येक माननीय सदस्य संविधान की तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट प्रपत्र के अनुसार शपथ लेंगे। इस मामले पर विचार-विमर्श के बाद एक संसदीय समिति भी गठित की जाएगी, जिसमें मुख्य दलों को शामिल किया जाएगा और यह अपेक्षा की जाएगी कि हम संविधान की गरिमा के अनुरूप शपथ लें या प्रतिज्ञान करें और भविष्य में इस तरह की बात न दोहराई जाए। मैं सभी सदस्यों से आग्रह करना चाहूंगा कि वे संकल्प लें कि भविष्य में इस तरह की प्रथा न दोहराई जाए। यह गंभीर चिंता का विषय है और हम सभी के लिए और सदन के लिए एक गंभीर मुद्दा है।

संसदीय और संवैधानिक घटनाक्रम

(1 अप्रैल से 30 जून 2024)

इस स्तंभ में शामिल घटनाक्रम मुख्य रूप से संघ और राज्य विधानमंडलों, भारत के चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइटों और दैनिक समाचारपत्रों में प्रकाशित रिपोर्टों सहित सार्वजनिक रूप से (पब्लिक डोमेन) उपलब्ध जानकारी पर आधारित हैं। अतः इनके सटीक, प्रमाणिक या सत्य होने या न होने के लिए लोक सभा सचिवालय उत्तरदायी नहीं है।

भारत

संघ का घटनाक्रम

अठारहवीं लोक सभा चुनाव: नयी लोक सभा (अठारहवीं लोक सभा) के गठन के लिए आम चुनाव सात चरणों में, अर्थात 19 और 26 अप्रैल एवं 7, 13, 20 और 25 मई और 1 जून 2024 को सम्पन्न हुए। परिणाम 4 जून 2024 को घोषित किए गए। चुनाव के बाद दलीय स्थिति इस प्रकार है:

दल का नाम	**सीट**
भारतीय जनता पार्टी	240
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	99
समाजवादी पार्टी	37
अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस	29
द्रविड़ मुनेत्र कषगम	22
तेलुगु देशम पार्टी	16
जनता दल (यूनाइटेड)	12
शिव सेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे)	9
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार	8
शिव सेना	7
लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास)	5
युवाजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी	4
राष्ट्रीय जनता दल	4
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)	4
इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग	3
आम आदमी पार्टी	3
झारखंड मुक्ति मोर्चा	3
जनसेना पार्टी	2
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) (लिबरेशन)	2
जनता दल (सेक्युलर)	2
विदुथलाई चैरुथाइगल काची	2
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी	2
राष्ट्रीय लोकदल	2
जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस	2

दल का नाम	सीट
यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी, लिबरल	1
असम गण परिषद	1
हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर)	1
केरल कांग्रेस	1
रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी	1
नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी	1
वॉयस ऑफ द पीपल पार्टी	1
ज़ोरम पीपुल्स मूवमेंट	1
शिरोमणि अकाली दल	1
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी	1
भारत आदिवासी पार्टी	1
सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा	1
मरुमलार्ची द्रविड़ मुनेत्र कषगम	1
आजाद समाज पार्टी (कांशीराम)	1
अपना दल (सोनेलाल)	1
आजसू पार्टी	1
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन	1
निर्दलीय	7
कुल	543

लोक सभा सदस्य का निधन : 28 मार्च 2024 को, तमिलनाडु के इरोड से द्रविड़ मुनेत्र कषगम के सदस्य श्री ए. गणेशमूर्ति का निधन हो गया।

24 अप्रैल, 2024 को उत्तर प्रदेश के हाथरस से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य श्री राजवीर दिलेर का निधन हो गया।

29 अप्रैल, 2024 को कर्नाटक के चामराजनगर से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद का निधन हो गया।

13 मई 2024 को तमिलनाडु के नागपट्टिनम से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य श्री एम. सेल्वराज का निधन हो गया।

लोक सभा से त्यागपत्र: निम्नलिखित सदस्यों ने लोक सभा से त्यागपत्र दे दिया:

क्र. सं.	नाम	निर्वाचन क्षेत्र	राज्य	तिथि
1.	श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल	जलगांव	महाराष्ट्र	29.04.2024
2.	श्री कराडी सनगन्ना अमरप्पा	कोप्पल	कर्नाटक	29.04.2024
3.	श्री भर्तृहरि महताब	कटक	ओडिशा	02.06.2024
4.	श्री राहुल गांधी	वायनाड	केरल	18.06.2024

प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल का त्यागपत्र: 5 जून 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मंत्रिपरिषद के साथ भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को अपना त्यागपत्र सौंप दिया।

सत्रहवीं लोक सभा का विघटन: 5 जून 2024 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने सत्रहवीं लोक सभा को भंग कर दिया।

अठारहवीं लोक सभा का गठन: 6 जून 2024 को निर्वाचन आयोग द्वारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 73 के अंतर्गत अधिसूचना जारी करने के साथ अठारहवीं लोक सभा का गठन किया गया।

प्रधानमंत्री की नियुक्ति: 9 जून 2024 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने श्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदी को तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया।

प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण: 9 जून 2024 को श्री नरेन्द्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ 30 अन्य कैबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और 36 राज्य मंत्रियों ने भी पद की शपथ ली।

मंत्रिपरिषद के नाम और उनके विभाग[1] निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	**कैबिनेट मंत्री**	**आवंटित मंत्रालय**
1.	श्री राज नाथ सिंह	रक्षा मंत्रालय
2.	श्री अमित शाह	गृह मंत्रालय; सहकारिता मंत्रालय
3.	श्री नितिन जयराम गडकरी	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
4.	श्री जगत प्रकाश नड्डा	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय; रसायन और उर्वरक मंत्रालय
5.	श्री शिवराज सिंह चौहान	कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय; ग्रामीण विकास मंत्रालय
6.	श्रीमती निर्मला सीतारमण	वित्त मंत्रालय; कारपोरेट कार्य मंत्रालय
7.	डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर	विदेश मंत्रालय
8.	श्री मनोहर लाल	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय; विद्युत मंत्रालय
9.	श्री एच. डी. कुमारास्वामी	भारी उद्योग मंत्रालय; इस्पात मंत्रालय
10.	श्री पीयूष गोयल	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
11.	श्री धर्मेन्द्र प्रधान	शिक्षा मंत्रालय
12.	श्री जीतन राम मांझी	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
13.	श्री राजीव रंजन सिंह *उर्फ* ललन सिंह	पंचायती राज मंत्रालय; मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
14.	श्री सर्बानंद सोनोवाल	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
15.	डॉ. वीरेंद्र कुमार	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
16.	श्री किंजरापु राममोहन नायडू	नागर विमानन मंत्रालय
17.	श्री प्रहलाद जोशी	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय; नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
18.	श्री जुएल ओराम	जनजातीय कार्य मंत्रालय
19.	श्री गिरिराज सिंह	वस्त्र मंत्रालय

[1] 10 जून 2024 की स्थिति के अनुसार।

क्र. सं.	कैबिनेट मंत्री	आवंटित मंत्रालय
20.	श्री अश्विनी वैष्णव	रेल मंत्रालय; सूचना और प्रसारण मंत्रालय; इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
21.	श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया	संचार मंत्रालय; उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय
22.	श्री भूपेन्द्र यादव	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
23.	श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत	संस्कृति मंत्रालय; पर्यटन मंत्रालय
24.	श्रीमती अन्नपूर्णा देवी	महिला और बाल विकास मंत्रालय
25.	श्री किरेन रिजिजू	संसदीय कार्य मंत्रालय; अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
26.	श्री हरदीप सिंह पुरी	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
27.	डॉ. मनसुख मांडविया	श्रम और रोजगार मंत्रालय; युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
28.	श्री जी. किशन रेड्डी	कोयला मंत्रालय; खान मंत्रालय
29.	श्री चिराग पासवान	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
30.	श्री सी. आर. पाटिल	जल शक्ति मंत्रालय

क्र. सं.	राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)	आवंटित मंत्रालय
1.	राव इन्द्रजीत सिंह	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय; योजना मंत्रालय; संस्कृति मंत्रालय
2.	डॉ. जितेंद्र सिंह	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय; प्रधानमंत्री कार्यालय; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय; परमाणु ऊर्जा विभाग; अंतरिक्ष विभाग
3.	श्री अर्जुन राम मेघवाल	विधि और न्याय मंत्रालय; संसदीय कार्य मंत्रालय
4.	श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव	आयुष मंत्रालय; स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
5.	श्री जयंत चौधरी	कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय; शिक्षा मंत्रालय

क्र. सं.	राज्य मंत्री	आवंटित मंत्रालय
1.	श्री जितिन प्रसाद	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय; इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
2.	श्री श्रीपाद येसो नाईक	विद्युत मंत्रालय; नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
3.	श्री पंकज चौधरी	वित्त मंत्रालय
4.	श्री कृष्ण पाल	सहकारिता मंत्रालय
5.	श्री रामदास अठावले	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
6.	श्री राम नाथ ठाकुर	कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
7.	श्री नित्यानन्द राय	गृह मंत्रालय
8.	श्रीमती अनुप्रिया पटेल	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय; रसायन और उर्वरक मंत्रालय
9.	श्री वी. सोमन्ना	जल शक्ति मंत्रालय; रेल मंत्रालय
10.	डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी	ग्रामीण विकास मंत्रालय; संचार मंत्रालय
11.	प्रो. एस. पी. सिंह बघेल	मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय; पंचायती राज मंत्रालय
12.	कुमारी शोभा कारान्दलाजे	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय; श्रम और रोजगार मंत्रालय
13.	श्री कीर्ति वर्धन सिंह	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय; विदेश मंत्रालय
14.	श्री बी. एल. वर्मा	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय; सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
15.	श्री शान्तनु ठाकुर	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
16.	श्री सुरेश गोपी	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय; पर्यटन मंत्रालय
17.	डॉ. एल. मुरूगन	सूचना और प्रसारण मंत्रालय; संसदीय कार्य मंत्रालय
18.	श्री अजय टम्टा	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
19.	श्री बंडि संजय कुमार	गृह मंत्रालय
20.	श्री कमलेश पासवान	ग्रामीण विकास मंत्रालय
21.	श्री भागीरथ चौधरी	कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
22.	श्री सतीश चंद्र दुबे	कोयला मंत्रालय; खान मंत्रालय
23.	श्री संजय सेठ	रक्षा मंत्रालय
24.	श्री रवनीत सिंह	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय; रेल मंत्रालय

क्र. सं.	राज्य मंत्री	आवंटित मंत्रालय
25.	श्री दुर्गा दास उइके	जनजातीय कार्य मंत्रालय
26.	श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे	युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
27.	डॉ. सुकान्त मजूमदार	शिक्षा मंत्रालय; उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय
28.	श्रीमती सावित्री ठाकुर	महिला और बाल विकास मंत्रालय
29.	श्री तोखन साहू	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
30.	डॉ. राज भूषण चौधरी	जल शक्ति मंत्रालय
31.	श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा	भारी उद्योग मंत्रालय; इस्पात मंत्रालय
32.	श्री हर्ष मल्होत्रा	कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय; सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
33.	श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
34.	श्री मुरलीधर मोहोल	सहकारिता मंत्रालय; नागर विमानन मंत्रालय
35.	श्री जॉर्ज कुरियन	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय; मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
36.	श्री पबित्रा मार्गेरिटा	विदेश मंत्रालय; वस्त्र मंत्रालय

संसद का सत्र: अठारहवीं लोक सभा का पहला सत्र और राज्य सभा का दो सौ चौसठवां सत्र क्रमशः 24 जून 2024 और 27 जून 2024 को आरंभ हुआ। लोक सभा और राज्य सभा की कार्यवाही क्रमशः 02 जुलाई 2024 और 03 जुलाई 2024 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई। भारत की राष्ट्रपति, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 4 जुलाई 2024 को लोक सभा और राज्य सभा दोनों का सत्रावसान किया।

सामयिक अध्यक्ष (प्रोटेम स्पीकर) की नियुक्ति: 20 जून 2024 को श्री भर्तृहरि महताब को अठारहवीं लोक सभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया।

अध्यक्ष का चुनाव:26 जून *2024* को श्री ओम बिरला को अठारहवीं लोक सभा का अध्यक्ष चुना गया।

राज्य सभा के सदस्यों का चुनाव:1 अप्रैल से *30* जून *2024* की अवधि के दौरान निम्नलिखित सदस्य राज्य सभा के लिए निर्वाचित हुए:

क्र. सं.	नाम और दल से संबद्धता एवं राज्य	चुनाव की तिथि	कार्यकाल प्रारंभ होने की तिथि	शपथ ग्रहण करने की तिथि
1.	श्री गोला बाबूराव (युवाजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी) आंध्र प्रदेश	20.02.2024	03.04.2024	04.04.2024
2.	श्री मेदा रघुनाधा रेड्डी (युवाजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी) आंध्र प्रदेश	20.02.2024	03.04.2024	04.04.2024
3.	श्री येर्रम वेंकट सुब्बा रेड्डी (युवाजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी) आंध्र प्रदेश	20.02.2024	03.04.2024	04.04.2024

क्र. सं.	नाम और दल से संबद्धता एवं राज्य	चुनाव की तिथि	कार्यकाल प्रारंभ होने की तिथि	शपथ ग्रहण करने की तिथि
4.	श्री अखिलेश प्रसाद सिंह (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस) बिहार	20.02.2024	03.04.2024	27.06.2024
5.	श्रीमती धर्मशीला गुप्ता (भारतीय जनता पार्टी) बिहार	20.02.2024	03.04.2024	03.04.2024
6.	डॉ. भीम सिंह (भारतीय जनता पार्टी) बिहार	20.02.2024	03.04.2024	18.04.2024
7.	श्री मनोज कुमार झा (राष्ट्रीय जनता दल) बिहार	20.02.2024	03.04.2024	03.04.2024
8.	श्री संजय कुमार झा (जनता दल (युनाईटेड)) बिहार	20.02.2024	03.04.2024	04.04.2024
9.	श्री संजय यादव (राष्ट्रीय जनता दल) बिहार	20.02.2024	03.04.2024	03.04.2024
10.	श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह (भारतीय जनता पार्टी) छत्तीसगढ़	20.02.2024	03.04.2024	25.04.2024
11.	श्री गोविंदभाई लालजी भाई धोलकिया (भारतीय जनता पार्टी) गुजरात	20.02.2024	03.04.2024	03.04.2024
12.	श्री जगत प्रकाश नड्डा (भारतीय जनता पार्टी) गुजरात	20.02.2024	03.04.2024	06.04.2024
13.	डॉ. परमार जशवंतसिंह सालमसिंह (भारतीय जनता पार्टी) गुजरात	20.02.2024	03.04.2024	18.04.2024
14.	श्री मयंक भाई जयदेव भाई नायक (भारतीय जनता पार्टी) गुजरात	20.02.2024	03.04.2024	10.04.2024
15.	श्री सुभाष बराला (भारतीय जनता पार्टी) हरियाणा	20.02.2024	03.04.2024	03.04.2024
16.	श्री हर्ष महाजन (भारतीय जनता पार्टी) हिमाचल प्रदेश	27.02.2024	03.04.2024	03.04.2024

क्र. सं.	नाम और दल से संबद्धता एवं राज्य	चुनाव की तिथि	कार्यकाल प्रारंभ होने की तिथि	शपथ ग्रहण करने की तिथि
17.	श्री प्रदीप कुमार वर्मा (भारतीय जनता पार्टी) झारखंड	14.03.2024	04.05.2024	27.06.2024
18.	डॉ. सरफराज़ अहमद (झारखंड मुक्ति मोर्चा) झारखंड	14.03.2024	04.05.2024	27.06.2024
19.	श्री अजय माकन (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस) कर्नाटक	27.02.2024	03.04.2024	04.04.2024
20.	श्री जी.सी. चन्द्रशेखर (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस) कर्नाटक	27.02.2024	03.04.2024	03.04.2024
21.	श्री नारायणसा के. भांडगे (भारतीय जनता पार्टी) कर्नाटक	27.02.2024	03.04.2024	10.04.2024
22.	डॉ. सैयद नसीर हुसैन (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस) कर्नाटक	27.02.2024	03.04.2024	04.04.2024
23.	श्री अशोक सिंह (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस) मध्य प्रदेश	20.02.2024	03.04.2024	03.04.2024
24.	श्री बालयोगी उमेशनाथ (भारतीय जनता पार्टी) मध्य प्रदेश	20.02.2024	03.04.2024	27.06.2024
25.	श्री बंशीलाल गुर्जर (भारतीय जनता पार्टी) मध्य प्रदेश	20.02.2024	03.04.2024	27.06.2024
26.	श्रीमती माया नारोलिया (भारतीय जनता पार्टी) मध्य प्रदेश	20.02.2024	03.04.2024	27.06.2024
27.	डॉ. एल. मुरूगन (भारतीय जनता पार्टी) मध्य प्रदेश	20.02.2024	03.04.2024	03.04.2024
28.	डॉ. मेधा विश्राम कुलकर्णी (भारतीय जनता पार्टी) महाराष्ट्र	20.02.2024	03.04.2024	03.04.2024
29.	डॉ. अजित माधवराव गोपछड़े (भारतीय जनता पार्टी) महाराष्ट्र	20.02.2024	03.04.2024	10.04.2024

क्र. सं.	नाम और दल से संबद्धता एवं राज्य	चुनाव की तिथि	कार्यकाल प्रारंभ होने की तिथि	शपथ ग्रहण करने की तिथि
30.	श्री अशोकराव शंकरराव चव्हाण (भारतीय जनता पार्टी) महाराष्ट्र	20.02.2024	03.04.2024	06.04.2024
31.	श्री मिलिंद मुरली देवरा (शिव सेना) महाराष्ट्र	20.02.2024	03.04.2024	10.04.2024
32.	श्री प्रफुल्ल पटेल (राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी) महाराष्ट्र	20.02.2024	03.04.2024	10.05.2024
33.	श्री चंद्रकांत हंडोर (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस) महाराष्ट्र	20.02.2024	03.04.2024	03.04.2024
34.	श्रीमती सुनेत्रा अजीत पवार (राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी) महाराष्ट्र	18.06.2024	21.06.2024	25.06.2024
35.	श्री अश्विनी वैष्णव (भारतीय जनता पार्टी) ओडिशा	20.02.2024	04.04.2024	04.04.2024
36.	श्री देबाशीष सामंतराय (बीजू जनता दल) ओडिशा	20.02.2024	04.04.2024	04.04.2024
37.	श्री शुभाशीष खुंटिया (बीजू जनता दल) ओडिशा	20.02.2024	04.04.2024	04.04.2024
38.	श्री चुन्नीलाल गरासिया (भारतीय जनता पार्टी) राजस्थान	20.02.2024	04.04.2024	06.04.2024
39.	श्री मदन राठौड़ (भारतीय जनता पार्टी) राजस्थान	20.02.2024	04.04.2024	04.04.2024
40.	श्रीमती सोनिया गांधी (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस) राजस्थान	20.02.2024	04.04.2024	04.04.2024
41.	श्री अनिल कुमार यादव मंदादी (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस) तेलंगाना	20.02.2024	03.04.2024	06.04.2024
42.	श्री रविचंद्र वद्दीराजू (भारत राष्ट्र समिति) तेलंगाना	20.02.2024	03.04.2024	04.04.2024

क्र. सं.	नाम और दल से संबद्धता एवं राज्य	चुनाव की तिथि	कार्यकाल प्रारंभ होने की तिथि	शपथ ग्रहण करने की तिथि
43.	श्रीमती रेणुका चौधरी (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस) तेलंगाना	20.02.2024	03.04.2024	10.04.2024
44.	श्री अमर पाल मौर्य (भारतीय जनता पार्टी) उत्तर प्रदेश	27.02.2024	03.04.2024	10.04.2024
45.	श्रीमती जया अमिताभ बच्चन (समाजवादी पार्टी) उत्तर प्रदेश	27.02.2024	03.04.2024	01.07.2024
46.	श्री तेजवीर सिंह (भारतीय जनता पार्टी) उत्तर प्रदेश	27.02.2024	03.04.2024	25.04.2024
47.	श्री नवीन जैन (भारतीय जनता पार्टी) उत्तर प्रदेश	27.02.2024	03.04.2024	18.04.2024
48.	श्री कँवर रतनजीत प्रताप नारायण सिंह (भारतीय जनता पार्टी) उत्तर प्रदेश	27.02.2024	03.04.2024	04.04.2024
49.	श्री रामजी लाल सुमन (समाजवादी पार्टी) उत्तर प्रदेश	27.02.2024	03.04.2024	10.04.2024
50.	श्रीमती साधना सिंह (भारतीय जनता पार्टी) उत्तर प्रदेश	27.02.2024	03.04.2024	03.04.2024
51.	डॉ. सुधांशु त्रिवेदी (भारतीय जनता पार्टी) उत्तर प्रदेश	27.02.2024	03.04.2024	18.04.2024
52.	डॉ. संगीता बलवन्त (भारतीय जनता पार्टी) उत्तर प्रदेश	27.02.2024	03.04.2024	18.04.2024
53.	श्री संजय सेठ (भारतीय जनता पार्टी) उत्तर प्रदेश	27.02.2024	03.04.2024	10.04.2024
54.	श्री महेंद्र भट्ट (भारतीय जनता पार्टी) उत्तराखंड	20.02.2024	03.04.2024	25.04.2024
55.	श्रीमती ममता ठाकुर (अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस) पश्चिम बंगाल	20.02.2024	03.04.2024	10.04.2024

क्र. सं.	नाम और दल से संबद्धता एवं राज्य	चुनाव की तिथि	कार्यकाल प्रारंभ होने की तिथि	शपथ ग्रहण करने की तिथि
56.	श्री मोहम्मद नदीमुल हक (अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस) पश्चिम बंगाल	20.02.2024	03.04.2024	06.04.2024
57.	श्री सामिक भट्टाचार्य (भारतीय जनता पार्टी) पश्चिम बंगाल	20.02.2024	03.04.2024	04.04.2024
58.	श्रीमती सागरिका घोष (अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस) पश्चिम बंगाल	20.02.2024	03.04.2024	10.04.2024
59.	सुश्री सुष्मिता देव (अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस) पश्चिम बंगाल	20.02.2024	03.04.2024	06.04.2024

*राज्य सभा सदस्यों द्वारा रिक्त की गई सीटें:*1 अप्रैल से 30 जून 2024 तक की अवधि के दौरान रिक्त हुई सीटों का विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	नाम और दल से संबद्धता एवं राज्य	सीट रिक्त होने की तिथि	सीट रिक्त होने का कारण
1.	श्री कामाख्या प्रसाद तासा (भारतीय जनता पार्टी) असम	04.06.2024	लोक सभा के लिए निर्वाचित
2.	श्री सर्बानंद सोनोवाल (भारतीय जनता पार्टी) असम	04.06.2024	लोक सभा के लिए निर्वाचित
3.	श्रीमती मीसा भारती (राष्ट्रीय जनता दल) बिहार	04.06.2024	लोक सभा के लिए निर्वाचित
4.	श्री विवेक ठाकुर (भारतीय जनता पार्टी) बिहार	04.06.2024	लोक सभा के लिए निर्वाचित
5.	श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस) हरियाणा	04.06.2024	लोक सभा के लिए निर्वाचित
6.	श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया (भारतीय जनता पार्टी) मध्य प्रदेश	04.06.2024	लोक सभा के लिए निर्वाचित
7.	श्री छ. उदयनराजे प्रतापसिंह महाराज भोंसले, (भारतीय जनता पार्टी) महाराष्ट्र	04.06.2024	लोक सभा के लिए निर्वाचित

क्र. सं.	नाम और दल से संबद्धता एवं राज्य	सीट रिक्त होने की तिथि	सीट रिक्त होने का कारण
8.	श्री पीयूष गोयल (भारतीय जनता पार्टी) महाराष्ट्र	04.06.2024	लोक सभा के लिए निर्वाचित
9.	श्री के.सी. वेणुगोपाल (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस) राजस्थान	04.06.2024	लोक सभा के लिए निर्वाचित
10.	श्री बिप्लब कुमार देब (भारतीय जनता पार्टी) त्रिपुरा	04.06.2024	लोक सभा के लिए निर्वाचित
11.	डॉ. के. केशव राव (भारत राष्ट्र समिति) तेलंगाना	05.07.2024	त्यागपत्र

राज्यों के घटनाक्रम

आंध्र प्रदेश

विधान सभा चुनाव का परिणाम: 175 सीटों वाली आंध्र प्रदेश राज्य विधान सभा के लिए चुनाव 13 मई 2024 को सम्पन्न हुए। परिणाम 4 जून 2024 को घोषित किए गए। चुनाव के बाद दलीय स्थिति इस प्रकार थी:

दल का नाम	**सीटें**
तेलुगु देशम	135
जनसेना पार्टी	21
युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी	11
भारतीय जनता पार्टी	8
कुल	**175**

मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद द्वारा शपथ ग्रहण: 12 जून 2024 को श्री नारा चंद्रबाबू नायडू ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की।

उसी दिन, चौबीस मंत्रियों नामतः सर्वश्री कोनिडाला पवन कल्याण, नारा लोकेश, किंजरापु अचन्नायडू, कोल्लू रवींद्र, नादेंडला मनोहर, पोंगुरु नारायण, सत्य कुमार यादव, नस्याम मोहम्मद फारूक, अनम रामनारायण रेड्डी, पय्यावुला केशव, अनागनी सत्य प्रसाद, कोलुसु पार्थसारथी, गोट्टीपति रवि कुमार, कंदुला दुर्गेश, बीसी जनार्दन रेड्डी, टी.जी. भरत, वासमसेट्टी सुभाष, कोंडापल्ली श्रीनिवास, मांडिपल्ली रामप्रसाद रेड्डी, डॉ. निम्मला रामानायडू, डॉ. डोला श्री बाला वीरंजनेय स्वामी, श्रीमती अनिता वंगालापुडी, श्रीमती गुम्मीदी संध्या रानी और श्रीमती एस. सविता ने भी शपथ ग्रहण की। राज्यपाल श्री एस. अब्दुल नजीर ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।

अध्यक्ष की नियुक्ति: 22 जून 2024 को श्री सी. अय्यन्नापत्रुडु को आंध्र प्रदेश विधान सभा का अध्यक्ष चुना गया।

अरुणाचल प्रदेश

विधान सभा चुनाव का परिणाम: 60 सीटों वाली अरुणाचल प्रदेश राज्य विधान सभा के लिए 19 अप्रैल 2024 को चुनाव हुए। परिणाम 2 जून 2024 को घोषित किए गए। चुनाव के बाद दलीय स्थिति इस प्रकार थी:

दल का नाम	**सीटें**
भारतीय जनता पार्टी	46
नेशनल पीपुल्स पार्टी	5
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी	3
पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल	2
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	1
निर्दलीय	3
कुल	**60**

मुख्यमंत्री, उप-मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद द्वारा शपथ ग्रहण: 13 जून 2024 को श्री पेमा खांडू ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की और श्री चौना मेन ने उप-मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की।

उसी दिन, दस मंत्रियों नामतः सर्वश्री ओजिंग तासिंग, केंटो जिनी, बालो राजा, मामा नातुंग, पासांग दोरजी सोना, गेब्रियल डेनवांग वांगसु, वांगकी लोवांग, न्यातो डुकम, बियुराम वाहगे और श्रीमती दासंगलू पुल ने भी शपथ ग्रहण की। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनायक ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।

अध्यक्ष की नियुक्ति: 15 जून 2024 को श्री तेसाम पोंग्टे को अरुणाचल प्रदेश विधान सभा का अध्यक्ष चुना गया।

बिहार

विधान सभा उपचुनाव का परिणाम: 4 जून 2024 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) (लिबरेशन) के सदस्य श्री शिव प्रकाश रंजन को 1 जून 2024 को हुए उपचुनाव में अगिआंव विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचित घोषित किया गया।

दिल्ली

मंत्री द्वारा त्यागपत्र : 10 अप्रैल, 2024 को समाज कल्याण मंत्री श्री राज कुमार आनंद ने त्यागपत्र दे दिया।

गुजरात

विधान सभा उपचुनाव का परिणाम: राज्य विधान सभा की पांच सीटों के लिए उपचुनाव 7 मई 2024 को सम्पन्न हुए। परिणाम 4 जून 2024 को घोषित किए गए। निर्वाचित सदस्यों और उनके निर्वाचन क्षेत्रों की सूची निम्नवत् है:

क्र. सं.	निर्वाचित उम्मीदवार का नाम	दल	निर्वाचन क्षेत्र
1.	डॉ. सी. जे. चावड़ा	भारतीय जनता पार्टी	विजापुर
2.	श्री अर्जुन देवाभाई मोढवाडिया	भारतीय जनता पार्टी	पोरबंदर
3.	श्री अरविंदभाई जीनाभाई लदानी	भारतीय जनता पार्टी	मानवदार
4.	श्री चिरागकुमार अरविंदभाई पटेल	भारतीय जनता पार्टी	खंभात
5.	श्री धर्मेन्द्र सिंह वाघेला (बापू)	भारतीय जनता पार्टी	वाघोडिया

हरियाणा

विधान सभा उपचुनाव का परिणाम: 4 जून, 2024 को भारतीय जनता पार्टी के सदस्य श्री नायब सिंह को 25 मई, 2024 को हुए उपचुनाव में करनाल विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचित घोषित किया गया।

हिमाचल प्रदेश

विधान सभा उपचुनाव का परिणाम: राज्य विधान सभा की छह सीटों के लिए उपचुनाव 1 जून 2024 को सम्पन्न हुए। परिणाम 4 जून 2024 को घोषित किए गए। निर्वाचित सदस्यों और उनके निर्वाचन क्षेत्रों की सूची निम्नवत् है:

क्र. सं.	निर्वाचित उम्मीदवार का नाम	दल	निर्वाचन क्षेत्र
1.	श्री सुधीर शर्मा	भारतीय जनता पार्टी	धर्मशाला
2.	सुश्री अनुराधा राणा	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	लाहौल और स्पीति
3.	कैप्टन रणजीत सिंह	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	सुजानपुर
4.	श्री इंद्र दत्त लखनपाल	भारतीय जनता पार्टी	बरसर
5.	श्री राकेश कालिया	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	गगरेट
6.	श्री विवेक शर्मा	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	कुटलैहड़

झारखंड

विधान सभा उपचुनाव का परिणाम: 4 जून 2024 को, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्य श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन को 20 मई 2024 को हुए उपचुनाव में गांडेय विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचित घोषित किया गया।

मंत्री द्वारा त्यागपत्र: 11 जून, 2024 को संसदीय कार्य मंत्री श्री आलमगीर आलम ने त्यागपत्र दे दिया।

कर्नाटक

विधान सभा उपचुनाव का परिणाम: 4 जून, 2024 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य श्री राजा वेणुगोपाल नाइक को 7 मई, 2024 को हुए उपचुनाव में शोरापुर विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचित घोषित किया गया।

मंत्री द्वारा त्यागपत्र: 6 जून 2024 को अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री श्री बी. नागेंद्र ने त्यागपत्र दे दिया।

केरल

मंत्री का त्याग-पत्र: 18 जून 2024 को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री श्री के. राधाकृष्णन ने त्याग-पत्र दे दिया।

मंत्री की शपथ: 23 जून 2024 को श्री ओ. आर. केलू ने मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान ने मंत्री महोदय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

ओडिशा

विधान सभा चुनाव परिणाम: 147 सीटों वाली ओडिशा राज्य विधान सभा के चुनाव 20 मई 2024 को संपन्न हुए। परिणाम 4 जून 2024 को घोषित किए गए थे। चुनाव के बाद दलों की स्थिति इस प्रकार थी:

दल का नाम	**सीटें**
भारतीय जनता पार्टी	78
बीजू जनता दल	51
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	14
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)	1
निर्दलीय	3
कुल	**147**

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्रियों और मंत्रिपरिषद की शपथ: 12 जून 2024 को श्री मोहन चरण माझी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ श्री कनक वर्धन सिंह देव और श्रीमती प्रवती परिदा ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली।

उसी दिन आठ मंत्रियों ने भी शपथ ली, जिनमें सर्वश्री सुरेश पुजारी, रबी नारायण नाइक, नित्यानंद गोंड, कृष्ण चंद्र पात्रा, पृथ्वीराज हरिचंदन, विभूति भूषण जेना, डॉ. मुकेश महालिंग और डॉ. कृष्ण चंद्र महापात्रा शामिल हैं। राज्यपाल श्री रघुबर दास ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

अध्यक्ष की नियुक्ति: 20 जून 2024 को श्रीमती सुरमा पाढ़ी को ओडिशा विधान सभा का अध्यक्ष चुना गया।

राजस्थान

विधान सभा उपचुनाव परिणाम: 4 जून, 2024 को भारत आदिवासी पार्टी के सदस्य श्री जयकृष्ण पटेल को 26 अप्रैल, 2024 को हुए उपचुनाव में बागीडोरा विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचित घोषित किया गया।

सिक्किम

विधान सभा चुनाव परिणाम: 32 सीटों वाली सिक्किम राज्य विधान सभा के चुनाव 19 अप्रैल 2024 को हुए थे। परिणाम 2 जून 2024 को घोषित किए गए थे। चुनाव के बाद दलों की स्थिति इस प्रकार थी:

दल का नाम	**सीटें**
सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा	31
सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट	1
कुल	**32**

मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की शपथ: 10 जून 2024 को श्री प्रेम सिंह तमांग ने सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।

उसी दिन, ग्यारह मंत्रियों ने भी शपथ ली, जिनमें सर्वश्री सोनम लामा, अरुण उप्रेती, समदुप लेप्चा, भीम हैंग लिम्बो, भोजराज राय, जीटी धुंगेल, पूरन कुमार गुरुंग, पिंत्सो नामग्याल लेप्चा, नर बहादुर दहल, राजू बस्नेत और शेरिंग थेंडुप भूटिया शामिल हैं। राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति: 12 जून 2024 को, श्री मिंगमा नोरबू शेरपा को अध्यक्ष के रूप में चुना गया और श्रीमती राज कुमारी थापा को सिक्किम विधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया।

तमिलनाडु

विधान सभा उप-चुनाव परिणाम: 4 जून 2024 को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य श्री थराहाई कुथबर्ट को 19 अप्रैल 2024 को हुए उप-चुनाव में विलावनकोड विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचित घोषित किया गया।

तेलंगाना

विधान सभा उप-चुनाव परिणाम: 4 जून 2024 को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य श्री श्रीगणेश को 13 मई 2024 को हुए उप-चुनाव में सिकंदराबाद कैंट विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचित घोषित किया गया।

त्रिपुरा

विधान सभा उप-चुनाव परिणाम: 4 जून 2024 को हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य श्री दीपक मजूमदार को 19 अप्रैल 2024 को रामनगर विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचित घोषित किया गया।

उत्तर प्रदेश

विधान सभा उप-चुनाव परिणाम: राज्य विधान सभा की चार सीटों के उप-चुनाव के परिणाम 4 जून 2024 को घोषित किए गए। निर्वाचित सदस्यों और उनके संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों की सूची निम्नलिखित है:

क्र.सं.	**निर्वाचित उम्मीदवार का नाम**	**निर्वाचन क्षेत्र और दल**	**चुनाव की तारीख**
1.	श्री अरविन्द कुमार सिंह	ददरौल (भारतीय जनता पार्टी)	13.05.2024
2.	श्री ओ.पी. श्रीवास्तव	लखनऊ पूर्व (भारतीय जनता पार्टी)	20.05.2024
3.	श्री राकेश कुमार यादव	गैंसरी (समाजवादी पार्टी)	25.05.2024
4.	श्री विजय सिंह	दुद्धी (समाजवादी पार्टी)	01.06.2024

पश्चिम बंगाल

विधानसभा उपचुनाव परिणाम: राज्य विधान सभा की दो सीटों के उप-चुनाव के परिणाम 4 जून 2024 को घोषित किए गए। निर्वाचित सदस्यों और उनके संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों की सूची निम्नलिखित है:

क्र. सं.	**निर्वाचित उम्मीदवार का नाम**	**निर्वाचन क्षेत्र दल**	**चुनाव की तारीख**
1.	श्री अरविन्द कुमार सिंह	भगबंगोला (अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस)	07.05.2024
2.	सुश्री सयंतिका बनर्जी	बरानगर (अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस)	01.06.2024

अन्य देशों के घटनाक्रम

चाड

राष्ट्रपति की शपथ और प्रधानमंत्री की नियुक्ति: 23 मई 2024 को श्री महामत इदरीस डेबी इटनो ने चाड के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली।

उसी दिन, राष्ट्रपति श्री महामत इदरीस डेबी इटनो ने श्री अल्लामे हलीना को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया।

डॉमिनिकन गणराज्य

*राष्ट्रपति का पुनःनिर्वाचन:*19 मई 2024 को, श्री लुइस अबिनाडर दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए।

आयरलैंड

प्रधानमंत्री का त्याग-पत्र: 8 अप्रैल, 2024 को प्रधानमंत्री श्री लियो वराडकर ने इस्तीफा दे दिया।

प्रधानमंत्री की नियुक्ति: 9 अप्रैल 2024 को श्री साइमन हैरिस ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की।

इस्लामी गणतंत्र ईरान

राष्ट्रपति का निधन: 19 मई 2024 को राष्ट्रपति श्री इब्राहिम रईसी का निधन हो गया।

राष्ट्रपति की नियुक्ति: 20 मई 2024 को, श्री मोहम्मद मोखबर को इस्लामी गणराज्य ईरान के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया।

लिथुआनिया

राष्ट्रपति का पुनःनिर्वाचन: 26 मई 2024 को, श्री गीतानस नौसा दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए।

मलावी

उपराष्ट्रपति का निधन: 10 जून 2024 को, उपराष्ट्रपति, डॉ. सौलोस क्लाउस चिलिमा का निधन हो गया।

उत्तर मैसेडोनिया गणराज्य

राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण: 12 मई 2024 को, सुश्री गोरदाना सिल्जानोव्स्का-दावकोवा ने उत्तरी मैसेडोनिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की।

पाकिस्तान

उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति: 28 अप्रैल 2024 को, श्री इशाक डार ने उप प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की।

पुर्तगाल

प्रधानमंत्री द्वारा शपथ ग्रहण: 2 अप्रैल 2024 को, श्री लुइस मोंटेनेग्रो ने दूसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की।

रूस

राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण: 7 मई 2024 को, श्री व्लादिमीर पुतिन ने पांचवें कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की।

प्रधानमंत्री की नियुक्ति: 10 मई 2024 को, राष्ट्रपति, श्री व्लादिमीर पुतिन ने श्री मिखाइल मिशुस्टिन को पुनः प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया।

सेनेगल

राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण: 2 अप्रैल 2024 को, श्री बसिरौ डियोमे फेय ने सेनेगल के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की।

सिंगापुर

प्रधानमंत्री का त्याग-पत्र और नए प्रधानमंत्री द्वारा शपथ ग्रहण: 15 मई 2024 को, प्रधानमंत्री श्री ली सीन लूंग ने अपने पद से *त्याग-पत्र* दे दिया।

उसी दिन, श्री लॉरेंस वोंग ने सिंगापुर के नये प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की।

स्लोवाकिया

राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण: 15 जून 2024 को, श्री पीटर पेलेग्रिनी ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की।

सोलोमन द्वीप

प्रधानमंत्री द्वारा शपथ ग्रहण: 2 मई 2024 को, श्री यिर्मयाह मानेले ने सोलोमन द्वीप के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की।

दक्षिण अफ़्रीका

राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण: 19 जून 2024 को, श्री सिरिल रामफोसा ने दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की।

ताइवान

राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण: 20 मई 2024 को, श्री लाई चिंग-ते ने ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की।

सत्र समीक्षा

अठारहवीं लोक सभा

पहला सत्र

अठारहवीं लोक सभा का गठन 6 जून 2024 को हुआ। अठारहवीं लोक सभा का पहला सत्र, जो 24 जून 2024 को आरंभ हुआ और 2 जुलाई 2024 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुआ। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा 4 जुलाई 2024 को सदन का सत्रावसान किया गया। इस सत्र के दौरान, सदन की कुल 7 बैठकें हुईं, जो 34 घंटे और 16 मिनट तक चलीं। सदन की कार्यवाही 7 घंटे 32 मिनट तक चली। अठारहवीं लोक सभा के प्रथम सत्र के दौरान कुल उत्पादकता 105 प्रतिशत रही। 24 और 25 जून 2024 को आयोजित सदन की पहली दो बैठकों के दौरान सदस्यों द्वारा मुख्य रूप से शपथ या प्रतिज्ञान किया गया। इस कार्य में अध्यक्ष पैनल के सदस्यों द्वारा प्रोटेम अध्यक्ष श्री भर्तृहरि महताब की सहायता की गयी। इन दो दिवसों के दौरान 534 सदस्यों ने शपथ ग्रहण कर सदस्यता ग्रहण की तथा सदन में अपना स्थान ग्रहण किया। कुछ अन्य सदस्यों द्वारा बाद के दिनों में शपथ ग्रहण की या पुष्टि की, जिससे सदस्यों की कुल संख्या 539 हो गई। 26 जून 2024 को श्री ओम बिरला को अठारहवीं लोक सभा का अध्यक्ष चुना गया।

पंद्रहवें सत्र के दौरान हुई महत्वपूर्ण चर्चाओं और अन्य कार्यवाही का सार नीचे दिया गया है।

चर्चाएं / वक्तव्य

संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण: 27 जून 2024 को भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने संसद भवन के लोक सभा कक्ष में संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को संयुक्त रूप से संबोधित किया। उन्होंने इस अभिभाषण में पिछले वर्ष के दौरान सरकार की नीति, कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया। उनके द्वारा उन नीतिगत प्राथमिकताओं पर भी प्रकाश डाला गया जिन्हें सरकार आगामी वर्ष में आगे बढ़ाने का विचार रखती है।

संसद सदस्यों का राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव: श्री अनुराग सिंह ठाकुर (भाजपा) ने 1 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया, और कुमारी बांसुरी स्वराज (भाजपा) द्वारा इसका समर्थन किया गया। धन्यवाद प्रस्ताव पर 1 और 2 जुलाई 2024 को चर्चा हुई। यह चर्चा 18 घंटे 48 मिनट तक चली जिसमें कुल 68 सदस्यों ने भाग लिया। 63 सदस्यों द्वारा अपने लिखित भाषण सदन के पटल पर रखे गये।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश करते हुए, श्री अनुराग सिंह ठाकुर (भाजपा) ने कहा कि एनडीए सरकार के शासन में 25 करोड़ गरीब लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने *प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना* शुरू की थी, जिसके माध्यम से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिला। कोविड काल के दौरान, भारत ने दो स्वदेशी कोविड टीके विकसित किए और 220 करोड़ टीके निःशुल्क में लगाए। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि भारत वर्तमान में दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अगले पांच वर्षों में इसके तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान है। श्री ठाकुर ने आगे कहा कि यूपीए कार्यकाल के दौरान सीएजीआर मुद्रास्फीति दर 8.7 प्रतिशत थी जो अब से घटकर 4.8 प्रतिशत हो गई है। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में एफडीआई 36 बिलियन डॉलर थी जो एनडीए सरकार के कार्यकाल में बढ़कर 72 बिलियन डॉलर हो गया है। इसके अलावा, उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में निर्यात 466 बिलियन डॉलर था जो अब बढ़कर 770 बिलियन डॉलर हो गया है और विदेशी मुद्रा भंडार 10 वर्षों में 320 बिलियन डॉलर से बढ़कर 650 बिलियन डॉलर हो गया है। श्री ठाकुर ने आगे कहा कि चालू खाता घाटा जो 5.1 प्रतिशत था, जो घटकर 2 प्रतिशत हो गया है। श्री ठाकुर ने कहा कि वर्तमान सरकार ने पिछले 10 वर्षों में गरीबों और जरूरतमंदों के लिए 4 करोड़ *पक्के* घर बनाए हैं, 12 करोड़ शौचालय बनाए हैं और जल जीवन मिशन के अंतर्गत 11 करोड़ नए घरों में नल का पानी उपलब्ध कराया है। उन्होंने *'आयुष्मान भारत योजना'* का उल्लेख किया, जो 60 करोड़ लोगों को बिना किसी खर्च के 5 लाख रुपये का बीमा कवरेज प्रदान करती है। उन्होंने व्यापार और जीवनयापन के क्षेत्रों में सुधार का उल्लेख किया, और इस बात पर बल दिया कि भारत वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट-अप इकोसिस्टम बन गया है, जिसमें 107 से अधिक यूनिकॉर्न हैं, जिनमें से प्रत्येक का मूल्य साढ़े आठ हजार करोड़ रुपये से अधिक है।

उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र में 160 से अधिक और कृषि क्षेत्र में एक हजार से अधिक स्टार्ट-अप की उपस्थिति पर प्रकाश डाला। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का मुनाफा बढ़कर 1 लाख 41 हजार करोड़ रुपये हो गया है, एनपीए 15 प्रतिशत से घटकर मात्र 3 प्रतिशत रह गया है और बैंकों का बाजार पूंजीकरण 4 लाख 50 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर 17 लाख करोड़ रुपये हो गया है। श्री ठाकुर ने उल्लेख किया कि भारत 'भीम' यूपीआई के माध्यम से डिजिटल भुगतान में दुनिया में सबसे आगे है, जिसमें 100 बिलियन से अधिक लेनदेन के साथ कुल 13 लाख करोड़ रुपये से अधिक का आदान-प्रदान हुआ है। वर्ष 2014 में हवाई अड्डों की संख्या 70 थी जो अब बढ़कर 120 हो गई, जिससे भारत तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया। राष्ट्रीय राजमार्ग वर्ष 2014 में 96,000 किलोमीटर थे जो अब बढ़कर 1.5 लाख किलोमीटर हो गए। एम्स की संख्या वर्ष 2014 में सात थी जो अब बढ़कर 23 हो गई। सकल कर संग्रह राजस्व 11 लाख करोड़ रुपये से तिगुना बढ़कर 33 लाख करोड़ रुपये हो गया। सरकार ने सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण किया, 21 हजार करोड़ रुपये के रक्षा उपकरणों का निर्यात किया और *मेक इन इंडिया* कार्यक्रम के अंतर्गत बुलेटप्रूफ जैकेट प्रदान किए। पिछले 10 वर्षों में, सरकार ने 18 लाख 40 हजार करोड़ रुपये की फसलों की खरीद की और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत मुआवजे के रूप में 1 लाख 60 हजार करोड़ रुपये प्रदान किए। उन्होंने यह कहकर अपनी बात समाप्त की कि इसके अतिरिक्त, आदिवासियों के लिए रिकॉर्ड संख्या में 700 से अधिक अतिरिक्त एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोले गए हैं।

प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कुमारी बांसुरी स्वराज (भाजपा) ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था को इस हद तक सुदृढ़ किया है कि देश विश्व स्तर पर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए पहला स्तंभ युवाओं की शक्ति है, दूसरा स्तंभ महिलाओं की शक्ति है, तीसरा स्तंभ किसानों का कल्याण है और चौथा स्तंभ गरीबों का कल्याण है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने एक दशक में 7 नए आईआईटी, 16 नए आईआईआईटी, 7 नए आईआईएम, 15 एम्स अस्पताल, 315 मेडिकल कॉलेज और 390 नए विश्वविद्यालय स्थापित किए हैं। उन्होंने आगे कहा कि देश में 1 लाख 81 हज़ार स्टार्ट-अप कंपनियाँ हैं, जिनमें से 100 से ज़्यादा आज यूनिकॉर्न हैं। उन्होंने कहा कि पिछले दस सालों में भारत *ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस इंडेक्स* में 147वें स्थान से 63वें स्थान पर पहुँच गया है। उन्होंने बताया कि 2000 से 2024 तक, भारत को कुल 990.97 बिलियन डॉलर का एफडीआई प्राप्त हुआ था, जिसमें से 67 प्रतिशत, यानी 667.41 बिलियन डॉलर, पिछले दशक में एनडीए सरकार में आया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि सरकार ने सत्रहवीं लोक सभा में *नारी शक्ति वंदन अधिनियम* पारित किया था और *पीएम किसान सम्मान निधि* के अंतर्गत किसानों को 3,20,000 करोड़ रुपये वितरित किए थे, जिसमें गठन के बाद 9.26 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए थे। कुमारी स्वराज ने बताया कि जैविक खेती, शीतागार, कृषि आधारित उद्योग और डेयरी तथा मत्स्यपालन आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया गया है। *प्रधान मंत्री जनधन योजना* के अंतर्गत 50 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए हैं, जिनमें से 56 प्रतिशत खाते महिलाओं के हैं। *प्रधान मंत्री मुद्रा योजना* के अंतर्गत स्वीकृत कुल ऋणों में से 69 प्रतिशत ऋण महिलाओं के लिए हैं और स्टैंड-अप इंडिया के अंतर्गत भी 84 प्रतिशत ऋण महिलाओं को स्वीकृत किए गए हैं। एक करोड़ *लखपति दीदी* का लक्ष्य बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया है और प्रधानमंत्री ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए *'नमो ड्रोन दीदी'* की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल के अग्रणी निर्माता के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सेमीकंडक्टर और चिप निर्माण क्षेत्र में 1.25 लाख करोड़ रुपये के बुनियादी ढांचे का उद्घाटन किया है। ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत 3 लाख 20 हजार किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण किया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी सामाजिक कल्याण योजना *प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना* के अंतर्गत 81 करोड़ से अधिक लोगों को निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराया गया है। कुमारी स्वराज ने अंत में कहा कि पीएम-स्वनिधि के अंतर्गत 70 लाख से अधिक रेहड़ी-पटरी वालों को बिना गारंटी के 11,000 करोड़ रुपये के ऋण उपलब्ध कराए गए हैं और इसके अलावा *आयुष्मान भारत योजना* के अंतर्गत 55 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मुफ्त इलाज मिला है।

[1]*चर्चा में भाग लेते हुए*, श्री राहुल गांधी (कांग्रेस) ने कहा कि पिछले दस वर्षों से संविधान और भारत के विचार पर एक सुनियोजित तरीके से हमला किया गया है, जिसके विरुद्ध में आवाज़ उठाने वाले किसी भी व्यक्ति पर बिना किसी अपवाद के

1. **चर्चा में भाग लेने वाले अन्य लोग:** सर्वश्री लावू श्रीकृष्णा देवरायलू, राजीव रंजन सिंह *उर्फ* ललन, अरविंद गणपत सावंत, धर्मबीर सिंह, मनीश तिवारी, अभय कुमार सिन्हा, अमरिंदर सिंह राजा वारिंग, ई.टी. मोहम्मद बशीर, गुरमीत सिंह मीत हायेर,

लगातार हमले किए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि जिन लोगों ने सत्ता और धन के केंद्रीयकरण का विरोध किया और गरीबों, दलितों, अल्पसंख्यकों और आदिवासियों के साथ दुर्व्यवहार के विरुद्ध आवाज़ उठाई, उनका हिंसात्मक रूप से दमन किया गया। उन्होंने यह उल्लेख किया कि सरकार ने हवाईअड्डा बनाने के लिए अयोध्या के निवासियों से ज़मीन अधिग्रहित की थी, लेकिन अभी तक उन लोगों को कोई मुआवज़ा नहीं मिला है। उन्होंने यह भी कहा कि अयोध्या में कई छोटी दुकानों और इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया, जिससे निवासी बेघर हो गए। उनके अनुसार *राम जन्मभूमि* मंदिर के उद्घाटन समारोह के दौरान अयोध्या के लोग दुखी थे क्योंकि उन्हें कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया और गरीबों, किसानों व मजदूरों को शामिल नहीं होने दिया गया। श्री गांधी ने स्मरण कराया कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, पूरे विपक्ष और देश ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक साथ पैदल यात्रा की थी।

उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत में महिलाएँ महंगाई के कारण परेशान हैं। अग्निवीर योजना के बारे में भारत सरकार की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि बारूदी सुरंग विस्फोट में मारे जाने वाले अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं दिए जाने के कारण उनके आश्रितों को पेंशन और मुआवज़ा नहीं मिलता है। उन्होंने यह तर्क दिया कि अग्निवीरों को नियमित सैनिकों के समान लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना सेना, सैनिकों और देशभक्तों के लिए नुकसानदेह है। उन्होंने कहा कि भारतीय इतिहास में पहली बार सरकार ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख से राज्य का दर्जा छीनकर जनता को उनके राज्य से वंचित कर दिया गया है। उन्होंने सरकार पर मणिपुर को गृहयुद्ध में धकेलने का आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि नोटबंदी ने छोटे और मध्यम व्यवसायों, जो भारत में रोजगार की रीढ़ हैं, को बर्बाद कर दिया है जिसके परिणामस्वरूप युवा बेरोजगार हो गए हैं। उन्होंने जीएसटी के क्रियान्वयन की आलोचना करते हुए कहा कि भूमि अधिग्रहण विधेयक, जिसका उद्देश्य भूस्वामियों की रक्षा करना और उनको उचित मुआवज़ा देना सुनिश्चित करना था, को कई राज्यों में सरकार ने कमज़ोर कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पेश किये गये तीन नए कानूनों से किसान डरे हुए हैं, जिसके

मियां अल्ताफ अहमद, दीपेन्द्र सिंह हुड्डा, दुरई वाइको, सु. वेंकटेशन, गणेश सिंह, कृष्णा प्रसाद टेन्नेटी, कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी, डी.एम. कथीर आनंद, बालाशौरी वल्लभनेनी, इमरान मसूद, जगदम्बिका पाल, राजेश रंजन, एन.के. प्रेमचन्द्रन, हनुमान बेनीवाल, सुदामा प्रसाद, बी. मणिक्कम टैगोर, सुधीर गुप्ता, अखिलेश यादव, संतोष पांडेय, कल्याण बनर्जी, सौमित्र खान, सुनील दत्तात्रेय तटकरे, के.सी. वेणुगोपाल, दिलीप शइकीया, अजय भट्ट, लालजी वर्मा, पी.पी. चौधरी, असादुद्दीन ओवैसी, गौरव गोगोई, आनंद भदौरिया, के. सुब्बारायण, अवधेश प्रसाद, विनोद लखमशी चावड़ा, उम्मेदा राम बेनीवाल, वीरेन्द्र सिंह, नरेश गणपत म्हस्के, दिलेश्वर कामैत, सप्तगिरी शंकर उलाका, मितेश पटेल, जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर, कौशलेन्द्र कुमार, वी.के. श्रीकंदन, सुकान्त कुमार पाणिग्रही, हरेन्द्र सिंह मलिक, सनातन पांडेय, हँसमुखभाई सोमाभाई पटेल, अरुण कुमार सागर, विजय कुमार हाँसदाक, कोटा श्रीनिवास पूजारी, रमाशंकर राजभर, अशोक कुमार रावत, नवासखनी के., सी.एन. अन्नादुरई, विजयकुमार *उर्फ* विजय वसंत, राहुल कस्वां, राम शिरोमणि वर्मा, प्रभुभाई नागरभाई वसावा, राजू बिस्ट, राजकुमार रोत, शंकर लालवानी, कुलदीप इंदौरा, तेजस्वी सूर्या, जयन्त बसुमतारी, के. राधाकृष्णन, दुरई वाइको, मनोज तिवारी, उत्कर्ष वर्मा मधुर, विष्णु दयाल राम, देवेन्द्र सिंह *उर्फ* भोले सिंह, लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद, आलोक शर्मा, खगेन मुर्मु, बृजमोहन अग्रवाल, बिद्युत बरन महतो, विशालदादा प्रकाशबापू पाटील, संजय उत्तमराव देशमुख, एडवोकेट फ्रांसिस जॉर्ज, एडवोकेट चन्द्र शेखर, एडवोकेट डीन कुरियाकोस, कैप्टन ब्रिजेश चौटा, डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे, डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे, डॉ. गुम्मा तनुजा रानी, डॉ. संबित पात्रा, डॉ. हेमंत विष्णु सवरा, डॉ. राजकुमार सांगवान, डॉ. रिकी ए.जे. सिंगकोण, डॉ. अंगोमचा बिमोल अकोइजम, डॉ. इन्द्रा हांग सुब्बा, डॉ. थोल तिरुमावलवन, डॉ. बायरेड्डी शबरी, डॉ. निशिकान्त दुबे, डॉ. आलोक कुमार सुमन, डॉ. धर्मवीर गांधी, डॉ. मोहम्मद जावेद, डॉ. लता वानखेड़े, डॉ. रबीन्द्र नारायण बेहेरा, डॉ. प्रदीप कुमार पाणिग्रही, डॉ. टी. सुमति *उर्फ* तामिझाची थंगापंडियन, डॉ. प्रभा मल्लिकार्जुन, डॉ. सी.एन. मंजूनाथ, डॉ. के. सुधाकर, डॉ. मल्लू रवि, प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़, श्रीमती शांभवी, श्रीमती जोबा माझी, श्रीमती प्रतिमा मण्डल, श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, श्रीमती लवली आनंद, श्रीमती अपराजिता सारंगी, श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोर, श्रीमती मंजू शर्मा, श्रीमती स्मिता उदय वाघ, श्रीमती अनिता शुभदर्शिनी, श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव, श्रीमती अनिता नागरसिंह चौहान, श्रीमती सुप्रिया सुले, श्रीमती मालविका देवी, और श्रीमती पूनमबेन माडम।

कारण व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए और 700 किसानों की मौत हो गई, जिन्होंने केवल ऋण माफी और अपने उत्पादों के लिए कानूनी गारंटी के साथ अधिकतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की मांग की थी। श्री गांधी ने दावा किया कि सरकार ने किसानों और आम जनता में भय पैदा किया है। उन्होंने अग्निवीर योजना के कारण सेना में युवाओं के लिए हो रहे कम अवसरों का उल्लेख करते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण की आलोचना की। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि पिछले सात वर्षों में 70 बार परीक्षा के पेपर लीक हो चुके हैं, जिससे संस्थागत विफलता और छात्रों में निराशा पैदा हुई है, जो अब मानते हैं कि नीट जैसी परीक्षाओं में मेधावी लोगों की बजाय अमीरों को तरजीह दी जाती हैं। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सत्य, साहस और अहिंसा के सिद्धांत देश की परंपराओं और धर्मों में निहित हैं और ये सिद्धांत विपक्ष को लड़ने की अनुमति देते हैं। उन्होंने सरकार के साथ किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने की इच्छा व्यक्त की और देश को आगे ले जाने के लिए मिलकर काम करने का सुझाव दिया।

चर्चा में भाग लेते हुए, सुश्री महुआ मोइत्रा (एआईटीसी) ने कहा कि महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहा गया है कि सरकार ने पूर्वोत्तर के लिए आवंटन की राशि को चार गुना तक बढ़ाकर क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित करने के लिए कार्य किया है। उन्होंने यह पूछा कि 'मणिपुर' के बजाय 'उत्तर-पूर्व' शब्द का प्रयोग क्यों किया गया। महिला सशक्तिकरण के विषय पर उन्होंने कहा कि अभिभाषण में यह दावा किया गया कि देश में महिलाएं लोक सभा और विधान सभाओं में अधिक प्रतिनिधित्व की मांग कर रही थीं और अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अधिनियमन से वे सशक्त हुई हैं। यद्यपि, उन्होंने इस बात की ओर इंगित किया कि 17वीं लोक सभा में 78 महिलाएं (14.3 प्रतिशत) चुनी गयी थीं, जबकि 18वीं लोक सभा में केवल 74 महिलाएं (13.6 प्रतिशत) चुनी गयी हैं। कश्मीर के संबंध में उन्होंने कहा कि अभिभाषण में यह कहा गया है कि दशकों तक बंद और हड़ताल की स्थिति रहने के पश्चात, कश्मीर घाटी में स्थिरता और सुरक्षा के माहौल में मतदान हुआ है। उन्होंने पूछा कि अगर धारा 370 को हटाना इतना अच्छा विचार था, तो भाजपा ने घाटी की तीनों सीट अनंतनाग, बारामुल्ला और श्रीनगर पर अपने उम्मीदवार क्यों खड़े नहीं किये। उन्होंने कहा कि निर्वाचित संसद सदस्य आपके 2019 के निर्णय के विरुद्ध थे। उन्होंने लद्दाख को विधायिका बनाये बिना या उसे छठी अनुसूची में शामिल किए बिना केंद्र शासित प्रदेश बनाने और लेह तथा कारगिल के लिए दो अलग-अलग सीटों की मांग को पूरा न करने के लिए भी सरकार की आलोचना की। सुश्री मोइत्रा ने भारत के चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के वर्चस्व वाले पैनल द्वारा चुने गए आयुक्तों द्वारा उच्चत्तम न्यायालय की जानबूझकर अवज्ञा करते हुए सत्तारूढ़ दल द्वारा आदर्श आचार संहिता के गंभीर उल्लंघन को नजरअंदाज किया गया। भारतीय रेल, विमानन और बुनियादी ढांचे के संबंध में उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के लिए 1,08,000 करोड़ रुपये की संस्वीकृति प्रदान की गयी है, जबकि 63,000 करोड़ रुपये की लागत से भारत के सभी 1,26,000 किलोमीटर रेल ट्रैक को कवच टक्कर रोधी प्रणाली, जिसकी लागत 50 लाख रुपये प्रति किलोमीटर है, के अन्तर्गत कवर किया जायेगा। उन्होंने इसकी तुलना बुलेट ट्रेन परियोजना की लागत से की। उन्होंने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार ने मनरेगा की 7000 करोड़ रुपये की राशि जारी नहीं की हैं, जिससे सत्रह लाख परिवारों को पहले से किए गए कार्य का मेहनताना नहीं मिला है और ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत 8200 करोड़ रुपये की राशि जारी नहीं की है, जिसके अन्तर्गत ग्यारह लाख से ज़्यादा घरों को स्वीकृति प्रदान की गई है, परन्तु उनका भुगतान नहीं किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि पेंशन और पीएमजीएसवाई में 1000 करोड़ रुपये जारी नहीं किये गये हैं, जो कुल मिलाकर 16,000 करोड़ रुपये है।

चर्चा का उत्तर देते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित करने के लिए राष्ट्रपति के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में विकसित भारत के संकल्प को विस्तार से बताया है। उन्होंने कहा कि वैश्विक मंच पर भारत की छवि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सरकार "सबका साथ सबका विकास" के मंत्र पर चलते हुए प्रत्येक नागरिक के कल्याण के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में बदलाव का दौर शुरू हुआ था और पिछले दस वर्षों में सरकार ने कई सफलताएं प्राप्त की हैं। उन्होंने 5जी के तेजी से शुरू होने पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह भारत की किसी भी चीज को प्राप्त करने की क्षमता को दर्शाता है। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय बैंक सबसे अधिक लाभ कमाने वाले बैंक बन गए हैं, जिसका मुख्य कारण लोगों को उनके द्वारा प्रदान की गयी सेवा है। रक्षा क्षेत्र के बारे में उन्होंने बल देते हुए कहा कि प्रत्येक नागरिक जानता है कि भारत सुरक्षा संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि अनुच्छेद 370 के हटने से जम्मू-कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाएं बंद हो गई हैं, लोकतंत्र सुदृढ़ हुआ है और मतदाताओं की

भागीदारी बढ़ी है, जिससे वहां के निवासियों का भारतीय संविधान में विश्वास और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान दिखा है। प्रधानमंत्री ने सरकार की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डालते हुए कहा कि पिछले दस वर्षों में अर्थव्यवस्था 10वें स्थान से 5वें स्थान आ गयी है और विश्वास जताया कि देश शीघ्र ही तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। उन्होंने मोबाइल फोन के एक प्रमुख निर्माता और निर्यातक के रूप में भारत के उभरने और सेना को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों का उल्लेख करते हुए युवा सेना की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने वन रैंक-वन पेंशन योजना के कार्यान्वयन का उल्लेख करते हुए छात्रों और युवाओं को आश्वस्त किया कि सरकार पेपर लीक की समस्या को हल करने के लिए गंभीर है और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रत्येक गरीब व्यक्ति को आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग से निपटने में भारत के नेतृत्व पर बल दिया, जिसका उद्देश्य देश को नवीकरणीय ऊर्जा का एक शक्तिशाली केंद्र बनाना है, जिसमें हरित हाइड्रोजन और ई-वाहनों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उन्होंने बुनियादी ढांचे में बड़े पैमाने पर किये जा रहे निवेश पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इससे बड़े पैमाने पर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं, और उन्होंने आधुनिक भारत में कौशल विकास के महत्व को भी रेखांकित किया। उन्होंने भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली की प्रशंसा करते हुए इसे दुनिया के लिए एक उल्लेखनीय मिसाल बताया और सुझाव दिया कि सभी सदस्य भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान दें।

सभी संशोधन अस्वीकृत हुए।

प्रस्ताव अंगीकृत हुआ।

निबंध संबंधी उल्लेख

सत्र के दौरान लोक सभा के पूर्व सदस्य सर्वश्री मनोहर जोशी, ब्रह्मानंद मंडल, जय भद्र सिंह, डी. वेणुगोपाल, सी.पी.एम. गिरियप्पा, ए. गणेशमूर्ति, कुँवर सर्वेश कुमार, राजवीर दिलेर, वी. श्रीनिवास प्रसाद, एम. सेल्वराज, सुशील कुमार मोदी, प्रतापराव बी. भोसले, पी.एम. सुब्बा, डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क; इस्लामी ईरान गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम डॉ. सैयद इब्राहिम रईसी; ईरान के विदेश मंत्री डॉ. होसैन अमीर अब्दुल्लाहियन और ईरान के अन्य पदाधिकारियों; तंजानिया संयुक्त गणराज्य के दूसरे राष्ट्रपति, महामहिम अल्हाज अली हसन म्वीन्यी; और मलावी गणराज्य के उपराष्ट्रपति महामहिम डॉ. सॉलोस क्लाउस चिलिमा की मृत्यु पर निधन संबंधी उल्लेख किए गए।

राज्य सभा

दो सौ चौंसठवां सत्र *

राज्य सभा के 264वें सत्र के दौरान किए गए महत्वपूर्ण कार्य तथा अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रमों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है:

राज्य सभा का दो सौ चौसठवाँ सत्र (264वाँ) 27 जून 2024 को शुरू हुआ और सदन 3 जुलाई 2024 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। सत्र के दौरान सदन की बैठक 5 दिनों तक चली। बैठकों का वास्तविक समय 24 घंटे और 18 मिनट था।

1 अप्रैल से 30 जून 2024 की तिमाही में आम चुनावों के बाद अठारहवीं लोक सभा का गठन हुआ और द्विवार्षिक चुनावों के बाद राज्य सभा का आंशिक पुनर्गठन हुआ। राज्य सभा के द्विवार्षिक चुनावों के परिणामस्वरूप, 57 नवनिर्वाचित सदस्यों ने इस अवधि के दौरान राज्य सभा के सभापति श्री जगदीप धनखड़ के समक्ष शपथ ली और उस पर हस्ताक्षर किए।

राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया जाना और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा

27 जून 2024 को भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने संसद भवन के लोक सभा कक्ष में संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया। अभिभाषण की एक प्रति उसी दिन सदन के पटल पर रख दी गई। 28 जून 2024 को श्री सुधांशु त्रिवेदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया, जिसका श्रीमती कविता पाटीदार ने समर्थन किया। प्रस्ताव पर 28 जून से 3 जुलाई 2024 तक चर्चा हुई। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने चर्चा का उत्तर दिया। प्रस्ताव पर स्वीकृत 108 संशोधनों में से कोई भी पेश नहीं किया जा सका क्योंकि संबंधित सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे। सदन ने ध्वनिमत से प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। प्रस्ताव पर 20 घंटे 39 मिनट तक चर्चा हुई। चर्चा में 11 महिला सदस्यों और 19 नवनिर्वाचित सदस्यों सहित कुल 74 सदस्यों ने भाग लिया।

राज्य सभा के 264वें सत्र की शुरुआत में सभापति का उद्घाटन भाषण

राज्य सभा के 264वें सत्र की शुरुआत में सदस्यों का स्वागत करते हुए सभापति श्री जगदीप धनखड़ ने कहा कि यह लोक सभा और कुछ विधानसभाओं के आम चुनावों के बाद पहला सत्र है। उन्होंने कहा कि अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के लोगों ने हमारी लोकतांत्रिक राजनीति और हमारे गणतंत्र के आधारभूत मूल्यों में अपना विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने आगे कहा कि लोकतंत्र के उत्सव का सफलतापूर्वक समापन हम सभी के लिए बहुत गर्व और प्रशंसा की बात है। उन्होंने सभी सदस्यों से लोकतंत्र को समृद्ध बनाने के लिए एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने सदस्यों से संवाद, चर्चा, विचार-विमर्श और बहस में समग्र रूप से योगदान देने का आग्रह किया, क्योंकि ये सभी लोकतंत्र का मूल-तत्व हैं।

सभापीठ के महत्वपूर्ण विनिर्णय/टिप्पणियां/निदेश

सभापति के निदेश

राज्य सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 223 के तहत राज्य सभा के सभापति के निर्देशों के अनुसार, लिखित नोटिस प्रस्तुत करना तत्काल बंद कर दिया गया है। सदस्य केवल डिजिटल संसद पोर्टल के माध्यम से अल्प सूचना प्रश्न, आधे घंटे की चर्चा, प्रश्न, गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य, सभापति की अनुमति से मुद्दे उठाने (शून्य काल प्रस्तुतियाँ) और विशेष उल्लेख सहित सभी नोटिस प्रस्तुत कर सकते हैं। डिजिटल संसद पोर्टल के माध्यम से ऐसे ई-नोटिस प्रस्तुत करने की विस्तृत चरणबद्ध प्रक्रिया भी 12 जून 2024 को संसदीय समाचार भाग II के माध्यम से अधिसूचित की गई थी।

*जैसा कि लार्डिस, राज्य सभा सचिवालय द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

सभापति की टिप्पणियां

28 जून 2024 को, सभापति को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता-सह प्रवेश परीक्षा (नीट), 2024 में अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा करने के लिए नियम 267 के तहत 22 नोटिस प्राप्त हुए। इस संबंध में, सभापति ने कहा कि भारत की राष्ट्रपति, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने दोनों सदनों के सदस्यों को अपने संबोधन के 'पैरा 20' में स्पष्ट किया था कि कि दोषियों को सख्त सजा सुनिश्चित करने के लिए निष्पक्ष जांच होगी और सरकार परीक्षा से संबंधित निकायों, उनके कामकाज और परीक्षा प्रक्रिया के सभी पहलुओं में बड़े सुधारों की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सभी सदस्यों को इस मुद्दे पर अपने विचार रखने का पर्याप्त अवसर मिलेगा। सभापति ने नियम 267 के तहत प्राप्त उक्त नोटिसों पर अपनी सहमति रोक ली।

1 जुलाई 2024 को सभापति ने कहा कि सदन में कही गई हर बात शुचितापूर्ण होनी चाहिए और यह सदन गलत तथ्यों को प्रस्तुत करने का मंच नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि यद्यपि संविधान सदस्यों के विशेषाधिकार और स्वयं को अभिव्यक्त करने के अधिकार की रक्षा करता है, लेकिन उस स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध भी हैं। इसलिए, उन्होंने कहा कि संसद सदस्यों को अपने पद की गरिमा बनाए रखनी चाहिए और केवल उन्हीं तथ्यों का उल्लेख करना चाहिए जो निर्विवाद और सवालों से परे हों।

2 जुलाई 2024 को सभापति ने कहा कि शपथ ग्रहण एक पवित्र अवसर है और इसकी प्रक्रिया भारत संविधान के अनुच्छेद 99 तथा संविधान की तीसरी अनुसूची में दिए गए प्रारूप के अनुसार निर्धारित की गई है। सभापति ने सदस्यों से आग्रह किया कि वे शपथ/ प्रतिज्ञान करते समय और उस पर हस्ताक्षर करते समय संवैधानिक नियमों का ईमानदारी से पालन करें क्योंकि किसी भी प्रकार के उल्लंघन या अवहेलना से शपथ या प्रतिज्ञान निष्फल हो जाएगा।

3 जुलाई 2024 को, सभापति ने अपने अवलोकन में कुछ सदस्यों के अमर्यादित आचरण की निंदा की, जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री के उत्तर के दौरान नारे लगा रहे थे। उन्होंने कहा कि "उन्होंने भारतीय संविधान को चुनौती दी है; उन्होंने भारतीय संविधान की भावना का अपमान किया है और उन्होंने जो शपथ ली है, उसका भी अपमान किया है"।

सांख्यिकीय जानकारी

सत्र के दौरान सदन की बैठक 5 दिन चली। बैठकों की वास्तविक अवधि 24 घंटे और 18 मिनट थी, जिसमें देर तक बैठने और मध्याह्न भोजनावकाश छोड़ने के कारण निर्धारित समय से 3 घंटे और 40 मिनट अधिक समय मिला। व्यवधानों/स्थगन के कारण सदन का 43 मिनट का समय बर्बाद हुआ। 264वें सत्र के दौरान सदन में 100% से अधिक कार्य संचालन सम्पन्न हुआ। सत्र के दौरान अविलंबनीय लोक महत्व के मुद्दों पर चार विशेष उल्लेख किए गए।

निधन संबंधी उल्लेख

सत्र के दौरान, सभापति ने सदन के पूर्व सदस्यों - सर्वश्री फली एस. नरीमन, सुशील कुमार मोदी, मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे, धर्मपुरी श्रीनिवासन और डॉ. राम प्रकाश के निधन के बारे में उल्लेख किया। विदेशी गणमान्य व्यक्तियों नामतः इस्लामिक गणराज्य ईरान के राष्ट्रपति महामहिम डॉ. सैय्यद इब्राहिम रायसी; इस्लामिक गणराज्य ईरान के विदेश मंत्री महामहिम डॉ. होसैन अमीर-अब्दुल्लाहियन; संयुक्त गणराज्य तंजानिया के पूर्व राष्ट्रपति महामहिम अल्हाज अली हसन म्विनी; और मलावी गणराज्य के उपराष्ट्रपति महामहिम डॉ. सौलोस क्लॉस चिलिमा के निधन के बारे में भी उल्लेख किया।

अध्यक्ष-पीठ ने 23 जून, 1985 को एआई 182 बोइंग विमान “कनिष्क” को आतंकवादियों द्वारा उड़ाए जाने की बरसी जिसमें 329 निर्दोष लोगों की जानें गईं थी; 12 जून 2024 को कुवैत में लेबर हाउसिंग फैसिलिटी के आवासीय भवन में आग की दुखद दुर्घटना जिसमें 45 भारतीयों की जान चली गई और 50 से अधिक व्यक्ति घायल हुए थे; और 2 जुलाई 2024 को

उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक धार्मिक कार्यक्रम में भगदड़, जिसमें कई भक्तों की जान चली गई का भी निधन संबंधी उल्लेख किया।

अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम

राज्य सभा में सीटों का रिक्त होना

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 69 (2) के अनुसरण में उस अधिनियम की धारा 67 क और धारा 68 (4) के साथ, 10 सदस्य यथा – श्री कामाख्या प्रसाद तासा और श्री सर्बानंद सोनोवाल (दोनों असम राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं); श्रीमती मीसा भारती और श्री विवेक ठाकुर (दोनों बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं); श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (हरियाणा राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं); श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया (मध्य प्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं); श्री छ. उदयनराजे भोंसले और श्री पीयूष गोयल (दोनों महाराष्ट्र राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं); श्री के. सी. वेणुगोपाल (राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं) और श्री बिप्लब कुमार देब (त्रिपुरा राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं) अठारहवीं लोक सभा के सदस्य के रूप में चुने जाने की तिथि अर्थात् 4 जून 2024 से राज्य सभा के सदस्य नहीं रहे।

विभागों से संबद्ध संसदीय स्थायी समितियों का विघटन

5 जून 2024 को सत्रहवीं लोक सभा के भंग होने के परिणामस्वरूप, सभी विभागों से संबद्ध सभी संसदीय स्थायी समितियों को उसी तिथि से भंग कर दिया गया।

सत्रहवीं लोक सभा के भंग होने पर विधेयकों का व्यपगत होना

संविधान के अनुच्छेद 107 के खंड (5) के अंतर्गत, सत्रहवीं लोक सभा के विघटन पर, जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019, जो कि लोक सभा द्वारा पारित किया गया था, और 31 जुलाई 2019 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया था, व्यपगत हो गया (संसदीय समाचार-II संख्या 64271 दिनांक 13 जून 2024 द्वारा अधिसूचित)।

बाल विवाह प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2021 को 25 दिसंबर 2021 को शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति को जांच करने और उस पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए भेजा गया था। राज्य सभा के सभापति द्वारा विधेयक की जांच करने और रिपोर्ट तैयार के लिए 24 जून 2024 तक का समय दिया गया था। तथापि, आम चुनाव 2024 के बाद लोक सभा के विघटन और विभागों से संबद्ध संसदीय स्थायी समितियों के परिणामी विघटन के परिणामस्वरूप, उक्त विधेयक व्यपगत हो गया क्योंकि इसे लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक को विधेयकों को रजिस्टर से हटाना

4 जून 2024 को 18वीं लोक सभा के लिए चुने जाने पर श्री बिप्लब कुमार देब की राज्य सभा की सदस्यता समाप्त होने और राज्य सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 120 (3) के अंतर्गत, स्कूलों में पर्यावरण के लिए जीवनशैली का अनिवार्य शिक्षण (लाइफ) विधेयक, 2023, को 8 दिसंबर 2023 को राज्य सभा में सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया गया एक निजी सदस्य विधेयक और उसमें लंबित विधेयकों को विधेयकों के रजिस्टर से हटा दिया गया है।

9 जून 2024 से केंद्रीय मंत्रिपरिषद में राज्य मंत्री के रूप में श्री राम नाथ ठाकुर को शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप, विवाह और संगम की स्वतंत्रता और सम्मान के नाम पर किए जाने वाले अपराधों का प्रतिषेध विधेयक, 2023, उनके द्वारा 8 दिसंबर 2023 को राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया और वहां लंबित एक निजी सदस्य विधेयक (पीएमबी) को राज्य सभा के सभापति द्वारा इस संबंध में जारी निर्देश (सं.18) के अनुसार विधेयकों के रजिस्टर से हटा दिया गया।

विशेषाधिकार समिति की रिपोर्टें

26 जून 2024 को राज्य सभा के सभापति को प्रस्तुत विशेषाधिकार समिति की तीन रिपोर्टें 27 जून 2024 को सदन के पटल पर रखी गई।

किसी सदस्य का निलंबन समाप्त करना

सभापति ने 27 जून 2024 को सदन में घोषणा की कि विशेषाधिकार समिति की 77वीं और 78वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के मद्देनजर, जो 26 जून 2024 को उनके सम्मुख प्रस्तुत की गई थीं, और राज्य सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों (राज्य सभा) के नियम 266 के साथ पठित नियम 202 के अंतर्गत निहित अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सदस्य श्री संजय सिंह का निलंबन 26 जून 2024 से रद्द कर दिया गया ताकि वह संसद में उपस्थित हो सकें।

नई मंत्रिपरिषद का परिचय

27 जून 2024 को सभापति ने प्रधानमंत्री का सदन से परिचय कराया और उसके बाद प्रधानमंत्री ने अपनी मंत्रिपरिषद के सदस्यों का सदन से परिचय कराया।

सदन के नए नेता

27 जून 2024 को, सभापति ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा को सदन के नेता के रूप में नामित करने की घोषणा की।

उपसभापति की नाम तालिका

28 जून 2024 को, सभापति ने घोषणा की कि निम्नलिखित सदस्यों के साथ उपसभापति की नाम तालिका का पुनर्गठन किया गया: सर्वश्री सुखेंदु शेखर रे, घनश्याम तिवारी, नारायण दास गुप्ता, सुजीत कुमार, डॉ. सोनल मानसिंह, डॉ. फौजिया खान, श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल और श्रीमती मेधा विश्राम कुलकर्णी इसके सदस्य के रूप में। इसके अलावा, 2 जुलाई 2024 को, सभापति ने सर्वश्री तिरुची शिवा और राजीव शुक्ला को उपसभापति की नाम तालिका में नामित करने की घोषणा की।

सभापति द्वारा बधाई

सभापति ने पूरे सदन की ओर से भारतीय क्रिकेट टीम को 29 जून 2024 को बारबाडोस के ब्रिजटाउन में दक्षिण अफ्रीका को हराकर आईसीसी पुरुष टी-20 विश्व कप 2024 जीतने के लिए बधाई दी। उन्होंने दक्षिण अफ्रीकी टीम द्वारा दिखाई गई साहसिक खेल भावना की भी सराहना की।

सत्रावसान

सदन को 3 जुलाई 2024 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया और 4 जुलाई 2024 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसका सत्रावसान कर दिया गया।

संसदीय रूचि का नवीनतम साहित्य

एक. पुस्तकें

इंडिया. लोक सभा सेक्रेटेरिएट, *टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी* (न्यू दिल्ली: लोक सभा सेक्रेटेरिएट), 2024

अंबेडकर, बी.आर., *एनाहिलेशन ऑफ कास्ट* (न्यू दिल्ली: रूपा पब्लिकेशन्स), 2018

भार्गव, वान्या वैदेही, *बीइंग हिंदू, बीइंग इंडियन: लाला लाजपत राय'स आइडिया ऑफ नेशनहुड* (न्यू दिल्ली: पेंगुइन वाइकिंग), 2024

भास्कर, अनुराग, द *फोरसाइटेड अंबेडकर: आइडियाज़ दैट शेप्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कोर्स* (गुरुग्राम: पेंगुइन वाइकिंग), 2024

चमन लाल, एड., द *पॉलिटिकल राइटिंग्स ऑफ भगत सिंह* (न्यू दिल्ली: लेफ्ट वर्ड बुक्स), 2023

चंद्रचूड़, अभिनव, *दीज़ सीट्स आर रिज़र्व्ड: कास्ट, कोटाज एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया* (गुरुग्राम: पेंगुइन वाइकिंग), 2023

हैरिस जॉन, *लिबर्टी: द इंडियन स्टोरी* (न्यू दिल्ली: स्पीकिंग टाइगर), 2024

खान, अराफात होसेन, द *कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बांग्लादेश: पीपुल, पॉलिटिक्स एंड जुडिशियल इंटरवेंशन* (लंदन: रूटलेज टेलर एंड फ्रांसिस ग्रुप), 2024

लियन, पाउ सियान, *फेडरलिज़्म इन म्यांमार* (लैनहैम: लेक्सिंगटन बुक्स), 2023

मित्तल, अमित, *अनवेलिंग मिडल क्लास पावर, द मोदी वे* (दिल्ली: प्रभात प्रकाशन), 2024

मोहन कुमार, *इंडिया'स मोमेंट: चेंजिंग पावर इक्वेशन अराउंड द वर्ल्ड* (गुरुग्राम: हार्पर कॉलिन्स पब्लिशर्स), 2023

नारायण, स्वाति, *अनइक्वल: व्हाय इंडिया लैग्स बिहाइंड इट्स नेबर्स* (चेन्नई: कॉन्टेक्स्ट), 2023

सिंह, स्वदेश, *मोदियन कंसेंसस: द रिडिस्कवरी ऑफ भारत* (नोएडा: इंक ऑक्कम), 2024

वेंकटाचलपति, ए.आर., *स्वदेशी स्टीम: वी.ओ. चिदंबरम पिल्लई एंड द बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश मेरीटाइम एम्पायर* (गुरुग्राम: पेंगुइन एलेन लेन), 2023

दो. आलेख

बाजपाई, अरुणोदय, "इंडिया एंड मिडल ईस्ट स्ट्रेटेजिक कंड्रम", *वर्ल्ड फोकस*, वॉल्यूम 45, नं. 532, अप्रैल 2024, पृ. 16-21

बेहरा, किशोर कुमार, "इंडियाज़ स्टैंड इन द मिडल ईस्ट: मोदी'ज़ स्किलफुल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एंटरप्रेन्योरशिप", *वर्ल्ड फोकस,* वॉल्यूम 45, नं. 532, अप्रैल 2024, पृ. 52-56 ।

भट्टाचार्य, अभिक, "द पॉलिटिक्स ऑफ न्यू कास्ट्स", *आउटलुक*, वॉल्यूम 46, नं. 10, 1 अप्रैल 2024, पृ. 40-43

बिंद्रा, सुखवंत एस., "एनालाइजिंग द सीनो-पाकिस्तान एक्सिस कंटिन्यूटी एंड चेंज", *वर्ल्ड अफेयर्स (नई दिल्ली)*, वॉल्यूम 28, नं. 1, मई 2024, पृ. 51-69

बोस, राखी, "द फीमेल फैक्टर", *आउटलुक*, वॉल्यूम 46, नं. 10, 1 अप्रैल 2024, पृ. 48-50

चक्रवर्ती, मानस, "इंडिया-पाकिस्तान रिलेशनशिप थ्रू द लेंस ऑफ कश्मीर इश्यू", *वर्ल्ड फोकस*, वॉल्यूम 45, नं. 533, मई 2024, पृ. 10-15

चौहान, भारती और सिंह, सौरभ, "इंडियाज़ सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, शेपिंग द जियोपॉलिटिक्स ऑफ वेस्ट एशिया", *वर्ल्ड फोकस*, वॉल्यूम 45, नं. 532, अप्रैल 2024, पृ. 104-09

चेंगप्पा, राज, "द बिग बैटल फॉर सरवाइवल", *इंडिया टुडे*, वॉल्यूम 49, नं. 20, 13 मई 2024, पृ. 20-25

चेनॉय, अनुराधा, "इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी एंड द लग्ज़री ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी", *इकॉनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली (मुंबई)*, वॉल्यूम 59, नं. 17, 27 अप्रैल 2024, पृ. 10-12

छोकर, जगदीप एस., "इट्स ए सिस्टम, नॉट मशीन", *द वीक*, वॉल्यूम 42, नं. 14, 7 अप्रैल 2024, पृ. 23-24

चिचुआन, निरंजन, "इंडिया-इज़राइल रिलेशन्स, फ्रॉम फ्रेंड्स टू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप", *वर्ल्ड फोकस*, वॉल्यूम 45, नं. 532, अप्रैल 2024, पृ. 99-103

दलवी, विनय बी., "इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियाज़ रिलेशनशिप विथ हर नेबर्स", *फौजी इंडिया (मुंबई)*, वॉल्यूम 8, नं. 3, मई 2024, पृ. 27-30

डेका, कौशिक, "व्हाय जेन वी मैटर्स", *इंडिया टुडे*, वॉल्यूम 49, नं. 18, 29 अप्रैल 2024, पृ. 22-30

देसाई, रामी निरंजन, "द कंड्रम फेसिंग म्यांमार, द कंसिक्वेंसेस फेसिंग इंडिया" *वर्ल्ड अफेयर्स* (नई दिल्ली), वॉल्यूम 28, नं. 1, मई 2024, पृ. 70-78

देशपांडे, सतीश, "अ लीप ईयर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी", *फ्रंटलाइन (चेन्नई)*, वॉल्यूम 41, नं. 6, 5 अप्रैल 2024, पृ. 10-17

गिटिश कुमार, "इंडिया एंड सेंट्रल एशिया इन द 21स्ट सेंचुरी: न्यू जियोपॉलिटिक्स एंड न्यू डायमेंशन्स", *वर्ल्ड फोकस*, वॉल्यूम 45, नं. 532, अप्रैल 2024, पृ. 83-87

गुडावरथी, अजय, "इंडियाज़ ऑस्सिलेटिंग अपोज़िशन", *फ्रंटलाइन (चेन्नई)*, वॉल्यूम 41, नं. 6, 5 अप्रैल 2024, पृ. 28-32

झक्करेन, निस्सिम मन्ना, "इट्स अ लॉन्ग एंड वाइंडिंग पोल", *फ्रंटलाइन (चेन्नई)*, वॉल्यूम 41, नं. 8, 19 अप्रैल 2024, पृ. 51-54

कमलाकर, गेडन, "इंडियन डिप्लोमैटिक डिसीजन: एड्रेसिंग इज़रायली सेटलमेंट्स इन पैलेस्टिनियन टेरिटरीज़", *वर्ल्ड फोकस*, वॉल्यूम 45, नं. 532, अप्रैल 2024, पृ. 125-29

कंबोज, अनिल, "चेंजिंग जियोपॉलिटिक्स इन द मिडल ईस्ट एंड भारत'स रिस्पॉन्स", *वर्ल्ड फोकस*, वॉल्यूम 45, नं. 532, अप्रैल 2024, पृ. 11-15

कंबोज, अनिल, "डिप्लोमैटिक इनर्शिया, इंडिया एंड द वेस्ट", *द इकॉनमिस्ट*, वॉल्यूम 451, नं. 9399, 1 जून 2024, पृ. 17-18

कुंडू, राजेश कुमार, "ई-पब्लिक सर्विस डिलिवरी ऐज़ एन इनोवेटिव पैराडाइम-शिफ्ट इन इंडियन गवर्नेंस सिस्टम: एन एनालिसिस ऑफ हरियाणा स्टेट मॉडल", *इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन* (नई दिल्ली), वॉल्यूम 71, नं. 1, मार्च 2024, पृ. 9-24

मागोगे, जैक्सन सिमागो और बेंजामिन, सुरेश एम., "वार क्राइम्स इन अफगानिस्तान एंड द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट", *वर्ल्ड अफेयर्स (नई दिल्ली)*, वॉल्यूम 28, नं. 1, मई 2024, पृ. 30-51

मिश्रा, अजय कुमार और ऋषि, श्रद्दा, "इंडिया इन द मिडल ईस्ट अमिड सीनो-यूएस राइवलरी", *वर्ल्ड फोकस*, वॉल्यूम 45, नं. 532, अप्रैल 2024, पृ. 63-67

मिश्रा, सोनी, "वोट ऑफ कॉन्फिडेंस", *द वीक*, वॉल्यूम 42, नं. 14, 7 अप्रैल 2024, पृ. 18-19

नारायणन, रविप्रसाद, "इंडिया एंड पाकिस्तान — डिस्टेंट नेबर्स परसेप्चुअली", *वर्ल्ड फोकस*, वॉल्यूम 45, नं. 533, मई 2024, पृ. 46-51

नारायणन, रविप्रसाद, "मिडल ईस्ट एंड इंटरनेशनल रिलेशन्स — ईरान ऐज़ डेटरमिनेंट", *वर्ल्ड फोकस*, वॉल्यूम 45, नं. 532, अप्रैल 2024, पृ. 42-45

पात्रा, करुणाकर, "पार्लियामेंट्री कमेटीज़, मीटिंग द एपिस्टेमिक थ्रेशहोल्ड ऑफ लेजिस्लेशन", *इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (नई दिल्ली)*, वॉल्यूम 70, नं. 1, मार्च 2024, पृ. 82-95

पूनिया, बी.एल., "बर्डन ऑफ हिस्ट्री", *फोर्स (नोएडा)*, वॉल्यूम 21, नं. 8, अप्रैल 2024, पृ. 36-43

प्रधान, रामकृष्ण एंड अदर, "इंडिया-इज़राइल रिलेशन्स, नर्चरिंग अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप", *वर्ल्ड फोकस*, वॉल्यूम 45, नं. 532, अप्रैल 2024, पृ. 47-51

प्रधान, संजय कुमार, "इंडिया एंड यूएई बाइलेटरल इनिशिएटिव्स", *वर्ल्ड फोकस*, वॉल्यूम 45, नं. 532, अप्रैल 2024, पृ. 36-41

राग़िब, मोहम्मद, "इंडिया-पैलेस्टाइन रिलेशन्स: रिसेंट डेवलपमेंट पोस्ट ग़ाज़ा वार", *वर्ल्ड फोकस,* वॉल्यूम 45, नं. 532, अप्रैल 2024, पृ. 130-33

राजन, पलानीवेल थियागा, "ईसीआई अशर्स ऑफ इंडिया टू इट्स इलेक्टोरल नादिर", *फ्रंटलाइन (चेन्नई)*, वॉल्यूम 41, नं. 10, 31 मई 2024, पृ. 17-26

राजेश कुमार और सिंह, नेहा पवार, "इंडियाज़ एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड इट्स इंपैक्ट ऑन द शिफ्टिंग जियोपॉलिटिक्स ऑफ द मिडल ईस्ट", *वर्ल्ड फोकस*, वॉल्यूम 45, नं. 533, मई 2024, पृ. 110-14

राव, एस. सुभा, "इंडो-इज़राइली स्ट्रेटेजिक रिलेशन्स: फ्रॉम रेटॉरिक टू सब्सटेंस", *वर्ल्ड फोकस*, वॉल्यूम 45, नं. 532, अप्रैल 2024, पृ. 57-62

सदाशिवम, टी. और तबस्सुम, शाहला, "इंडियाज़ एंटी-करप्शन ओम्बड्समैन — लोकपाल: एन एनालिसिस", *इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (नई दिल्ली)*, वॉल्यूम 71, नं. 1, मार्च 2024, पृ. 55-62

शर्मा, प्रणय, "नेबरहुड निगल्स", *फ्रंटलाइन*, वॉल्यूम 41, नं. 8, 3 मई 2024, पृ. 66-69

शर्मा, सुजीत कुमार, "अनवेलिंग द जियो-इकॉनमिक डायनैमिक्स शेपिंग इंडियाज़ रिलेशन्स विद सेंट्रल एशिया", *वर्ल्ड फोकस*, वॉल्यूम 45, नं. 532, अप्रैल 2024, पृ. 88-93

सिंह, मंजीत और सिंह, साहिबप्रीत, "नेविगेटिंग स्ट्रेटेजिक नॉन-अलाइन्मेंट इन द मिडल-ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट", *वर्ल्ड फोकस*, वॉल्यूम 45, नं. 533, मई 2024, पृ. 87-91

श्रीनिवासुलु, कार्ली, "नेशनलिज़्म एंड डायनैमिक्स ऑफ फेडरल पॉलिटिक्स इन कंटेम्परारी इंडिया", *इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (नई दिल्ली)*, वॉल्यूम 71, नं. 1, मार्च 2024, पृ. 196-209

स्टैलर्ड, केटी, "वार इज़ रिऑर्डरिंग द वर्ल्ड: द स्प्लिट विडेन्स बिटवीन द वेस्ट एंड ग्लोबल साउथ", *द न्यू स्टेट्समैन*, मई 2024, पृ. 20-24

त्रिपाठी, सुधांशु, "इंडियाज़ रेलिवेंस फॉर पाकिस्तान: द नॉन-अलाइन्ड अप्रोच मे हेल्प-डिफ्यूज़ टेंशन्स बिटवीन देम", *वर्ल्ड फोकस*, वॉल्यूम 45, नं. 533, मई 2024, पृ. 21-26

विकास कुमार, "इलेक्शन ऑन पोस्टेज", *फ्रंटलाइन*, वॉल्यूम 41, नं. 8, 3 मई 2024, पृ. 76-79

यशवर्धना, "प्री-एम्पटिव स्ट्राइक", *वर्ल्ड अफेयर्स (नई दिल्ली)*, वॉल्यूम 28, नं. 1, मई 2024, पृ. 144-59

परिशिष्ट एक

अठारहवीं लोक सभा के प्रथम सत्र के दौरान किए गए कार्यों को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	**सत्र की अवधि**	**24.06.2024 से 02.07.2024**
1.	सत्र के दौरान हुई बैठकों की संख्या	7
2.	बैठक के घंटों की कुल संख्या	34 घंटे 16 मिनट
3.	व्यवधान/स्थगन के कारण हुई समय की बर्बादी	05 घंटे 37 मिनट
4.	सूचीबद्ध कार्यों को पूरा करने के लिए सभा की देर तक बैठक	07 घंटे और 22 मिनट
5.	सरकारी विधेयक	
(i)	सत्र के आरंभ में लंबित	शून्य
(ii)	पुरःस्थापित	शून्य
(iii)	राज्य सभा द्वारा यथापारित सभा–पटल पर रखे गए	शून्य
(iv)	राज्य सभा द्वारा किसी संशोधन/सिफारिश के साथ लौटाए गए और सभा पटल पर रखे गए	शून्य
(v)	जिन पर चर्चा हुई	शून्य
(vi)	पारित	शून्य
(vii)	वापस लिए गए	शून्य
(viii)	अस्वीकृत	शून्य
(ix)	जिन पर आंशिक रूप से चर्चा हुई	शून्य
(x)	राज्य सभा द्वारा बिना किसी सिफारिश के लौटाए गए	शून्य
(xi)	सत्र के अंत में लंबित	शून्य
6.	गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक	शून्य
(i)	सत्र के आरंभ में लंबित	शून्य
(ii)	पुरःस्थापित	शून्य
(iii)	जिन पर चर्चा हुई	शून्य
(iv)	पारित	शून्य
(v)	वापस लिए गए	शून्य
(vi)	अस्वीकृत	शून्य
(vii)	जिन पर आंशिक रूप से चर्चा हुई	शून्य
(viii)	सत्र के अंत में लंबित	शून्य

क्र. सं.	सत्र की अवधि	24.06.2024 से 02.07.2024
7.	नियम 184 के अधीन की गई चर्चाओं की संख्या	
(i)	प्राप्त सूचनाएं	शून्य
(ii)	गृहीत	शून्य
(iii)	जिन पर चर्चा हुई	शून्य
8.	नियम 377 के अधीन उठाए गए मामलों की संख्या	41
9.	शून्यकाल के दौरान उठाए गए अविलंबनीय लोक महत्व के मामलों की संख्या	शून्य
10.	नियम 193 के अधीन की गई चर्चाओं की संख्या	
(i)	प्राप्त सूचनाएं	03
(ii)	गृहीत	शून्य
(iii)	जिन पर चर्चा हुई	शून्य
(iv)	जिन पर आंशिक रूप से चर्चा हुई	शून्य
11.	नियम 197 के अधीन दिए गए वक्तव्यों की संख्या	शून्य
12.	मंत्रियों द्वारा दिए गए वक्तव्य	03
13.	स्थगन प्रस्ताव	
(i)	प्राप्त सूचनाएं	शून्य
(ii)	सभा के समक्ष लाए गए	शून्य
(iii)	गृहीत	शून्य
14.	ध्यानाकर्षण के माध्यम से उठाए गए मामलों की संख्या	शून्य
15.	सरकारी संकल्प	
(i)	प्राप्त सूचनाएं	शून्य
(ii)	गृहीत	शून्य
(iii)	प्रस्तुत	शून्य
(iv)	स्वीकृत	शून्य
(v)	अस्वीकृत	शून्य
(vi)	जिन पर आंशिक रूप से चर्चा हुई	शून्य
16.	गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प	
(i)	प्राप्त सूचनाएं	शून्य
(ii)	गृहीत	शून्य
(iii)	जिन पर चर्चा हुई	शून्य

क्र. सं.	सत्र की अवधि	24.06.2024 से 02.07.2024
(iv)	स्वीकृत	शून्य
(v)	अस्वीकृत	शून्य
(vi)	जिन पर आंशिक रूप से चर्चा हुई	शून्य
17.	सरकार के प्रस्ताव	
(i)	प्राप्त सूचनाएं	शून्य
(ii)	गृहीत	शून्य
(iii)	प्रस्तुत और जिन पर चर्चा हुई	शून्य
(iv)	स्वीकृत	शून्य
(v)	अस्वीकृत	शून्य
(vi)	वापस लिए गए	शून्य
(vii)	जिन पर आंशिक रूप से चर्चा हुई	शून्य
18.	विशेषाधिकार प्रस्ताव	
(i)	प्राप्त सूचनाएं	शून्य
(ii)	सभा के समक्ष लाए गए	शून्य
(iii)	माननीय अध्यक्ष की सहमति प्राप्त नहीं	शून्य
(iv)	माननीय अध्यक्ष द्वारा की गई टिप्पणी	शून्य
19.	सत्र के दौरान जारी किए गए आगंतुक पास की कुल संख्या	--
20.	सत्र के दौरान संसदीय संग्रहालय में आगंतुकों की कुल संख्या	--
21.	गृहीत प्रश्नों की कुल संख्या	
(i)	तारांकित	शून्य
(ii)	अतारांकित	शून्य
(iii)	अल्प सूचना प्रश्न	शून्य
(iv)	आधे घंटे की चर्चा	शून्य

22. **संसदीय समितियों का कार्यकरण**

क्र.सं.	समिति का नाम	बैठकों की संख्या	प्रस्तुत प्रतिवेदनों की संख्या
(i)	कार्य मंत्रणा समिति	शून्य	शून्य
(ii)	सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति	शून्य	शून्य
(iii)	महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति	शून्य	शून्य
(iv)	प्राक्कलन समिति	शून्य	शून्य

क्र.सं.	समिति का नाम	बैठकों की संख्या	प्रस्तुत प्रतिवेदनों की संख्या
(v)	आचार समिति	शून्य	शून्य
(vi)	सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति	शून्य	शून्य
(vii)	संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति (एमपीएलडीएस)	शून्य	शून्य
(viii)	सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति	शून्य	शून्य
(ix)	याचिका समिति	शून्य	शून्य
(x)	गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	शून्य	शून्य
(xi)	विशेषाधिकार समिति	शून्य	शून्य
(xii)	लोक लेखा समिति	शून्य	शून्य
(xiii)	सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	शून्य	शून्य
(xiv)	अधीनस्थ विधान संबंधी समिति	शून्य	शून्य
(xv)	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	शून्य	शून्य
(xvi)	सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति	शून्य	शून्य
(xvii)	आवास समिति	शून्य	शून्य
(xviii)	ग्रंथालय समिति	शून्य	शून्य
(xix)	रेल अभिसमय समिति	शून्य	शून्य
(xx)	नियम समिति	शून्य	शून्य
(xxi)	अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति	शून्य	शून्य

संयुक्त/प्रवर समिति

क्र.सं.	समिति का नाम	बैठकों की संख्या	प्रस्तुत प्रतिवेदनों की संख्या
(i)	लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति	शून्य	शून्य
(ii)	संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्तों संबंधी संयुक्त समिति	शून्य	शून्य

विभागों से संबद्ध स्थायी समितियां

क्र.सं.	समिति का नाम	बैठकों की संख्या	प्रस्तुत प्रतिवेदनों की संख्या
(i)	कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी समिति	शून्य	शून्य
(ii)	रसायन और उर्वरक संबंधी समिति	शून्य	शून्य
(iii)	कोयला, खनन और इस्पात संबंधी समिति	शून्य	शून्य
(iv)	रक्षा संबंधी समिति	शून्य	शून्य

क्र.सं.	समिति का नाम	बैठकों की संख्या	प्रस्तुत प्रतिवेदनों की संख्या
(v)	ऊर्जा संबंधी समिति	शून्य	शून्य
(vi)	विदेशी मामलों संबंधी समिति	शून्य	शून्य
(vii)	वित्त संबंधी समिति	शून्य	शून्य
(viii)	खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति	शून्य	शून्य
(ix)	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति	शून्य	शून्य
(x)	श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी समिति	शून्य	शून्य
(xi)	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी समिति	शून्य	शून्य
(xii)	रेल संबंधी समिति	शून्य	शून्य
(xiii)	ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी समिति	शून्य	शून्य
(xiv)	सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी समिति	शून्य	शून्य
(xv)	आवासन और शहरी कार्य संबंधी समिति	शून्य	शून्य
(xvi)	जल संसाधन संबंधी समिति	शून्य	शून्य

परिशिष्ट दो

राज्य सभा के दो सौ चौसठवें सत्र के दौरान किए गए कार्य को दर्शाने वाला विवरण

1.	**सत्र की अवधि**	27.06.2024 से 03.07.2024
2.	**बैठकों की संख्या**	05
3.	**बैठकों में लगा कुल समय**	24 घंटे 18 मिनट
4.	**मत विभाजन की संख्या**	शून्य
5.	**सरकारी विधेयक**	
(i)	सत्र के आरंभ में लंबित	20[1]
(ii)	पुरःस्थापित	शून्य
(iii)	लोक सभा द्वारा यथा पारित सभा पटल पर रखे गये	शून्य
(iv)	लोक सभा द्वारा संशोधन सहित लौटाए गए	शून्य
(v)	राज्य सभा द्वारा प्रवर समिति को भेजे गए	शून्य
(vi)	राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति को भेजे गए	शून्य
(vii)	विभागों से संबंद्ध स्थायी समितियों को भेजे गए	शून्य
(viii)	प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित	शून्य
(ix)	संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित	शून्य
(x)	विभागों से संबंद्ध स्थायी समितियों द्वारा प्रतिवेदित	शून्य
(xi)	जिन पर चर्चा की गई	शून्य
(xii)	पारित/लौटाए गए	शून्य
(xiii)	वापस लिए गए	शून्य
(xiv)	अस्वीकृत	शून्य
(xv)	जिन पर आंशिक रूप से चर्चा की गई	शून्य
(xvi)	राज्य सभा द्वारा बिना किसी सिफारिश के लौटाए गए	शून्य
(xvii)	चर्चा स्थगित हुई	शून्य
(xviii)	सत्र के अंत में लंबित	20

[1] राज्य सभा के 263वें सत्र के समापन पर राज्य सभा में 21 सरकारी विधेयक लंबित थे। तथापि, राज्य सभा के 264वें सत्र के शुरू होने से पहले, सत्रहवीं लोक सभा के भंग होने पर, एक सरकारी विधेयक, अर्थात् अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019, जो लोक सभा द्वारा पारित किया गया था और राज्य सभा में लंबित था, संविधान के अनुच्छेद 107 के खंड (5) के प्रावधानों के अंतर्गत व्यपगत हो गया। विवरण के लिए, कृपया 13/06/2024 के संसदीय समाचार भाग-II के पैरा संख्या 64271 देखें।

6.	**गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक**	
(i)	सत्र के आरंभ में लंबित	137[2]
(ii)	पुरःस्थापित	शून्य
(iii)	लोक सभा द्वारा यथा पारित सभा पटल पर रखे गये	शून्य
(iv)	लोक सभा द्वारा संशोधन सहित लौटाए गए और सभा पटल पर रखे गये	शून्य
(v)	संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित	शून्य
(vi)	जिन पर चर्चा की गई	शून्य
(vii)	वापस लिए गए	शून्य
(viii)	पारित	शून्य
(ix)	अस्वीकृत	शून्य
(x)	राय जानने के लिए परिचालित किए गए	शून्य
(xi)	जिन पर आंशिक रूप से चर्चा की गई	शून्य
(xii)	चर्चा स्थगित/स्थगन/विलम्बित/समाप्त	शून्य
(xiii)	विधेयक को परिचालित करने संबंधी अस्वीकृत हुए प्रस्ताव	शून्य
(xiv)	प्रवर समिति को सौंपे गए	शून्य
(xv)	विधेयक के प्रभारी सदस्य की सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र/मृत्यु के कारण व्यपगत हुए विधेयक	04[3]
(xvi)	सत्र के अंत तक लंबित	133
7.	**नियम 176 के अधीन की गई चर्चाओं की संख्या (अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले)**	
(i)	प्राप्त सूचनाएं	03
(ii)	गृहीत	शून्य
(iii)	जिन पर चर्चा हुई	शून्य
8.	**नियम 180 के अधीन दिए गए वक्तव्यों की संख्या**	

[2] राज्य सभा के 263वें सत्र के समापन पर राज्य सभा में 139 निजी सदस्यों के विधेयक लंबित थे। तथापि, राज्य सभा के 264वें सत्र के शुरू होने से पहले, उन विधेयकों के प्रभारी सदस्यों की राज्य सभा की सदस्यता समाप्त होने के परिणामस्वरूप 2 निजी सदस्यों के विधेयक व्यपगत हो गए । विस्तृत जानकारी के लिए कृपया 13/06/2024 के संसदीय समाचार भाग-II में पैरा संख्या 64269 और 64270 देखें ।

[3] राज्य सभा के 264वें सत्र के दौरान, 4 निजी सदस्यों के विधेयक उन विधेयकों के प्रभारी सदस्यों की राज्य सभा की सदस्यता समाप्त होने के परिणामस्वरूप व्यपगत हो गए । विस्तृत जानकारी के लिए कृपया दिनांक 02/07/2024 के संसदीय समाचार भाग-II में पैरा संख्या 64442 देखें।

	(अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों पर ध्यानाकर्षण)	
(i)	मंत्रियों द्वारा दिए गए/रखे गए वक्तव्य	शून्य
(ii)	आधे घंटे की चर्चा	शून्य
9.	**सांविधिक संकल्प**	
(i)	प्राप्त सूचनाएं	शून्य
(ii)	गृहीत	शून्य
(iii)	प्रस्तुत किए गए	शून्य
(iv)	अस्वीकृत	शून्य
(v)	अंगीकृत	शून्य
(vi)	वापस लिए गए	शून्य
10.	**सरकारी संकल्प**	
(i)	प्राप्त सूचनाएं	शून्य
(ii)	गृहीत	शून्य
(iii)	प्रस्तुत किए गए	शून्य
(iv)	अंगीकृत	शून्य
11.	**गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प**	
(i)	प्राप्त सूचनाएं	शून्य
(ii)	गृहीत	शून्य
(iii)	जिन पर चर्चा की गई	शून्य
(iv)	वापस लिए गए	शून्य
(v)	अस्वीकृत	शून्य
(vi)	अंगीकृत	शून्य
(vii)	जिन पर आंशिक रूप से चर्चा की गई	शून्य
(viii)	चर्चा स्थगित हुई	शून्य
12.	**सरकारी प्रस्ताव**	
(i)	प्राप्त सूचनाएं	शून्य
(ii)	गृहीत	शून्य
(iii)	प्रस्तुत किए गए और जिन पर चर्चा की गई	शून्य
(iv)	स्वीकृत	शून्य
(v)	जिन पर आंशिक चर्चा की गई	शून्य

13.	**गैर-सरकारी सदस्यों के प्रस्ताव**		
(i)	प्राप्त सूचनाएं		शून्य
(ii)	गृहीत		शून्य
(iii)	प्रस्तुत किए गए		शून्य
(iv)	अंगीकृत		शून्य
(v)	जिन पर आंशिक रूप से चर्चा की गई		शून्य
(vi)	अस्वीकृत		शून्य
(vii)	वापस लिए गए		शून्य
14.	**सांविधिक नियम में परिवर्तन से संबंधित प्रस्ताव**		
(i)	प्राप्त सूचनाएं		शून्य
(ii)	गृहीत		शून्य
(iii)	प्रस्तुत किए गए		शून्य
(iv)	अंगीकृत		शून्य
(v)	अस्वीकृत		शून्य
(vi)	वापस लिए गए		शून्य
(vii)	जिन पर आंशिक चर्चा की गई		शून्य
(viii)	व्यपगत		शून्य
15.	संसदीय समिति, यदि कोई गठित की गई, की संख्या, नाम और तिथि		शून्य
16.	**आगंतुकों को जारी किये गए प्रवेश-पत्रों की कुल संख्या**		292
17.	किसी एक दिन में आगंतुकों को जारी किए गए प्रवेश पत्रों की अधिकतम संख्या और उनके जारी किए जाने की तारीख		02.07.2024 को 123
18.	**गृहीत प्रश्नों की कुल संख्या**		
(i)	तारांकित		शून्य
(ii)	अतारांकित		शून्य
(iii)	अल्प सूचना प्रश्न		शून्य
19.	**मंत्रालयों के कार्यकरण पर चर्चा**		शून्य
20.	**संसदीय समितियों का कार्यकरण**		
क्रम सं.	समिति का नाम	बैठकों की संख्या	रिपोर्टों की संख्या
(i)	कार्य मंत्रणा समिति	01	शून्य
(ii)	आचार समिति	शून्य	शून्य

(iii)	सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति	02	शून्य
(iv)	संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति (एमपीएलैड्स)	01	शून्य
(v)	सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति	शून्य	शून्य
(vi)	याचिका समिति	01	शून्य
(vii)	विशेषाधिकार समिति	02	03
(viii)	अधीनस्थ विधान संबंधी समिति	शून्य	शून्य
(ix)	सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति	शून्य	शून्य
(x)	आवास समिति	01	शून्य
(xi)	राज्य सभा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्रबंधन संबंधी समिति	शून्य	शून्य
(xii)	नियम समिति	शून्य	शून्य
21.	**विभागों से संबद्ध स्थायी समितियां**		
क्रम सं.	समिति का नाम	बैठकों की संख्या	रिपोर्टों की संख्या
(i)	वाणिज्य	शून्य	शून्य
(ii)	गृह मंत्रालय	शून्य	शून्य
(iii)	शिक्षा, महिलाएं, बच्चे, युवा एवं खेल	शून्य	शून्य
(iv)	उद्योग	शून्य	शून्य
(v)	विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन	शून्य	शून्य
(vi)	परिवहन, पर्यटन और संस्कृति	शून्य	शून्य
(vii)	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	शून्य	शून्य
(viii)	कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय	शून्य	शून्य

22.	ऐसे सदस्यों की संख्या जिन्हें सभा से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की गई	शून्य
23.	प्रस्तुत याचिकाएं	शून्य

24.	शपथ लेने वाले नए सदस्यों के नाम तिथि सहित		
क्रम सं.	शपथ लेने वाले सदस्यों के नाम	सम्बद्ध दल	शपथ लेने की तिथि
(i)	श्री अखिलेश प्रसाद सिंह	कांग्रेस	27.06.2024
(ii)	डॉ. सरफराज अहमद	झामुमो	27.06.2024
(iii)	श्री प्रदीप कुमार वर्मा	भाजपा	27.06.2024
(iv)	श्री बंशीलाल गुर्जर	भाजपा	27.06.2024

(v)	श्रीमती माया नारोलिया	भाजपा	27.06.2024
(vi)	श्री बालयोगी उमेशनाथ	भाजपा	27.06.2024
(vii)	श्री हारिस बीरन	आईयूएमएल	02.07.2024
(viii)	श्री जोस के. मणि	केसी (एम)	02.07.2024
(ix)	श्री पी. पी. सुनीर	भाकपा	02.07.2024
(x)	श्रीमती जया अमिताभ बच्चन	सपा	01.07.2024

25.	निधन संबंधी उल्लेख	
क्रम सं.	नाम	वर्तमान सदस्य/पूर्व सदस्य
(i)	डॉ. राम प्रकाश	पूर्व सदस्य
(ii)	श्री फली एस नरीमन	पूर्व सदस्य
(iii)	श्री सुशील कुमार मोदी	पूर्व सदस्य
(iv)	श्री मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे	पूर्व सदस्य
(v)	श्री धर्मपुरी श्रीनिवास	पूर्व सदस्य
(vi)	महामहिम डॉ. सैयद इब्राहिम रईसी	इस्लामी गणतंत्र ईरान के राष्ट्रपति
(vii)	महामहिम डॉ. होसैन अमीर-अब्दुल्लाहियान	इस्लामी गणतंत्र ईरान के विदेश मंत्री
(viii)	महामहिम अल्हाज अली हसन मविनयी	संयुक्त गणराज्य तंजानिया के पूर्व राष्ट्रपति
(ix)	महामहिम डॉ. सौलोस क्लाउस चिलिमा	मलावी गणराज्य के उपराष्ट्रपति

परिशिष्ट तीन

1 अप्रैल से 30 जून 2024 तक की अवधि के दौरान राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों के विधान मंडलों के कार्यकलापों को दर्शाने वाला विवरण

विधान मंडल	अवधि	बैठकें	सरकारी विधेयक [पुरःस्थापित(पारित)]	गैर-सरकारी विधेयक [पुरःस्थापित(पारित)]	तारांकित प्रश्न [प्राप्त(स्वीकृत)]	अतारांकित प्रश्न [प्राप्त(स्वीकृत)]	अल्प सूचना प्रश्न [प्राप्त(स्वीकृत)]
1	2	3	4	5	6	7	8
आंध्र प्रदेश वि.स.	21.06.2024 से 22.06.2024	1	-	-	-	-	-
आंध्र प्रदेश वि.प.*	-	-	-	-	-	-	-
अरुणाचल प्रदेश वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-
असम वि.स.*	-	-	-	-	-	-	-
बिहार वि.स.	-	-	-	-	196(155)	-	26(20)
बिहार वि.प.*	-	-	-	-	-	-	-
छत्तीसगढ़ वि.स.*	-	-	-	-	-	-	-
गोवा वि.स.* *	-	-	-	-	-	-	-
गुजरात वि.स.*	-	-	-	-	-	-	-
हरियाणा वि.स.* *	-	-	-	-	-	-	-

*राज्य/संघ राज्यक्षेत्र विधान मंडलों से प्राप्त सूचना में शून्य रिपोर्ट शामिल है।

**राज्य/संघ राज्यक्षेत्र विधान मंडलों से सूचना प्राप्त नहीं हुई।

विधान मंडल	अवधि	बैठकें	सरकारी विधेयक [पुरःस्थापित(पारित)]	गैर-सरकारी विधेयक [पुरःस्थापित(पारित)]	तारांकित प्रश्न [प्राप्त(स्वीकृत)]	अतारांकित प्रश्न [प्राप्त(स्वीकृत)]	अल्प सूचना प्रश्न [प्राप्त(स्वीकृत)]
हिमाचल प्रदेश वि.स.*	-	-	-	-	-	-	-
झारखंड वि.स.*	-	-	-	-	-	-	-
कर्नाटक वि.स.*	-	-	-	-	-	-	-
कर्नाटक वि.प.*	-	-	-	-	-	-	-
केरल वि.स.* *	-	-	-	-	-	-	-
मध्य प्रदेश वि.स.*	-	-	-	-	-	-	-
महाराष्ट्र वि.स.	27.06.2024 – से	3	-	-	5491(1555)	63	11
महाराष्ट्र वि.प.	27.06.2024 – से	3	1	-	1494(779)	3(1)	-
मणिपुर वि.स.*	-	-	-	-	-	-	-
मेघालय वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-
मिजोरम वि.स.*	-	-	-	-	-	-	-
नागालैंड वि.स.*	-	-	-	-	-	-	-
ओडिशा वि.स.*	-	-	-	-	-	-	-
पंजाब वि.स.*	-	-	-	-	-	-	-
राजस्थान वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-
सिक्किम वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-

विधान मंडल	अवधि	बैठकें	सरकारी विधेयक [पुरःस्थापित(पारित)]	गैर-सरकारी विधेयक [पुरःस्थापित(पारित)]	तारांकित प्रश्न [प्राप्त(स्वीकृत)]	अतारांकित प्रश्न [प्राप्त(स्वीकृत)]	अल्प सूचना प्रश्न [प्राप्त(स्वीकृत)]
तमिलनाडु वि.स.	20.06.2024 से 29.06.2024	9	14(14)	-	(122)	(532)	4
तेलंगाना वि.स.*	-	-	-	-	-	-	-
तेलंगाना वि.प.*	-	-	-	-	-	-	-
त्रिपुरा वि.स.*	-	-	-	-	-	-	-
उत्तर प्रदेश वि.स.	-	-	-	-	511(357)	1406(1048)	6
उत्तर प्रदेश वि.प.	-	-	-	-	159(146)	240(231)	-
उत्तराखंड वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-
पश्चिम बंगाल वि.स.	-	-	-	-	-	-	-
संघ राज्यक्षेत्र							
दिल्ली वि.स.	08.04.2024	1	-	-	-	-	-
पुदुचेरी वि.स.*	-	-	-	-	-	-	-

*राज्य/संघ राज्यक्षेत्र विधान मंडलों से प्राप्त सूचना में शून्य रिपोर्ट शामिल है।

**राज्य/संघ राज्यक्षेत्र विधान मंडलों से सूचना प्राप्त नहीं हुई।

परिशिष्ट तीन (जारी)

1 अप्रैल से 30 जून 2024 तक की अवधि के दौरान समितियों के कार्य/बैठकों की संख्या और प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनों की संख्या

	कार्य मंत्रणा समिति	सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति	याचिका समिति	गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति	विशेषाधिकार समिति	सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	अधीनस्थ विधान संबंधी समिति	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	प्राक्कलन समिति	सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति	आवास समिति	ग्रंथालय समिति	लोक लेखा समिति	नियम समिति	संयुक्त/ प्रवर समिति	अन्य समितियां
राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
आंध्र प्रदेश वि.स.*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
आंध्र प्रदेश वि.प.*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अरुणाचल प्रदेश वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
असम वि.स.	-	-	1	-	-	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3(क)
बिहार वि.स.	-	11	11	12	-	11	14	10	11	-	11	11	11	-	-	140(ख)
बिहार वि.प.	-	10	11	10	-	-	9	10	-	10	10	10	-	-	-	107(ग)
छत्तीसगढ़ वि.स	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1(घ)
गोवा वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*राज्य/संघ राज्यक्षेत्र विधान मंडलों से प्राप्त सूचना में शून्य रिपोर्ट शामिल है।

**राज्य/संघ राज्यक्षेत्र विधान मंडलों से सूचना प्राप्त नहीं हुई।

	कार्य मंत्रणा समिति	सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति	याचिका समिति	गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति	विशेषाधिकार समिति	सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	अधीनस्थ विधान संबंधी समिति	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	प्राक्कलन समिति	सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति	आवास समिति	ग्रंथालय समिति	लोक लेखा समिति	नियम समिति	संयुक्त/ प्रवर समिति	अन्य समितियां
गुजरात वि.स.	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	2	-	4	-	-	3[ङ]
हरियाणा वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
हिमाचल प्रदेश वि.स.	-	-	-	-	2	-	6	4	5	-	-	-	4	-	-	14[च]
झारखंड वि.स.	-	1	-	-	-	11	5	5	10	10	15	10	10	-	-	65[छ]
कर्नाटक वि.स.	-	6	6	-	5	-	6	6	7	-	6	-	5	-	-	24[ज]
कर्नाटक वि.प.	-	5	4	-	5	-	-	-	-	-	4	-	-	-	2	-
केरल वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
मध्य प्रदेश वि.स.*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
महाराष्ट्र वि.स.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
महाराष्ट्र वि.प.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
मणिपुर वि.स.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
मेघालय वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
मिजोरम वि.स.	-	1	1	-	2	1	1	-	4	-	2	1	6	-	-	11[झ]
नागालैंड वि.स.*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ओडिशा वि.स.*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पंजाब वि.स.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1[ञ]
राजस्थान वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	कार्य मंत्रणा समिति	सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति	याचिका समिति	गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति	विशेषाधिकार समिति	सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	अधीनस्थ विधान संबंधी समिति	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	प्राक्कलन समिति	सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति	आवास समिति	ग्रंथालय समिति	लोक लेखा समिति	नियम समिति	संयुक्त/ प्रवर समिति	अन्य समितियां
सिक्किम वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
तमिलनाडु वि.स.	1	1(20)	1(8)	-	-	1(8)	-	-	2(26)	-	-	-	1(10)	2(1)	-	1(4)[ट]
तेलंगाना वि.स.*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
तेलंगाना वि.प.*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
त्रिपुरा वि.स.**	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
उत्तर प्रदेश वि.स.	-	3	-	-	-	8	6	-	2	-	-	-	1	-	-	2[ठ]
उत्तर प्रदेश वि.प.	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14[ड]
उत्तराखंड वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पश्चिम बंगाल वि.स.	-	12	8	-	6	10	9	-	13	-	13	6	7	-	-	297[ढ]
संघ राज्यक्षेत्र																
दिल्ली वि.स.*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पुदुचेरी वि.स.*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*राज्य/संघ राज्यक्षेत्र विधान मंडलों से प्राप्त सूचना में शून्य रिपोर्ट शामिल है।

**राज्य/संघ राज्यक्षेत्र विधान मंडलों से सूचना प्राप्त नहीं हुई।

क.	रोजगार समीक्षा समिति -1, अधिनियम कार्यान्वयन समिति -1 और महिला एवं बाल कल्याण समिति -1
ख.	प्रश्न और ध्यानाकर्षण समिति -11, जिला परिषद एवं पंचायती राज समिति -11, निवेदन समिति -10, आंतरिक संसाधनों संबंधी समिति-19, महिला एवं बाल कल्याण समिति-11, कृषि विकास उद्योग समिति -11, पर्यटन उद्योग संबंधी समिति -11, शून्य काल समिति -11, आचार समिति -11, बिहार विरासत विकास समिति -11, अल्पसंख्यक कल्याण समिति -11 और पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति -12
ग.	सभा पटल पर रखे गए पत्र -9, प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति -9, मानवाधिकार समिति -9, जिला परिषद समिति -10, शून्य काल समिति -10, आचार समिति -11, निवेदन समिति -10, राजभाषा समिति -10, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास समिति -9, वित्तीय प्रबंधन और आंतरिक संसाधन समिति -10, और कार्यान्वयन समिति -10
घ.	प्रश्न एवं संदर्भ संबंधी समिति -1
ङ.	पंचायती राज समिति -1, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों हेतु कल्याण समिति -1 और सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति -1
च.	स्थानीय निधि लेखा समिति -3, लोक प्रशासन समिति -6, मानव विकास समिति -3, सामान्य विकास समिति -1 और ग्रामीण योजना समिति -1
छ.	आंतरिक संसाधन राजस्व और केंद्रीय सहायता समिति -1, पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण समिति - 8, महिला कल्याण एवं बाल विकास समिति -1, निवेदन समिति -10, विधायक निधि निगरानी समिति -10, युवा संस्कृति खेल और पर्यटन समिति -7, जिला परिषद और पंचायती राज समिति -4, अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति -6, शून्यकाल समिति -6, गैर-सरकारी संकल्प समिति -3 और सदाचार समिति -9
ज.	महिला एवं बाल कल्याण संबंधी समिति -6, सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति -7, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण समिति -5 और स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति -6
झ.	सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति -2, विषय आधारित समिति I -1, विषय आधारित समिति II -1, विषय आधारित समिति III -2, विषय आधारित समिति IV -1, विषय आधारित समिति V -1, आचार समिति -1, स्थानीय निधि प्राधिकरण संबंधी समिति -1 और सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति -1
ञ.	वर्ष 2024-25 के लिए बुद्ध दरिया और घग्गर दरिया संबंधी समिति -1
ट.	प्रत्यायोजित विधान संबंधी समिति -1(4)

ठ.	महिला एवं बाल कल्याण संबंधी संयुक्त समिति -2
ड.	प्रश्न और संदर्भ संबंधी समिति -1, वित्तीय एवं प्रशासनिक विलंब संबंधी समिति -2, उत्तर प्रदेश विधान मंडल की आवास संबंधी शिकायतों की जांच संबंधी समिति -1, संसदीय एवं समाज कल्याण समिति -1, विकास प्राधिकरणों, हाउसिंग बोर्ड, जिला पंचायतों और नगर निगम में अनियमितताओं के नियंत्रण संबंधी समिति -1, प्रांतीय विद्युत व्यवस्था की जांच संबंधी समिति -1, दैवीय आपदा प्रबंधन जांच समिति -1, शिक्षा के व्यावसायीकरण संबंधी समिति -2, विधायी अधिकारिता समिति -2 और खाद्य पदार्थों में मिलावट और नकली दवाओं के चलन के कारण जीवन के स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं की रोकथाम संबंधी समिति -2
ढ.	बिधायक इलाका उन्नयन प्रकल्प संबंधी समिति -6, स्थानीय निधि लेखा समिति -12, सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति -6, समिति प्रणाली के सुधार और कार्यकरण संबंधी समिति -6, कृषि, कृषि विपणन एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग तथा बागवानी संबंधी स्थायी समिति -10, उद्योग, वाणिज्य एवं उद्यम संबंधी स्थायी समिति -13, मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति -12, उच्च शिक्षा संबंधी स्थायी समिति -12, स्कूली शिक्षा संबंधी स्थायी समिति -10, पर्यावरण, वन और पर्यटन संबंधी स्थायी समिति -10, वित्त एवं योजना संबंधी स्थायी समिति -7, खाद्य एवं आपूर्ति संबंधी स्थायी समिति -6, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति -12, गृह, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार, सुधारात्मक प्रशासन, कानून और न्यायिक संबंधी स्थायी समिति -11, आवास, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं तथा आपदा प्रबंधन संबंधी स्थायी समिति -9, सूचना एवं सांस्कृतिक मामलों तथा युवा सेवाओं और खेल संबंधी स्थायी समिति -8, सिंचाई एवं जलमार्ग तथा जल संसाधन जांच और विकास संबंधी स्थायी समिति -10, श्रम संबंधी स्थायी समिति -8, शहरी विकास एवं नगरपालिका मामलों संबंधी स्थायी समिति -10, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा सुन्दरबन मामलों संबंधी स्थायी समिति -12, विद्युत एवं गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों संबंधी स्थायी समिति -8, लोक निर्माण एवं लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी संबंधी स्थायी समिति -13, सूचना प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा संबंधी स्थायी समिति -12, स्वयं सहायता समूह एवं स्वरोजगार संबंधी स्थायी समिति -12, महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण संबंधी स्थायी समिति -6, परिवहन संबंधी स्थायी समिति -13, पिछड़ा वर्ग कल्याण संबंधी स्थायी समिति -12, अल्पसंख्यक मामलों संबंधी स्थायी समिति -6, भूमि एवं भूमि सुधार संबंधी स्थायी समिति -13 और सहकारिता एवं उपभोक्ता मामलों संबंधी स्थायी समिति -12

परिशिष्ट चार

1 अप्रैल से 30 जून 2024 की अवधि के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति द्वारा अनुमत्त विधेयकों की सूची

कोई नहीं

परिशिष्ट पांच

1 अप्रैल से 30 जून 2024 की अवधि के दौरान राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के विधान मंडलों द्वारा पारित विधेयकों की सूची

महाराष्ट्र	
1.	दि महाराष्ट्र स्टेट स्किल्स यूनिवर्सिटी (अमेंडमेंट) बिल, 2024

तमिलनाडु	
1.	दि तमिलनाडु अप्रोप्रिएशन (रिपील) बिल, 2024
2.	दि चेन्नई मेट्रोपोलिटन वाटर सप्लाई एंड सिवरेज (अमेंडमेंट) बिल, 2024
3.	दि तमिलनाडु अर्बन लोकल बॉडीज (अमेंडमेंट) बिल, 2024
4.	दि तमिलनाडु अर्बन लोकल बॉडीज (सेकंड अमेंडमेंट) बिल, 2024
5.	दि तमिलनाडु ट्रांसपेरेंसी इन टेंडर्स (सेकंड अमेंडमेंट) बिल, 2024
6.	दि तमिलनाडु रिपीलिंग बिल, 2024
7.	दि चेन्नई सिटी पुलिस लॉज़ (अमेंडमेंट) बिल, 2024
8.	दि तमिलनाडु रिफॉर्म्स (फिक्सेशन ऑफ़ सीलिंग ऑन लैंड) अमेंडमेंट बिल, 2024
9.	दि तमिलनाडु प्रोहिबिशन (अमेंडमेंट) बिल, 2024

10.	दि तमिलनाडु स्टेट कमीशन फॉर दि शेडयूल्ड कास्ट्स एंड शेडयूल्डट्राइब्स (अमेंडमेंट) बिल, 2024
11.	दि तमिलनाडु अप्रोप्रिएशन (नं. 2) बिल, 2024
12.	दि तमिलनाडु अप्रोप्रिएशन (नं. 3) बिल, 2024
13.	दि तमिलनाडु अप्रोप्रिएशन (नं. 4) बिल, 2024
14.	दि तमिलनाडु अप्रोप्रिएशन (नं. 5) बिल, 2024

तेलंगाना	
1.	दि सिगरेट एंड अदर तंबाकू प्रोडक्ट्स (प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स बिल, प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन) तेलंगाना (अमेंडमेंट) बिल, 2024
2.	दि तेलंगाना अप्रोप्रिएशन (वोट ऑन अकांउट) बिल, 2024
3.	दि तेलंगाना अप्रोप्रिएशन बिल, 2024

परिशिष्ट छह

1 अप्रैल से 30 जून 2024 की अवधि के दौरान संघ और राज्य सरकारों द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश

क्रम सं.	अध्यादेश का नाम	प्रख्यापन की तिथि	सभा के समक्ष रखने की तिथि	समापन की तिथि	टिप्पणियां
	महाराष्ट्र				
1.	दि महाराष्ट्र रीजनल एंड टाउन प्लानिंग (अमेंडमेंट) आर्डिनेंस, 2024	15.03.2024	27.06.2024	09.08.2024	--
2.	दि महाराष्ट्र स्टेट स्किल्स यूनिवर्सिटी (अमेंडमेंट) आर्डिनेंस, 2024	16.03.2024	27.06.2024	09.08.2024	--
	उत्तर प्रदेश				
1.	दि उत्तर प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटीज (अमेंडमेंट) आर्डिनेंस, 2024	06.03.2024	--	--	--
2.	दि उत्तर प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटी (सेकंड अमेंडमेंट) आर्डिनेंस, 2024	06.03.2024	--	--	--
3.	दि उत्तर प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटी (थर्ड अमेंडमेंट) आर्डिनेंस, 2024	06.03.2024	--	--	--
4.	दि उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन एंड अदर रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी आर्डिनेंस, 2024	07.03.2024	--	--	--
5.	दि उत्तर प्रदेश नज़ूल प्रॉपर्टीज (मैनेजमेंट एंड यूटिलाइजेशन फॉर पब्लिक परपसेज) आर्डिनेंस, 2024	07.03.2024	--	--	--

परिशिष्ट सात

क. अठारहवीं लोक सभा में (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार) दलों की स्थिति (30.06.2024 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र	सीटों की संख्या	भा.ज.पा.	भा.रा. कां.	स.पा.	अ.भा.तृ. कां.	द्र.मु.क.	ते.दे.पा.	ज.द. (यू)	शि.से. (यूबीटी)	रा.कां.पा. (एस.पी.)	शि.से.	एल.जे.पी. आर.वी.	वाई.एस.आर. सी.पी.	रा.ज.द.	सी.पी.एम.	आई.यू. एम.एल.	आप	झा.मु.मो.	ज.से.पा.	सी.पी.आई. (एम.एल.) (एल)
1.	आंध्र प्रदेश	25	3	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	2	-
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	असम	14	9	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	बिहार	40	12	3	-	-	-	-	12	-	-	-	5	-	4	-	-	-	-	-	2
5.	छत्तीसगढ़	11	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	गोवा	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	गुजरात	26	25	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	हरियाणा	10	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	हिमाचल प्रदेश	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	झारखंड	14	8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
11.	कर्नाटक	28	17	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	केरल	20	1	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-

क्रम सं.	राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र	सीटों की संख्या	भा.ज.पा.	भा.रा. कां.	स.पा.	अ.भा.तृ. कां.	द्र.मु.क.	ते.दे.पा.	ज.द. (यू)	शि.से. (यूबीटी)	रा.कां.पा. (एस.पी.)	शि.से.	एल.जे.पी. आर.वी.	वाई.एस.आर. सी.पी.	रा.ज.द.	सी.पी.एम.	आई.यू. एम.एल.	आप	झा.मु.मो.	ज.से.पा.	सी.पी.आई. (एम.एल.) (एल)
13.	मध्य प्रदेश	29	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	महाराष्ट्र	48	9	13	-	-	-	-	-	9	8	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	मणिपुर	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	मेघालय	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	मिजोरम	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	नागालैंड	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	ओडिशा	21	20	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	पंजाब	13	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
21.	राजस्थान	25	14	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
22.	सिक्किम	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	तमिलनाडु	39	-	9	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
24.	तेलंगाना	17	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	त्रिपुरा	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	उत्तर प्रदेश	80	33	6	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	उत्तराखंड	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	पश्चिम बंगाल	42	12	1	-	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

क्रम सं.	राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र	सीटों की संख्या	भा.ज.पा.	भा.रा. कां.	स.पा.	अ.भा.तृ. कां.	द्र.मु.क.	ते.दे.पा.	ज.द. (यू)	शि.से. (यूबीटी)	रा.कां.पा. (एस.पी.)	शि.से.	एल.जे.पी. आर.वी.	वाई.एस.आर. सी.पी.	रा.ज.द.	सी.पी.एम.	आई.यू. एम.एल.	आप	झा.मु.मो.	ज.से.पा.	सी.पी.आई. (एम.एल.) (एल)
29.	अंडमान एंव निकोबार द्वीप समूह	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	चंडीगढ़	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	दादरा एवं नगर हवेली और दमन और दीव	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	जम्मू और कश्मीर	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	लद्दाख	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	लक्षद्वीप	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36.	पुडुचेरी	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल	543	240*	98	37	29	22	16	12	9	8	7	5	4	4	4	3	3	3	2	2

* माननीय लोक सभा अध्यक्ष सहित।

क्रम सं.	राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र	ज.द.(से.)	वी.सी.के.	भा.क.पा.	रा.लो.द.	जे.के.एन.	यू.पी.पी.एल.	अ.ग.प.	एच.ए.एम.(एस)	के.ई.सी.	आर.एस.पा.	रा.का.पा.	वी.ओ.टी.पी.पी.	जेड.पी.एम.	शि.अ.द.	आर.एल.टी.पी.	बी.ए.पी.	एस.के.एम.	मा.द्र.मु.क.	ए.एस.पी.(के.आर.)	अ.द.(स.)	ए.जे.एस.यू.पी.	आ.इं.म.मु.	निर्द.	कुल	रिक्त स्थान
1.	आंध्र प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
3.	असम	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-
4.	बिहार	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	40	-
5.	छत्तीसगढ़	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-
6.	गोवा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
7.	गुजरात	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-
8.	हरियाणा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-
9.	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
10.	झारखंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	14	-
11.	कर्नाटक	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-
12.	केरल	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	1
13.	मध्य प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	-
14.	महाराष्ट्र	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	48	-
15.	मणिपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
16.	मेघालय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
17.	मिजोरम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
18.	नागालैंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
19.	ओडिशा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-
20.	पंजाब	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	13	-
21.	राजस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1	1	-	-	-	-	-	-	-	25	-
22.	सिक्किम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
23.	तमिलनाडु	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	39	-
24.	तेलंगाना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	17	-
25.	त्रिपुरा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
26.	उत्तर प्रदेश	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	80	-

क्रम सं.	राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र	ज.द.(से.)	वी.सी.के.	भा.क.पा.	रा.लो.द.	जे.के.एन.	यू.पी.पी.एल.	अ.ग.प.	एच.ए.एम.(एस)	के.ई.सी.	आर.एस.पा.	रा.का.पा.	वी.ओ.टी.पी.पी.	जेड.पी.एम.	शि.अ.द.	आर.एल.टी.पी.	बी.ए.पी.	एस.के.एम.	मा.द्र.मु.क.	ए.एस.पी.(के.आर.)	अ.द.(स.)	ए.जे.एस.यू.पी.	आ.इं.म.मु.	निर्द.	कुल	रिक्त स्थान
27.	उत्तराखंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
28.	पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	-
29.	अंडमान एंव निकोबार द्वीप समूह	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
30.	चंडीगढ़	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
31.	दादरा एवं नगर हवेली और दमन और दीव	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
32.	जम्मू और कश्मीर	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-
33.	लद्दाख	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
34.	लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
35.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-
36.	पुडुचेरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	कुल	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	542	

दलों के लिए प्रयुक्त संक्षिप्ताक्षर:

भारतीय जनता पार्टी (भा.ज.पा.); भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस(भा.रा.कां.); समाजवादी पार्टी(स.पा.); अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस(अ.भा.तृ.कां.); द्रविड़ मुनेत्र कडषगम(द्र.मु.क.);तेलुगु देशम पार्टी (ते.दे.पा.); जनता दल(यूनाइटेड) [जेडी(यू)]; शिव सेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) (एसएचएसयूबीटी);राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी– शरदचंद्र पवार(एनसीपीएसपी); शिवसेना (एसएचएस);लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) (एलजेपीआरवी);युवाजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी);राष्ट्रीय जनता दल (रा.ज.द.);भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (सीपीएम);इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल);आम आदमी पार्टी (आप);झारखंड मुक्ति मोर्चा (झा.मु.मो.);जनसेना पार्टी (जेएनपी);भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) (लिबरेशन) [सीपीआई (एमएल) (एल)];जनता दल (सेक्युलर) [जद (एस)];विदुथलाई चिरुथाईगल काची (वीसीके);भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सी.पी.आई.);राष्ट्रीय लोक दल

(आर.एल.डी.);जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस (जे.के.एन.);यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी - लिबरल (यूपीपीएल);असम गण परिषद (ए.जी.पी.);हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर) (एचएएमएस);केरल कांग्रेस (के.ई.सी.);रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (आर.एस.पी.);राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एन.सी.पी.);वॉयस ऑफ दि पीपल पार्टी (वी.ओ.टी.पी.पी.);ज़ोरम पीपुल्स मूवमेंट (जेड.पी.एम.);शिरोमणि अकाली दल (शि.अ.द.);राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आर.एल.टी.पी.);भारत आदिवासी पार्टी (बी.ए.पी.);सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा (एस.के.एम.);मरुमलारची द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एम.डी.एम.के.);आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) (ए.एस.पी.के.आर.);अपना दल (सोनेलाल) (अदल);आजसू पार्टी (ए.जे.एस.यू.पी.);ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (आ.इं.म.मु.); और निर्दलीय (आई.एन.डी.)।

ख. राज्य सभा में दल-वार स्थिति (10 जुलाई 2024 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	सीटों की संख्या	भा.रा.कां.	भा.ज.पा.	सपा	भा.क.पा. (मा)	ज.द.(यू)	अन्नाद्रमुक	बसपा	सीपीआई	अन्य	निर्दलीय	कुल	रिक्त स्थान
1.	आंध्र प्रदेश	11	-	-	-	-	-	-	-	-	11(क)	-	11	-
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
3.	असम	7	-	2	-	-	-	-	-	-	2(ख)	1	5	2
4.	बिहार	16	1	4	-	-	4	-	-	-	5(ग)	-	14	2
5.	छत्तीसगढ	5	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
6.	गोवा	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
7.	गुजरात	11	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-
8.	हरियाणा	5	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1
9.	हिमाचल प्रदेश	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
10.	झारखंड	6	-	3	-	-	-	-	-	-	3(घ)	-	6	-
11.	कर्नाटक	12	5	6	-	-	-	-	-	-	1(ङ)	-	12	-
12.	केरल	9	1	-	-	3	-	-	-	2	3(च)	-	9	-
13.	मध्य प्रदेश	11	3	7	-	-	-	-	-	-	-	-	10	1
14.	महाराष्ट्र	17	3	6	-	-	-	-	-	-	8(छ)	-	17	-

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	सीटों की संख्या	भा.रा.कां.	भा.ज.पा.	सपा	भा.क.पा. (मा)	ज.द.(यू)	अन्नाद्रमुक	बसपा	सीपीआई	अन्य	निर्दलीय	कुल	रिक्त स्थान
15.	मणिपुर	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
16.	मेघालय	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1(ज)	-	1	-
17.	मिजोरम	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1(झ)	-	1	-
18.	नागालैंड	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
19.	ओडिशा	10	-	1	-	-	-	-	-	-	9(ञ)	-	10	-
20.	पंजाब	7	-	-	-	-	-	-	-	-	7(ट)	-	7	-
21.	राजस्थान	9	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-
22.	सिक्किम	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1(ठ)	-	1	-
23.	तमिलनाडु	18	1	-	-	-	-	4	-	-	13(ड)	-	18	-
24.	तेलंगाना	6	2	-	-	-	-	-	-	-	4(ढ)	-	6	-
25.	त्रिपुरा	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
26.	उत्तराखंड	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
27.	उत्तर प्रदेश	31	-	24	4	-	-	-	1	-	1(ण)	1	31	-
28.	पश्चिम बंगाल	16	-	2	-	1	-	-	-	-	13(त)	-	16	-
	संघ राज्यक्षेत्र													
29.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3(थ)	-	3	-

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	सीटों की संख्या	भा.रा.कां.	भा.ज.पा.	सपा	भा.क.पा. (मा)	ज.द.(यू)	अन्नाद्रमुक	बसपा	सीपीआई	अन्य	निर्दलीय	कुल	रिक्त स्थान
	दिल्ली													
30.	पुदुचेरी	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
31.	जम्मू एवं कश्मीर	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
32.	नाम निर्दिष्ट	12	-	5	-	-	-	-	-	-	-	7	12	-
	कुल	245	26	90	4	4	4	4	1	2	85	10	230	15

अन्य

(दलों/समूहों का विभाजन)

(क) वाईएसआरसीपी-11

(ख) एजीपी-1, यूपीपी (एल)-1

(ग) राजद-5

(घ) जेएमएम-3

(ड़) जेडी(एस)-1

(च) आईयूएमएल-2, केसी(एम)-1

(छ) एनसीपी-2, एसएस-1, आरपीआई (एटीडब्ल्यूएल)-1, एसएस-यूबीटी-2, एनसीपी-एससीपी-2

(ज) एनपीपी-1

(झ) एमएनएफ-1

(ञ) बीजेडी-9

(ट) आप-7

(ठ) एसडीएफ-1

(ड) डीएमके-10, एमडीएमके-1, पीएमके-1, टीएमसी(एम)-1

(ढ) बीआरएस-4

(ण) आरएलडी-1

(त) एआईटीसी-13

(थ) आप-3

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	सीटों की संख्या	भा.रा. कां.	भा.ज.पा	भा.क.पा. (मा.)	भा.क.पा	रा.कां.पा.	ब.स.पा	ज.द. (यू)	ज.द.(एस)	अन्य दल	निर्दलीय	कुल	रिक्त
आंध्र प्रदेश वि.स.	175	-	8	-	-	-	-	-	-	167(क)	-	175	-
आंध्र प्रदेश वि.प.	58	-	-	-	-	-	-	-	-	48(ख)	4	52	6
अरुणाचल प्रदेश वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
असम वि.स.	121	26	61	1	-	-	-	-	-	32(ग)	1	121	-
बिहार वि.स.	243	19	77	2	2	-	-	44	-	93(घ)	1	238	5
बिहार वि.प.	73	3	23	-	1	-	-	21	-	19(ङ)	-	73	-
छत्तीसगढ़ वि.स.	90	35	53	-	-	-	-	-	-	1(च)	-	89	1
गोवा वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
गुजरात वि.स.	182	12	161	-	-	-	-	-	-	5(छ)	2	180	2
हरियाणा वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
हिमाचल प्रदेश वि.स.	68	40	28	-	-	-	-	-	-	-	-	68	-
झारखण्ड वि.स.	80	16	25	-	1	1	-	-	-	43(ज)	2	80	-

** राज्य/संघ राज्यक्षेत्र विधान मंडलों से सूचना प्राप्त नहीं हुई।

ग. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विधान मंडलों में दल-वार स्थिति

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	सीटों की संख्या	भा.रा.कां.	भा.ज.पा	भा.क.पा. (मा.)	भा.क.पा	रा.कां.पा.	ब.स.पा	ज.द. (यू.)	ज.द. (एस.)	अन्य दल	निर्दलीय	कुल	रिक्त
कर्नाटक वि.स.	224	133	65	-	-	-	-	-	18	3(झ)	2	221	3
कर्नाटक वि.प.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
केरल वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
मध्य प्रदेश वि.स.	230	65	162	-	-	-	-	-	-	1(ञ)	-	228	2
महाराष्ट्र वि.स.	288	37	103	1	-	52	-	-	-	68(ट)	13	274	14
महाराष्ट्र वि.प.	78	8	19	-	-	8	-	1	-	11(ठ)	4	51	27
मणिपुर वि.स.	60	5	37	-	-	-	-	1	-	14(ड)	3	60	-
मेघालय वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
मिजोरम वि.स.	40	1	2	-	-	-	-	-	-	37(ढ़)	-	40	-
नागालैंड वि.स.	60	-	12	-	-	7	-	1	-	36(ण)	4	60	-
ओडिशा वि.स.	147	14	78	1	-	-	-	-	-	51(त)	3	147	-
पंजाब वि.स.	117	15	2	-	-	-	1	-	-	93(थ)	1	112	5
राजस्थान वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

** राज्य/संघ राज्यक्षेत्र विधान मंडलों से सूचना प्राप्त नहीं हुई।

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	सीटों की संख्या	भा.रा.कां.	भा.ज.पा	भा.क.पा. (मा.)	भा.क.पा	रा.कां.पा.	ब.स.पा	ज.द. (यू.)	ज.द. (एस.)	अन्य दल	निर्दलीय	कुल	रिक्त
सिक्किम वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
तमिलनाडु वि.स.	234	18	4	2	2	-	-	-	-	207(द)	-	233	1
तेलंगाना वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
तेलंगाना वि.प.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
त्रिपुरा वि.स.	60	3	33	10	-	-	-	-	-	14(घ)	-	60	-
उत्तर प्रदेश वि.स.	403	2	251	-	-	-	1	-	-	139(न)	-	393	10
उत्तर प्रदेश वि.प.	100	-	78	-	-	-	-	-	-	18(प)	2	98	2
उत्तराखण्ड वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पश्चिम बंगाल वि.स.	294	1	70	-	-	-	-	-	-	212(फ)	1	284	10
संघ राज्य क्षेत्र													
दिल्ली वि.स.	70	-	7	-	-	-	-	-	-	61(ब)	-	68	2
पुदुचेरी वि.स.	33	2	9	-	-	-	-	-	-	16(भ)	6	33	-

** राज्य/संघ राज्यक्षेत्र विधान मंडलों से सूचना प्राप्त नहीं हुई।

(क)	तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी)-135, जनसेना पार्टी (जेएसपी)-21 और युवाजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी)-11
(ख)	युवाजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी)-30, तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी)-08, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट (पीडीएफ)-2 और नामित-8
(ग)	एजीपी-8, यूपीपीएल-6, एआईयूडीएफ-15 और बीपीएफ-3
(घ)	राष्ट्रीय जनता दल -78, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) (लिबरेशन) -11, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर)-3 और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल-1
(ङ)	सभापति-1, आर.जे.डी.-15, आर.एल.जे.पी.-1, हम (सेक्युलर)-1, सी.पी.आई. (एम.एल.) एल.-1
(च)	गोंडवाना गंणतत्र पार्टी-1
(छ)	आम आदमी पार्टी-4 और समाजवादी पार्टी-1
(ज)	अध्यक्ष-1, झारखंड मुक्ति मोर्चा-27, आजसू पार्टी-3, झारखंड विकास मोर्चा-2, राष्ट्रीय जनता दल-1 और नामित-1
(झ)	कल्याण राज्य प्रगति पक्ष (केआरपीपी)-1, सर्वोदय कर्नाटक पक्ष (एसकेपी)-1 और अध्यक्ष-1
(ञ)	भारत आदिवासी पार्टी-1
(ट)	शिवसेना पार्टी- 53, बहुजन विकास अघाड़ी-3, समाजवादी पार्टी-2, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन-2, प्रहार जनशक्ति पार्टी-2, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना-1, किसान और वर्कर्स पार्टी-1, राष्ट्रीय समाज पार्टी-1, स्वाभिमान पार्टी-1, जनसुराज्य शक्ति पार्टी-1 और क्रांतिकारी शेतकारी पार्टी-1
(ठ)	शिवसेना-9, पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया-1 और राष्ट्रीय समाज पक्ष-1
(ड)	नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी)-7, नागा पीपुल्स फ्रंट (एनपीएफ)-5 और कुकी पीपुल्स एलायंस (केपीए)-2
(ढ)	जोरम पीपल मूवमेंट (जेडपीएम)-27 और मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ)-10
(ण)	नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (एनडीपीपी)-25, नागा पीपुल्स फ्रंट (एनपीएफ)-2, लोक जनशक्ति पार्टी (आरवी)-2, नेशनल पीपुल्स पार्टी -5 और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए)-2

(त)	बी.जे.डी.-51
(थ)	आम आदमी पार्टी-90 और शिरोमणि अकाली दल-3
(द)	द्रविड़ मुनेत्र कषगम -131, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम -66, पट्टाली मक्कल काची -5, विदुथलाई चिरुथिगल काची -4 और माननीय अध्यक्ष-1
(ध)	आई.पी.एफ.टी.-1 और टी.एम.पी.-13
(न)	समाजवादी पार्टी-105, अपना दल (सोनेलाल)-13, राष्ट्रीय लोक दल-8, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी-6, निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल-5, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक-2
(प)	समाजवादी पार्टी-10, अपना दल (सोनेलाल) पार्टी-1, निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल-1, जनसत्ता दल लोकतंत्र-1, राष्ट्रीय लोक दल-1, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी-1, शिक्षक दल (गैर-राजनीतिक)-1 और निर्दलीय समूह-2
(फ)	अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस-211
(ब)	आम आदमी पार्टी-61
(भ)	ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस -10 और द्रविड़ मुनेत्र कषगम -6

संसदीय पत्रिका (त्रैमासिक)

संसदीय पत्रिका लोक सभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित की जाने वाली त्रैमासिक पत्रिका दी जर्नल ऑफ पार्लियामेंटरी इन्फार्मेशन का हिन्दी रूपांतरण है। यह पत्रिका संसद के साथ-साथ राज्यों और विदेशी विधायी निकायों के कार्यकलापों के बारे में जानकारी का प्रामाणिक अभिलेख है। यह भारत में लोकतंत्र के क्रमिक विकास को प्रतिबिम्बित करते हुए संसदीय व्यवस्था के बारे में अत्यंत उपयोगी जानकारी साझा करती है।